खण्ड-130, अंक-4
बुधवार, 5 फाल्गुन, शक संवत् 1875
(24 फरवरी, 1954 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 130 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २४ फ़रवरी, १९५४

—:o:—

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

—:o:—

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६६)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन रव्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अमरेशचन्द्र पाण्डेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिका सिंह, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशी प्रसाद पांडेय, श्री
किन्दर लाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्ण चन्द्र गुप्त, श्री
कृष्ण चन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयाली राम, श्री
खुशीराम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गिरजा रमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री

गुरु प्रसाद सिंह, श्री
गुलज़ार, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डा०
जुगुल किशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयाल दास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिक प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह, विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाज़िम अली, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री

बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बासन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीत्तल, श्री
बालेन्दु शाह, महाराज कुमार
विशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भीमसेन, श्री
भुवर जी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरवान सिंह, श्री
मुज़फ्फर हसन, श्री
मुन्नीलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ़ जाफरी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मुहम्मद सआदत अली खां, राजा
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
रामकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामआधार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
राम अवध सिंह, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवाल, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री

रामनारायण त्रिपाठी, श्री
राम प्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
राम प्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभगवर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मण राव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लोलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्र नारायण शर्मा, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरेन्द्र नाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिव मंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराज सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईदजहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेव सिंह, श्री

सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्य प्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमान प्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री
होतीलाल दास, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

मेडिकल कालेज, लखनऊ में हरिजन विद्यार्थियों की संख्या

*१—**श्री बाबूनन्दन**—(जिला जौनपुर) क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मेडिकल कालेज लखनऊ में सन् १९५२–५३ में कुल कितने छात्र लिये गये थे और उसमें से कितनी सीट हरिजनों की थी ?

अन्न मंत्री के सभा-सचिव (श्री बनारसीदास)—मेडिकल कालेज लखनऊ में १३५ छात्र सन् १९५२–५३ में लिये गये। इसमें एक छात्र हरिजन था।

*२—**श्री बाबूनन्दन**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष कुल कितने छात्र लिये गये हैं और उनमें कितने हरिजन हैं और कितना रुपया प्रति माह सहायता पाते हैं ?

श्री बनारसी दास—सन् १९५३–५४ में १५२ छात्र मेडिकल कालेज लखनऊ में लिये गये, जिनमें २ छात्र हरिजन थे। इनमें से एक को भारत सरकार ने ६१७ रु० छात्रवृत्ति प्रदान की है तथा दूसरे को ६० रु० मासिक छात्रवृत्ति प्रदेशीय सरकार (हरिजन विभाग) से मिलती है।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५२–५३ में १३५ छात्रों में केवल एक ही हरिजन छात्र क्यों लिया गया ?

श्री बनारसी दास—मेडिकल कालेज में हरिजन विद्यार्थियों के लिये दो स्थान सुरक्षित हैं और उसमें वही विद्यार्थी प्रवेश पा सकते हैं जो कम से कम उत्तीर्णता के नम्बर पा सकें।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कितने हरिजन छात्रों की अप्लीकेशंस आयी थीं ?

श्री बनारसीदास---इसके लिये सूचना की जरूरत है।

श्री चन्द्र सिंह रावत (जिला गढ़वाल)---क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि यह सीट्स् का रिजर्वेशन कब तक रहेगा?

श्री बनारसी दास---अभी कोई निश्चित नहीं है। यह सवाल उसी वक्त पैदा होगा जब काफी हरिजन विद्यार्थी भी खुली प्रतियोगिता में आने लगेंगे।

श्री रामदास रविदास (जिला फ़ैजाबाद)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९४६ से अब तक कितने छात्रों ने यहां शिक्षा प्राप्त की है?

श्री बनारसीदास---इसके लिये सूचना की जरूरत है।

*३-५---**श्री खुशीराम** (जिला अल्मोड़ा)---[३१ मार्च, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*६---**श्री उमाशंकर** (जिला आजमगढ़)---[२४ मार्च, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

ए० पी० योजना के अनाज के दुरूपयोग के मुकदमे

*७---**श्री उमाशंकर**---क्या सरकार कृपा कर के यह बतलायेगी कि आजमगढ़ जिले में ए० पी० के गल्ले को नाजायज तौर पर प्रयोग करने के कितने मुक़दमे चलाये गये और उनके क्या परिणाम हुये?

श्री बनारसीदास---कुल १२ मुक़दमे चलाये गये, जिसमें २ में सजा हुई तथा ७ छूट गये। ३ अभी न्यायालय में विचाराधीन हैं।

श्री उमाशंकर---क्या सरकार उनके नाम तथा पूरा पता कृपया बतलाने का कष्ट करेगी?

श्री अध्यक्ष---किनके नाम?

श्री उमाशंकर---जिन पर मुक़दमे चले या जिनको सजा हुयी?

श्री बनारसीदास---इसकी सूचना अभी प्राप्त नहीं हो पायी है। जिस समय हो जायगी माननीय सदस्य को दे दी जायगी।

श्री उमाशंकर---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नमक की चोरबाजारी के मुक़दमे भी इसमें शरीक हैं?

श्री बनारसीदास---चूंकि नामों की सूची नहीं है इसलिये मैं नहीं कह सकता।

श्री उमाशंकर---क्या इन्ही मुक़दमों के दरमियान सप्लाई अफसर की बदली हुई है?

श्री बनारसीदास---इसकी कोई सूचना मुझे इस समय नहीं है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार को मालूम है कि फूलपुर तहसील, दीदार गंज थाना में सन् १९५३ का ए० पी० स्टाक का कुछ गल्ला अब भी लगा हुआ है जो कि चोरबाजारी में जाते हुये पकड़ा गया था?

श्री बनारसी दास---जो माननीय सदस्य बतला रहे हैं उसकी जांच करा ली जायगी।

गोरखपुर जल-कल की तैयारी में विलम्ब तथा उस पर व्यय

*८--**श्री केशव पाण्डेय** (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार को ज्ञात है कि गोरखपुर जल कल की दिसम्बर, सन् १९५३ तक तैयार हो जाने की निश्चित अवधि थी ?

स्वशासन मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)--जी नहीं।

*९--**श्री केशव पाण्डेय**--यदि हां, तो वह जल-कल अब तक क्यों नहीं तैयार हो सका है ?

श्री मोहन लाल गौतम--यह प्रश्न नहीं उठता।

*१०--**श्री केशव पाण्डेय**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जल-कल को बिजली मिलने की क्या व्यवस्था की गयी है ?

श्री मोहनलाल गौतम--हाइडल डिपार्टमेंट ने सितम्बर, १९५४ तक विद्युत प्रदान करने का आश्वासन दिया है।

श्री केशव पाण्डेय--क्या सरकार कृपा कर यह बतलायेगी कि जल कल का काम, जो अब तक हो चुका, उसमें कितना रुपया व्यय हो चुका है ?

श्री मोहन लाल गौतम--मार्च, सन् १९५३ में १ लाख ७५ हजार रुपया दिया गया था और सन् १९५३-५४ में ३ लाख दिया गया। कुल मिला कर इस प्रकार चार लाख ७५ हजार रुपया दिया जा चुका है ?

श्री केशव पाण्डेय--इस जल-कल के पूरा होने पर कितना रुपया अनुमानतः देने के लिये तय किया गया है ?

श्री मोहन लाल गौतम--१५ लाख।

श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि ये जो रक़म ५३-५४ और ५२-५३ में बतलाई गयी है उनमें कितनी ग्रांट और कितनी लोन की है ?

श्री मोहनलाल गौतम--जहां तक मुझे याद है ये सब लोन की रक़में हैं।

श्री इस्तफा हुसैन--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जल-कल के काम को पूरा करने के वास्ते और रुपया देने की व्यवस्था करेंगे।

श्री मोहन लाल गौतम--जल-कल के कामों के लिये हम हर साल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से नान-रेकरिंग ग्रांट बजट में मिलती है और जब जब यह सदन वह ग्रान्ट देगा उसे जल-कल को दे दी जायगी। अगर नहीं मिलती है तो मजबूरी है। सदन के ऊपर है कि वह हमें कितनी ग्रान्ट देता है।

श्री इस्तफा हुसैन----क्या सरकार कृपा कर के बतलायेगी कि जो जल-कल के वास्ते हाइडल डिपार्टमेंट से बिजली का प्रबन्ध किया गया है वह इस वक्त भी हो सकता है ?

श्री मोहन लाल गौतम--हाइडल डिपार्टमेंट से काफी कोशिश की गई है बिजली पाने के लिये, लेकिन उन्होंने अपनी मजबूरी जाहिर की है और सितम्बर, १९५४ तक बिजली देने का वायदा किया है।

श्री केशव पाण्डेय——क्या यह सही है कि जल-कल योजना निर्माण से पूर्व विद्युत विभाग से बिजली पाने के लिये कोई मशविरा नहीं किया गया ?

श्री मोहन लाल गौतम——मशविरा किया गया लेकिन कुछ देरी होने की वजह से जो बिजली उनके पास पहिले से थी उसको देने में शायद उनको दिक्कत थी।

श्री केशव पाण्डेय——क्या यह भी सही है कि गोरखपुर जल-कल निर्माण कार्य में गवर्नमेंट से रुपया वक्त पर न मिलने के कारण देरी हुई है।

श्री मोहन लाल गौतम——यह तो रुपया ५३ से मिलना शुरू हुआ है। तो इससे पहले क्यों रुपया नहीं मिला इसके लिये मुझे सूचना चाहिये।

जौनपुर ज़िले में प्लेग की रोकथाम

*११——**श्री बाबू नन्दन**——क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में सैनिटरी गैंग ने कितने गांवों में डी० डी० टी० किया है ?

श्री बनारसी दास——सन् १९५२ में जौनपुर जिले के १०६ गांवों में डी० डी० टी० किया गया।

श्री बाबूनन्दन——क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् ५१ में जौनपुर जिले में केवल ६ गांव में डी० डी० टी० की गई थी, और गांवों में क्यों नहीं की गई ?

श्री बनारसी दास——यह डी० डी० टी० उन्हीं गांवों में की गई है जहां प्लेग विशेष रूप से होता था या मलेरिया वगैरह की शिकायत थी। इसलिये ६ गावों का ही क्षेत्र चुना गया।

*१२——**श्री बाबूनन्दन**——क्या यह सही है कि सदर तहसील और मछली-शहर तहसील से ताउन की रिपोर्ट आई है ? यदि हां, तो सरकार उसके लिये क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री बनारसी दास——सदर तहसील व मछलीशहर तहसील से चूहे मरने की रिपोर्ट आई थी, किन्तु जांच करने से मालूम हुआ कि इन चूहों की मृत्यु ताउन के कारण नहीं हुई थी फिर भी एहतियातन डी० डी० टी० किया गया और प्लेग के टीके भी लगाये गये।

श्री बाबू नन्दन——क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सदर तहसील और मछलीशहर तहसील में जो चूहे मरने की रिपोर्ट आई है और जांच करने से मालूम हुआ कि उन चूहों की मृत्यु ताउन से नहीं हुई तो उन चूहों की मृत्यु फिर किन कारणों से हुई ?

श्री बनारसी दास——ताउन से उन चूहों की मृत्यु नहीं हुई यह ठीक है। एक जगह तो मकान मालिक ने ही चूहों को मार दिया था और दूसरी जगह अपनी मौत से मरे।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)——क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन मकानों में डी० डी० टी० की गई उनमें हरिजनों के कितने मकान थे ?

(जवाब नहीं दिया गया।)

अदालत पंचायत कंजा कलां, ज़िला जौनपुर की शिकायत

*१३——**श्री बाबूनन्दन**——क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अदालत पंचायत कंजा कलां तहसील, जिला जौनपुर का कार्य करीब ३ १/२ माह से क्यों स्थगित है ?

श्री मोहनलाल गौतम—कार्य स्थगित नहीं है।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इसके पहले इस पंचायत के कार्य के सम्बन्ध में लिखा-पढ़ी की गयी थी ?

श्री मोहन लाल गौतम—जी हां।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि वह शिकायत किस सम्बन्ध में थी ?

श्री मोहन लाल गौतम—शिकायत इस तरह की थी कि एक दिन पंचायती अदालत की बैठक में मगरू अहीर ने सरपंच को कुछ अपशब्द कहे और बाहर निकलने पर मारने की धमकी दी। जब सरपंच ने जिला अधिकारियों को सूचना दी तो अधिकारियों ने जांच करके मगरू अहीर के ऊपर मुकदमा चलाने को कहा। मुकदमा दायर होने के पहले सरपंच का यह कहना था कि मगरू अहीर को तुरन्त सजा क्यों नहीं दी गयी ?

विधान सभा सदस्य श्री नारायण दत्त तिवारी तथा उनके साथियों को जेल में बन्द रखने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—मेरे पास एक कामरोको प्रस्ताव श्री राजनारायण जी ने भेजा है जिसमें उन्होंने कहा है कि "राज्य सरकार की पुलिस ने विधान सभा के सदस्य श्री नारायण दत्त तिवारी तथा अन्य किसान कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके बरेली जेल में एक सप्ताह से बन्द कर रखा है। भारतीय संविधान की धारा २२ के अधीन सरकार की पुलिस को २४ घंटे के अन्दर गिरफ्तार व्यक्ति को किसी कोर्ट में मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना आवश्यक है और राज्य सरकार की पुलिस ने भारतीय संविधान की अवहेलना करके विषम परिस्थिति पैदा कर दी। सदन की राय में इस महत्व के विषय पर विचार करने के लिये आज की कार्यवाही स्थगित की जाय।"

इस प्रकार यह कामरोको प्रस्ताव आया है। संविधान की धारा २२ की अवहेलना करके श्री नारायण दत्त तिवारी और कुछ अन्य लोगों को जेल में बन्द कर रखा है और मैजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया है। यह बात कही जाती है। मैंने इसकी नकल माननीय गृह मंत्री को भेज दी थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि जहां तक फैक्ट्स का सम्बन्ध है इसके ऊपर माननीय गृह मंत्री यदि प्रकाश डाल दें तो अच्छा है।

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि श्री नारायण दत्त तिवारी तथा कुछ अन्य सज्जनों को इस समय बरेली जेल में रखा गया है और यह भी सही है कि वह बरेली में किसी मैजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किये गये। मगर इस मामले का पुलिस से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारी सूचना यह है कि वह हल्द्वानी में गिरफ्तार हुये और गिरफ्तार होने के बाद वहाँ मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किये गये और मैजिस्ट्रेट ने उन सब को बी० क्लास देने को कहा था। हल्द्वानी में बी० क्लास का प्रबंध नहीं था। इसलिये मैजिस्ट्रेट के हुकुम से उनको बरेली जेल भेजा गया और मैजिस्ट्रेट ने उनको २३ फरवरी तक रिमांड दिया। २३ तारीख बीत जाने पर मैजिस्ट्रेट ने बरेली जिला अधिकारियों को २,३ मार्च तक फिर रिमांड भेजा है। तो यह जो मैजिस्ट्रेट का आर्डर था कि इनको बी० क्लास दी जाय यह जुडिशियरी के मातहत मैजिस्ट्रेट ने हुकुम दिया। अब मैजिस्ट्रेट का यह आर्डर बैध है या अवैध है इसका हाईकोर्ट फैसला कर सकता है।

मैं इतना और निवेदन कर दूं कि श्री नारायण दत्त तिवारी और कुछ सज्जनों ने हाईकोर्ट के पास अर्जी दी है कि जिस तरीके से उनको जेल में रखा गया है वह अवैध है। अब यह मामला हाई कोर्ट के सामने है, इस कारण अब इस पर यहाँ बहस नहीं हो सकती है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्री नारायण दत्त तिवारी का तार जेल से मेरे पास आया है। श्री नारायण दत्त तिवारी संविधान की २२ धारा से जो बात निकलती है उसको समझने के लिये काफी काम्पिटैन्ट हैं। मैं समझता हूं कि अगर मैं उस धारा को पढ़कर आपके सामने सुना दूं तो आप इसकी आज्ञा दे देंगे.....

श्री अध्यक्ष—उसको सब जानते हैं।

श्री राजनारायण—तो श्रीमन्, जहां तक मेरी जानकारी है मैं यह समझता हूं कि उन्होंने माननीय पुलिस मंत्री को भी तार दिया था। श्री नारायण दत्त जी यह कहते हैं कि उन्हें किसी मैजिस्ट्रेट के सामने अब तक पेश नहीं किया गया है और उनके ४६ साथी हैं जिनमें प्रमुख वकील दान सिंह जी भी हैं। मैं आपके द्वारा माननीय गृह मंत्री से निवेदन करूंगा कि हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी के लिये कोई मैजिस्ट्रेट भी साथ गये हों और उन्होंने ही उनको रिमांड दे दिया हो। इसमें साफ लिखा है कि He should be produced before the court of a magistrate. उनको मैजिस्ट्रेट की अदालत में हाजिर किया जाय। जो मैजिस्ट्रेट गिरफ्तार करने के लिये जाय और वही हुकुम दे दे तो यह कम्पीटेंट अथारिटी नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार की पुलिस जिस तरह से काम कर रही है वह अनुचित है। हाईकोर्ट के फैसले में विलम्ब लगेगा ही। मगर पुलिस ने उन्हें पेश नहीं किया तो उसकी जांच की जाय और हाईकोर्ट के फैसले के पहले ही माननीय गृह मंत्री ऐसी परिस्थिति पैदा करें कि माननीय नारायण दत्त जी को एक मिनट भी जेल में न रखा जाय।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, मैं यही निवेदन कर सकता हूं कि सुझाव यों तो अच्छा होता लेकिन जबकि हाईकोर्ट के सामने मामला पेश है और फैक्ट का सवाल भी वहां आवेगा कि उनको किसी मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया या नहीं और उस धारा की अवहेलना हुई या नहीं, तो अगर हाईकोर्ट से यह फैसला हो जाय कि उनको किसी मैजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया तब तो हमारे लिये इस मामले में पड़ना उचित होगा वर्ना एक तरह से कनटेम्प्ट आफ कोर्ट की बात होगी।

श्री अध्यक्ष—चूंकि मामला हाईकोर्ट के सामने है और यही वैधानिक प्रश्न विचार के लिये श्री राजनारायण ने यहां रखा है इसलिये यह प्रश्न जबकि वह हाई कोर्ट में भी पेश है, यहां नहीं लिया जा सकता। अगर वहां पेश नहीं होता तो यहां इस पर विचार हो सकता था। फैक्ट्स के सम्बन्ध में भी दो मत मालूम होते हैं। तो ऐसी अवस्था में यह काम रोको प्रस्ताव यहां पेश नहीं हो सकता।

सदन द्वारा प्रदत्त धन्यवाद के उत्तर में श्री राज्यपाल का पत्र

श्री अध्यक्ष—अब मैं यह सूचना देना चाहता हूं कि श्री राज्यपाल जी को, जो धन्यवाद का प्रस्ताव था वह सदन की ओर से इस सदन के ५ माननीय सदस्य, जिनमें मैं और उपाध्यक्ष भी थे, उन्होंने उनके सामने पेश किया। उसके उत्तर में उन्होंने यह पत्र लिखा है :—

"श्री अध्यक्ष जी, मैं आपके फरवरी, १९५४ के पत्र के लिये धन्यवाद देता हूं और विधान सभा द्वारा १३ फरवरी को पारित संकल्प की अत्यन्त सराहना करता हूं, जिसकी सूचना आपने तथा सभा के कतिपय सदस्यों ने स्वयं मुझे देने की कृपा की है।"

बुंदेलखण्ड आयुर्वेदिक कालेज, झांसी की प्रबन्धकारिणी समिति के लिये निर्वाचित सदस्य के नाम की घोषणा

श्री अध्यक्ष—बुंदेलखंड आयुर्वेदिक कालेज, झांसी की प्रबंधकारिणी समिति के लिये एक सदस्य का निर्वाचन हुआ था। २ नामजद हुये थे। उनमें से श्री जोरावर वर्मा जी

ने अपना नाम वापस ले लिया और श्री दीनदयालु शास्त्री (सहारनपुर) विधिवत् निर्वाचित घोषित किये गये ।

रुड़की यूनिवर्सिटी सीनेट के लिये निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष—रुड़की यूनिवर्सिटी सीनेट के लिये ४ सदस्यों के स्थान पर ५ सदस्यों के नामांकन पत्र प्राप्त हुये थे इसलिये चुनाव होने वाला था, लेकिन समय के अन्दर श्री जोरावर वर्मा ने अपना नाम वापस ले लिया इसलिये श्री फूल सिंह, श्री राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री गंगा प्रसाद सिंह और राजा वीरेन्द्र शाह के निर्विरोध निर्वाचित होने की मैं घोषणा करता हूं ।

अनुदानों के समूहों की विवरण-पत्रिका में शोधन

श्री अध्यक्ष—विवरण पत्रिका जिसमें तारीखें और अनुदानों के वर्गीकरण का क्रम दिया गया है, माननीय सदस्यों की टेबिलों पर रख दी गयी है लेकिन उसमें कुछ गल्तियाँ हो गयीं हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि वे कृपा करके जो अब सही तारीखें हैं सदन को बता दें ।

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—जनाबवाला इसमें यह ग़लती है कि जो अनुदानों का गिरोह १५-१६-१७ मार्च के लिये रखा गया है उसमें १७ तारीख को इस सदन की बैठक होने वाली नहीं है और इसके बजाय २२ तारीख को रख दी जाय। इस तरह से वह गिरोह १५-१६-२२ को रहेगा। और इसके बाद दूसरा गिरोह जो २२-२३-२४ को है चूंकि २२ तारीख उधर आ गयी है इसलिये वह २३-२४-२५ को हो जायगा। इस तरह से १५-१६-२२ एक ग्रुप हो गया और दूसरा ग्रुप २३-२४-२५ का हो गया। तारीख १७ से २२ तक सदन की बैठक न होगी।

१९५४-५५ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)

श्री श्रीचन्द (जिला मुज़फ्फ़रनगर)—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं कल पूर्वी जमुना नहर के सम्बन्ध में बोल रहा था और कह रहा था कि यह नहर इतनी अधिक लाभदायक है कि संसार भर में कोई और नहर इसके बराबर नहीं है। उत्तर प्रदेश में दो प्रकार की नहरें हैं। एक तो वे नहरें हैं जो अपनी लागत का ६ प्रतिशत या अधिक देती हैं और दूसरी वे जो ६ प्रतिशत से कम देती हैं। इस प्रकार से दो प्रकार की नहरें लाभ तथा अलाभदायक हैं। एक तो प्रोडक्टिव और दूसरी अनप्रोडक्टिव। यह पूर्वी जमुना नहर पहली प्रकार की नहर है और इसकी सारी लागत से हजारों गुना अब तक पूरी हो चुकी है। ऐसी बुरी दशा में उत्तर प्रदेश में यह नहर जब कि ऐसी अच्छी नहर है, और किसानों को इससे बहुत अधिक लाभ हो सकता है फिर भी उस नहर में पानी दिन प्रति दिन कम होता जा रहा है। इसको हमारे माननीय मंत्री जी तथा उपमंत्री जी स्वयं जाकर छः बार देख भी आये हैं फिर भी मैं समझता हूं कि इस ओर उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस नहर में पहले से पानी जबकि चौथाई रह गया है इस पर भी सिंचाई की दर चौगुनी बढ़ा दी गयी है श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना करूंगा कि नहरें कामर्शल बेसिस (व्यापारिक आधार) पर नहीं बनायी गयी थीं। यदि कामर्शल बेसिस पर बनाई जातीं तो रुहेलखंड की नहरें जो कि प्रदेश को हानि पहुंचा रही हैं उनको अब से पहिले कभी का बंद कर दिया गया होता। सब नहरें नेशनल बेसिस (कौमी आधार) पर बनायी गयी हैं। अतः यह चीज़ गलत है कि ऐसे स्थानों पर भी सिंचाई की दर बढ़ा दी जाय। इसलिये मैं आपके द्वारा यह अनुरोध करूंगा कि कम से कम इस बढ़ी हुयी सिंचाई दर में ही कमी नहीं, बल्कि पहली दर में भी कमी कर देना चाहिये।

[श्री भीचन्द]

अब एक बात जो मैंने कल प्रारंभ की थी वह यह है कि हमारे बजट में किस किस स्थान पर व्यर्थ में रुपया व्यय किया जाता है उसको भी कम करने का कुछ सुझाव आपके सामने रख देना चाहता हूं। हमारे पी० डब्लू०डी० एलेक्ट्रिसिटी, नहर आदि जितने भी निर्माण के कार्य हैं इनमें अधिक संख्या में व्यर्थ में रुपया नष्ट किया जाता है। और यह दोष मैं उन सज्जनों का समझता हूं जो इंजीनियरिंग विभाग के हैं। उनकी लापरवाही से यह सब कुछ हो रहा है। इस सम्बन्ध में हमारी सरकार पूर्णतया और पूरे रूप में रुपया देने लगी है और जाँच-पड़ताल आदि में हमारे मंत्रिगण या सरकार की ओर से कमी नहीं है। अगर कमी जो कुछ भी है वह हमारे इंजीनियर्स की है। तीन प्रकार से रुपये अधिक संख्या में नष्ट किये जाते हैं जिसका कि योग मैंने स्वयं देखा है कि इस वर्ष के बजट में करीब-करीब पौने १२ करोड़ के पहुंच जाता है। एक आकस्मिक व्यय (कंटीजेंसी) है, वह रुपया कंटिजेंसी से कुछ को छोड़ कर अनावश्यक बातों पर यह रुपया व्यय किया जाता है। मेरे बहुत से भाइयों तथा वित्त मंत्री ने कहा था कि अनफोरसीन वर्क में वह रुपया लगा दिया जाता है। अनफोरसीन वर्क में उसको लगाने की क्या जरूरत है जबकि उसके लिये तो पूरक (सप्लीमेंट्री) बजट में ही यह रुपया दे दिया जाता है। यह कंटीजेंसी ऐसी धनराशि है जो साल के अन्त में जब व्यय नहीं होता तो उसे व्यर्थ ही पूरी तरह से खर्च कर दिया जाता है, इससे हमारे देश की बड़ी हानि हो रही है। अतः मैं आपके द्वारा यह माननीय वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जैसे गत वर्ष हमारे सामने माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था कि अगर ऐसा होगा तो मैं इस कंटिजेंसी को, इस आकस्मिक व्यय को समाप्त कर दूंगा, तो मैं फिर प्रार्थना करता हूं कि इस आकस्मिक व्यय को बन्द कर दिया जाय। अगर ५ प्रतिशत से घटा कर इसे १ प्रतिशत रख दिया जाय तो आकस्मिक व्यय के जितने भी छोटे-छोटे व्यय हैं उससे काम चलाया जा सकता है।

एक दूसरी बात जो ठेकेदारों के सम्बन्ध में है शेड्यूल्ड रेट के सम्बन्ध में मैं आपसे यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि ठेकेदार जब किसी निर्माण कार्य, बिल्डिंग या किसी सड़क का ठेका लेता है तो वह २५ प्रतिशत पहले अपना नफा निकाल लेता है। उसमें से १५ प्रतिशत तो ठेकेदार स्वयं अपने पास रख लेता और १० प्रतिशत अफसरों ओवरसियरों आदि को देने के लिये रखता है। यह क्यों, इसलिये कि जो हमारा शेड्यूल रेट है वह सब बढ़ा हुआ है। यदि हमारे माननीय वित्त मंत्री जी और अन्य मंत्रिगण इस बात की ओर ध्यान दें और गरीब जनता की ओर देखें तो १० प्रतिशत अवश्य ही कम किया जा सकता है और शेड्यूल्ड रेट घटाया जा सकता है।

तीसरी बात मैं और आपके सामने रख देना चाहता हूं कि जिसमें बड़ी संख्या में हमारा रुपया नष्ट होता है और वह लगभग २० प्रतिशत के है। यह ३ प्रतिशत जो डिजाइन आदि पर खर्च किया जाता है इसमें एक बड़ी संख्या में रुपये की बचत हो सकती है। पहला मद कंटिजेंसी जो मैंने बतलाया है और उसका ब्यौरा भी मैंने बनाया है उसमें करीब करीब १,५४,४०,००० रु० की बचत की जा सकती है। दूसरे शेड्यूल रेट में कमी करके ५,४०,४२,००० की की बचत जा सकती है और अन्त में डिजाइन के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ६ करोड़ ३५ लाख रुपये की बचत हो सकती है। इस प्रकार कुल ११ करोड़ ७५ लाख रुपये की बचत की जा सकती है। यह मैंने बहुत संक्षेप में आपको बातें बतलायीं। यदि किसी भाई को कोई बात पूछनी हो, या जो ब्यौरा मैंने बनाया है उसे देखना हो तो बड़ी कृपा होगी और बड़ा अनुग्रह होगा यदि वे पूछने का कष्ट करें। कुल बचत ११.७५ करोड़ की की जा सकती है।

इसके बाद एक बात मैं और आपके सामने रख देना चाहता हूं। वह प्रस्ताव मैंने बदलवाया था जो श्री देवकी नन्दन विभव जी की तरफ से लाया गया था लेकिन हमारे माननीय

वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में मिडिल क्लास (मध्यवर्ग) की जो बातें कहीं, मुझे बड़ा अफसोस है कि मध्यम वर्ग, ऊंचे वर्ग, छोटे वर्ग, इस तरह न मालूम कितने वर्ग हो जायेंगे। लेकिन पहले उस छोटे वर्ग पर हमें ध्यान रखना चाहिये, जिनके पास न मकान हैं, फटे-पुराने कपड़े शरीर पर हैं, आधे पेट खाना भी नहीं मिलता। इस वर्ग की ९५ फीसदी इस प्रदेश की आबादी है। मध्यम वर्ग को और गांव के ऊंचे से ऊंचे आदमी को देख लीजिये और उनके खाने-पहनने और मकानों की तुलना कीजिये तो वास्तविकता का पता चलता है और उसी के अनुसार हमको कार्य भी करना चाहिये। इस प्रकार का वर्ग बनाने से किसान-मजदूरों का अहित होता है। जय हिन्द

श्री शिवराज सिंह यादव (जिला बदायूं)---माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बजट हमारी लोकप्रिय सरकार का एक साला फाइनेंश्यल मास्टर प्लैन है जो वित्त मंत्री द्वारा उपस्थित किया गया है और इसमें हमारे वित्त मंत्री जी ने संक्षेप में पिछले साल जो योजनायें थीं और अगले साल जो योजनायें रखी जा रही हैं और उनके ऊपर गवर्नमेंट की पालिसीज क्या हैं इसका एक नक्शा पेश किया है। जहां तक मुझे पब्लिक फायनेन्सेज का थोड़ा सा किताबी ज्ञान है इस बजट में वह तमाम खूबियां हैं जो इस विषय के पंडित आजकल एक अच्छे बजट में मानते हैं। आदरणीय वित्त मंत्री जी ने अपनी योग्यता, से अपनी प्रतिभा से और अपनी विद्वता से इस बजट को एक साफ़ सफ़ाफ़ आइने के रूप में अपनी स्पीच द्वारा सदन के सामने रखा है उससे इस बजट में और भी चार चांद लग गये हैं। इसलिये वे इस सदन के बधाई और प्रशंसा के पात्र बन जाते हैं।

मान्यवर, मैंने इस बजट को एक किसान की दृष्टि से देखा है और मुझे बड़ी खुशी हुयी कि इसके खर्च का बेश्तर हिस्सा गांवों और गांव के रहने वालों पर, खेती, खेती सम्बन्धी बिजली और आबपाशी की जो योजनायें हैं उन पर खर्च हो रहा है। इसलिये दरअसल यह बजट किसानों का बजट है। उत्तर प्रदेश एक कृषिप्रधान प्रांत है जिसके ८६ फीसदी लोग गांवों में रहते हैं। या खेती पर अपनी जीविका के लिए आश्रित हैं। इसलिये यह बजट स्वयंसिद्ध हो कर एक वैलफेयर स्टेट का बजट बन जाता है। वेलफेयर स्टेट एक नया और ताजा पोलिटिकल आइडियल है जिसकी ओर आजकल दुनिया की तमाम तरक्की याफता सरकारें दौड़ने की कोशिश कर रही हैं। वेलफेयर स्टेट आज दो उसूलों पर समझा जाता है। एक यह कि जो सरकारें ज्यादा से ज्यादा अपनी जनता को सोशल सर्विसेज बहम पहुंचाती हैं और दूसरा यह कि जो सरकार अपनी जनता के स्टैन्डर्ड आफ लिविंग को जितना ऊंचा उठाने की कोशिश करती है वह उतना ही ज्यादा वेलफेयर स्टेट की चरमसीमा को छूने के लिये कोशां मानी जाती है। ब्रिटेन में आजकल इसके लिये जो कदम उठाये गये हैं उनकी बहुत चर्चा होती है। लड़ाई से पहले ब्रिटेन के अन्दर सिर्फ तीन सौ मिलियन पौंड्स खर्च होता था आजकल उसका बजट इस ओर पांच गुना हो गया है यानी १७ सौ मिलयन पौंड्स सोशल सर्विसेज पर खर्च होता है। हमारे प्रांत में यदि हम सोशल सरविसेज के बजट के आंकड़ों को देखें तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि इस बजट द्वारा हम अगले साल २० करोड़ रुपया सोशल सर्विसेज पर खर्च करने जा रहे हैं। तो जब आज हम अपने बजट का २५ प्रतिशत सोशल सर्विस पर इस राष्ट्र निर्माण की योजनाओं का खर्च करते हुए कर दें तो काफी तारीफ की बात है। किसी प्रांत के बसने वालों का स्टैन्डर्ड आफ लिविंग वहां के टोटल प्रोडक्शन और वहां के बसने वालों की संख्या के अनुपात से लगाया जाता है। यदि हम वित्त मंत्री जी की स्पीच के सातवें सफ़े पर देखें तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि सन् १९४६–४७ में इस स्टेट में जो उत्पादन बढ़ाने वाली योजनाओं पर खर्च हुआ था आज ५४–५५ में उत्पादन बढ़ाने वाली योजनाओं पर जो खर्च रखा गया है है उसमें १ और १७ का अनुपात है। इससे यह स्वयंसिद्ध हो जाता है कि यह राज्य १७ गुना जनता का जीवन स्तर बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहा है। और तारीफ की बात यह इसलिये और भी हो जाती है कि ब्रिटेन में यह सब कुछ बहुत ऊंचा टैक्सेशन करके किया

[श्री शिवराज सिंह यादव]

गया है। वहां लड़ाई के पहले जहां ३ हजार पौंड टैक्स देने के बाद आपके व्यक्ति ४० हजार थे वहां अब ८६ रह गये हैं। एक मामूली मजदूर को १ पौंड पर भी ७ शिलिंग ६ पेंस तक टैक्स देना पड़ता है यानी उसकी आमदनी का ३८ परसेंट दे देना पड़ता है। लेकिन हमारी सरकार ने वेलफेयर स्टेट बनाने के लिये जो कदम उठाया है उसमें उन्होंने साफ-साफ कहा है कि जब तक खास परिस्थिति न उत्पन्न हो जाय तब तक कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा है। यह एक तारीफ की बात है। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बजट से संतोष होता है कि आजकल जो हमारी टूटी फूटी ऐग्रेरियन एकोनामी है और जो कमजोर ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था है और उसकी जो विषम समस्यायें हैं उसको भी दूर करने के लिये सरकार ने सक्रिय कदम उठाये हैं। एक तो रूरल फाइनेन्स और दूसरे रूरल अण्डर इम्प्लायमेंट। हमारे प्रान्त में ८५.४ प्रतिशत काश्तकार ऐसे हैं जो अनएकोनामिक होल्डिंग्ज लिये बैठे हैं और उनके पास सामूहिक रूप से ४५ प्रतिशत कुल प्रान्त की कृषि योग्य भूमि है। दूसरे अल्फाज में इसका मतलब यह होता है कि ८५.४ प्रतिशत ऐसे काश्तकार हैं जिनके पास इतनी जमीन नहीं है कि साल भर जिससे उनका कुटुम्ब काम पा सके या साल भर के बाद पर्याप्त मात्रा में रुपया बचता हो। यह समस्या विषम इसलिये होती है कि ८५.४ लोग दिनबदिन ग़रीब होते जा रहे हैं और ४५ प्रतिशत जमीन पर उत्पादन के लिये रक़म नहीं लग पाती है। जब कि आजकल दूसरे मुल्कों के लोग यह कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जमीनें मालदार हो जायं और आने वाले १०, १५ सालों तक उसमें खाद डालने की जरूरत न पड़े और उसमें बम्बर क्राप्स बिना खाद के होते रहें। हमारी सरकार ने भी जो ४५ फीसदी जमीन दिन बदिन कमजोर होती जा रही है उसके लिये कदम उठाया है और उसने निश्चय किया है कि इस साल २० हजार समितियां बनायी जायंगी जो गांवों में ऋण और क़र्ज़ देने का काम करेंगी। यही नहीं बल्कि उसने यह भी एलान किया है कि इस बजट के द्वारा रेट आफ इन्टरेस्ट जो कि पहले १२ और १५ फीसदी हुआ करता था वह ९ फीसदी होगा। इस ओर मैं सरकार को कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

एक तो यह कि अनएकोनामिक होल्डर्स को गांव के मनी लैन्डर्स से बचाने के लिये मनी लैन्डर्स का कम्प्लीट रजिस्ट्रेशन करायें। दूसरे यह कि जो इंटरेस्ट वह चार्ज करते हैं उसकी एक सीमा आप मुकर्रर कर दें। तीसरे यह कि जो सोसाइटीज कर्जा बांटे वह जरूरत वालों को दें चाहे वह सबसीडी के तौर पर देना पड़े। इस सम्बन्ध में मैं सरकार की प्रशंसा करता हूं कि उसने गांवों की रूरल फाइनेंसिंग को ठीक करने के लिये उसने बजट में काफी रुपया रखा है।

दूसरी समस्या प्रान्त में जो ग्रामीण वर्ग की नजर आती है वह अनइम्प्लायमेंट की है। सरकार ने कहा है कि उसके पास बेरोजगारी के आंकड़े नहीं हैं। अगर कांग्रेस ऐग्रेरियन रिफार्म्स कमेटी की रिपोर्ट देखी जाय तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इस समय गांवों में बसने वालों में ५० फीसदी ऐसे हैं जिनका काम आज की जमीनों से नहीं चल सकता। ५५.४ प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिनके पास २ या २ से कम एकड़ जमीन है। यदि यह मान लिया जाय कि उन सबके पास २ एकड़ जमीन है और इस प्रान्त में जब कि हम एकोनामिक होल्डिंग्ज ६ एकड़ की मानते हैं तो ३६ प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनके पास काम नहीं है। वह जमीनें जो २ एकड़ वाली हैं वह सिर्फ १८ प्रतिशत लोगों के लिये काम दे सकती हैं और २ एकड़ से ५ एकड़ तक वालों की तादाद ३० प्रतिशत है। यदि औसतन उनके पास ४ एकड़ जमीन मान ली जाय, तो १० फीसदी किसानों को पर्याप्त मात्रा में यह जमीनें काम नहीं दे सकती हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि ३६ जमा १०-४६ प्रतिशत काश्तकार ऐसे हैं जो बोझा बने हुये हैं। अगर उनको गांवों से निकाल भी लें तो फिर भी वहां काश्त करने के लिये काफी लोग बच रहते हैं। ऐसे ४६ प्रतिशत काश्तकार गांवों की आबादी के ४२ प्रतिशत होते हैं। १० प्रतिशत लोग या तो ऐसे हैं जो भूमिहीन हैं या और कोई व्यवसाय करते हैं। इस १० प्रतिशत में भी ८ प्रतिशत मजदूरी करते हैं। तो ४२ और ८ जोड़कर ५० फीसदी ऐसे लोग होते हैं जिनके लिये कल्चुरेबिल लैन्ड जो

अब अधिक मात्रा मे बढ़ाई नहीं जा सकती है उनको जमीन पर नहीं काम दिया जा सकता है। सरकार ने इस बजट में दो सक्रिय कदम अनइम्प्लायमेंट दूर करने के लिये उठाये हैं। एक यह है कि मोबाइल ट्रेनिंग स्क्वाड्स गांवों में काम करेंगे और जगह जगह गांव वालों को वोकेशन्स सिखायेंगे। दूसरे फाइनेंशल corporation बनाया गया है जिसके लिये ३ करोड़ रुपया इस बजट में रखा गया है। इसके द्वारा गांव की काटेज इंडस्ट्रीज के लिये ऋण दिया जायगा। मैं समझता हूं कि इस कदम से काफी रिलीफ बेरोजगार लोगों को मिलेगा। किसी संकीर्णता के नाते नहीं लेकिन वस्तुस्थिति को देखते हुये मैं यह कहूंगा कि बदायूं जिला कुछ हालत में, वहां की शिक्षा, वहां के यातायात के साधन, वहां के आबपाशी के साधनों के लिहाज से पूर्वी जिलों से मिलता है। लेकिन मुझे दुख है कि पश्चिमी जिलों की तरह से उसके साथ व्यवहार होता है। वहां के आबपाशी के नये साधनों पर, यातायात के नये साधनों पर और शिक्षा के प्रसार के लिये कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मेरा अनुरोध है कि पूर्वी जिलों की भांति सरकार इस जिले की ओर भी अपना ध्यान आकर्षित करे।

अन्त में मेरा एक सुझाव यह है कि यह बजट बनाने की जो प्रणाली है उसमें थोड़ा सा अन्तर कर दिया जाय। आजकल जो बजट बनता है और पेश होता है वह एक्जिक्यूटिव बजट है। एक्जिक्यूटिव के सदस्य उस पर गौर कर के और एक दो कमेटियों के लोगों से राय लेकर के उसको सदन के सामने पेश कर देते हैं। मैं यह नहीं कहता कि बजट लेजिस्लेटिव बजट कर दिया जाय, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ऐप्रोप्रियेशन कमेटियां और ज्यादा से ज्यादा एस्टिमेट्स कमेटियां बनाई जायं ताकि पब्लिक कंट्रोल बजट पर ज्यादा हो सके और ज्यादा विचार हो करके बजट सदन के सामने आ सके।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)––अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भाषण का समय १० मिनट कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष––मैं इनके भाषण के बाद इस प्रस्ताव को ले लूंगा।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)––माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं और मैं यह प्रस्ताव रखता हूं कि मंत्रीगण अपनी ग्रांट पेश करने के वक्त अपना जवाब दे दें। इस समय माननीय वित्त मंत्री जी ही सबका जवाब दे दें। इससे माननीय सदस्यों को बोलने के लिये अधिक समय मिल जायगा।

सदन की बैठक के समय में वृद्धि

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)––अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव यह है कि आज सदन का समय रात के ८ बजे तक कर दिया जाय।

श्री राम नारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)––अध्यक्ष महोदय, जहां तक समय बढ़ाने का सवाल है, मैं समझता हूं कि वह साढ़े ४ बजे ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष––प्रस्ताव मेरे सामने आ गया है, मैं इस पर राय ले लूंगा। माननीय नेकराम शर्मा, आप अभी राय लेना चाहते हैं?

श्री नेकराम शर्मा––जी, अभी राय ले ली जाय।

श्री रामकृष्ण जैसवार (जिला मिर्जापुर)––माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जिसे कभी साल भर में बोलने का मौक़ा नहीं मिलता है कम से उसे पहले बोलने का मौक़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—इस समय यह प्रश्न नहीं है। पहले प्रश्न यह है कि आज सदन का समय कब तक बढ़ाया जाय।

श्री चन्द्र सिंह रावत (जिला गढ़वाल)—समय का बजट जरूर मिलना चाहिये।

वित्त मंत्री (श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम)—मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सदन का समय आज ५ बजे से बढ़ाकर ८ बजे तक कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

१९५४–५५ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)

श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)—अध्यक्ष महोदय, सरकार के बजट में जो भी कुछ हो मैं वित्त मंत्री जी को इसलिये बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बजट को रखते हुये यह साफ कहा है कि किसी भी सरकार का बजट उसकी जितनी कार्यवाहियां जनता की भलाई के लिये हों, जनता की जलालत, भुखमरी या ग़रीबी को दूर करने के लिये हों, उनका एक आइना है। तो इसलिये मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। जहां तक दूसरी मदों का सम्बन्ध है मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सन् ३६ से लेकर सन् ५४ तक यह बजट १२ करोड़ से बढ़कर ८१ करोड़ हो गया। इतनी बढ़ोतरी होना इस प्रदेश की उन्नति का द्योतक है। कहा जाता है कि हरिजनों के लिये सन् ४६ से ५४ तक ६ लाख से बढ़ कर ५० लाख रुपया हो गया है। पिछड़ी हुई जातियों को मिला कर ७० लाख है। तो वहां और मदों में बढ़ोतरी हुई है महंगाई या और दूसरे कारणों से उसी रेश्यो से यह भी बढ़ोतरी हुई है लेकिन अगर इस रेश्यो को नापा जाय तो वह उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिये थी। पिछड़ी हुई जातियों के लिये जो कुल तखमीना आया है वह सारे बजट का .८६ परसेंट है और हरिजनों का .६१७ परसेंट है। सन् १९५२ की शेड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर की रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास भेजी गई और पार्लियामेन्ट ने उसको स्वीकार किया और मैं समझता हूं कि वह रिपोर्ट अब देश के सारे प्रान्तों की पालिसी है। उन्होंने रिपोर्ट में कहा है :—

"It would be admitted that in order to raise the standard of living of the backward class people, we must have well organised schemes for their all-round progress. In addition to educational facilities, the following are urgent needs of these people which require immediate attention:—

(*a*) Provision of housing.

(*b*) Supply of drinking water.

(*c*) Provision of land for tilling.

(*d*) Development of cottage industries.

(*e*) Improvement of sanitation.

(*f*) Provision of free legal aid.

(*g*) Field and propaganda work for the removal of untouchability and forced labour.

I consider that a substantial portion of the revenue of a State consistent with the ratio proportion of the back ward classes living in a State should be set apart to start the schemes to meet the above needs of these people. I also consider that the progress made in the schemes based on the above lines is the real index from which one can judge the achievement of the State concerned. With a view to ascertaining the real progress made in the various directions by each State, I had requested the State Governments to give information on the physical targets fixed and physical targets achieved in various schemes during each year."

तो जहां तक इस सरकार की पालिसी का सम्बन्ध है वह तो स्पष्ट है और जहां तक भारतीय सरकार की पालिसी का सम्बन्ध है वह भी स्पष्ट है कि उसने यह चीज स्वीकार की है कि स्टेट की आमदनी के रेश्यो प्रोपोर्शन से हरिजनों पर खर्च होना चाहिये। तो इस तरीक़े से अगर हिसाब लगाया जाय तो ८१ करोड़ के बजट में से साढ़े २० करोड़ रुपया उन जातियों के ऊपर खर्च करने के लिये होना चाहिये जिनके पास मकान नहीं हैं, खाना नहीं है, जो ग़रीब हैं, जो दबे हुये हैं। जब यह पालिसी सरकार की है तो उस पर चलना चाहिये। प्लानिंग कमीशन ने पंच वर्षीय योजना में पिछड़ी हुई जातियों की शिक्षा के लिये २,३६,२०,००० रुपये रखे हैं जो क़रीब १३,००४ वजीफ़ों को देने के लिये हैं। लेकिन अब तक वह योजना कहां गई ? १४ लाख रुपया दिखलाया गया है कि प्लानिंग स्कीम के अनुसार हम खर्च कर रहे हैं लेकिन बाक़ी के लिये कुछ नहीं किया गया है। पर यह बढ़ोतरी तो प्लानिंग कमीशन की सिफारिश के अलावा है। जैसा मेहतरों के मकान बनवाने के लिये और जरायम पेशा जातियों के लोगों को बसाने के लिये केंद्रीय सरकार ने दिया है। तो इस तरीक़े से कहने के लिये तो कहा जाता है कि हम जितना रुपया हरिजनों के लिये खर्च कर रहे हैं वह प्लानिंग के आधार पर ही कर रहे हैं। मैं दो साल का बजट देखता हूं तो यह पाता हूं कि पिछले साल ७३ करोड़ रुपये का बजट था और उससे पहले साल ६४ करोड़ रुपये का था। इस तरह से दोनों सालों का बजट मिलाकर १३७ करोड़ कुछ लाख हो जाता है। अगर यही बात है तो प्लानिंग की स्कीम पूरी हो गयी है। इसलिये आगे इसकी चर्चा करना फ़जूल है। और अगर यह गलत है तो फिर शिड्यूल्ड कास्ट के लिये वही बात है कि जितना देना चाहिये उतना नहीं दिया जा रहा है।

यह बजट एक तरह से अमीरों के लिये है ग़रीबों के लिये नहीं है। जो झोपड़ियों में रहते हैं, जिनके लिये रोटी कपड़े का बन्दोबस्त नहीं है, जिनके लिये मकानों का कोई बन्दोबस्त नहीं है, उन विचारों को दवा दारू तो क्या मिल सकेगी ? यह बजट उन लोगों के लिये नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन सब चीजों के लिये एक खास रक़म की आवश्यकता है। अगर वह नहीं दी गयीं तो वो सब वैसे के वैसे ही पड़े रहेंगे और यह लोग नीचे के नीचे ही पड़े रहेंगे। ऊंचे के लोग तो उठते जायेंगे और नीचे वाले और नीचे गिरते चले जायंगे। इस तरह से तो जनता का कल्याण नहीं होगा और इस राज्य को कल्याणकारी राज्य तो नहीं कहा जा सकेगा। इसलिये नीचे के लोगों को बराबरी और समता पर लाना चाहिये। इससे मेरा यह आशय नहीं है कि जो लोग ऊंचे हैं उनको नीचे गिराया जाय लेकिन इतना जरूर है कि उन्हीं के लिये अधिकतर किया जाता है और जिनको जरूरत है उनके लिये कुछ नहीं किया जाता यानी उनकी जरूरतों को पूरा नहीं किया जाता है।

अब मैं एक बात की तरफ सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। कल श्रीराजनारायण जी ने कहा था कि सभी को कुर्बानी देना चाहिये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ग़रीब के पास क्या है, मजदूर के पास क्या है, उस बेचारे को तो मजदूरी भी नहीं मिलती है। अगर उनकी हालत देखी जाय तो वह दिन ब दिन गिरती जा रही है। वह भूखों मरता है। एक वक्त खाना खाता है और दूसरे वक्त बिना खाना खाये ही सो जाता है। उसके बच्चे को पेट भरने के लिये मेहनत मजदूरी करना पड़ता है, उसकी शिक्षा की बात तो दूर रही। ऐसी सूरत में वह कुर्बानी कैसे कर सकते हैं ? इसमें मुझे शंका है। अमीर चाहे जितना रुपया दे सकते हैं और देना भी चाहिये जितनी सामर्थ्य हो इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि जितनी सामर्थ्य हो उतनी कुर्बानी लेनी चाहिये।

जमींदारी जो आपकी खत्म हुई है उससे ऊंचे दर्जे के किसानों और छोटे जमींदारों को लाभ हुआ है और मजदूर किसानों को कुछ लाभ नहीं हुआ। ऐग्रेरियन प्राबलम को लेकर आज भी जमींदारों और किसानों के झगड़े मौजूद हैं और सहारनपुर में जमींदारों के ७ कत्ल हुये हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर यही दशा रही तो आगे क्या होगा ?

आज कल इंसाफ भी नहीं मिलता है। जहां एक-एक जमींदार आठ-आठ, दस-दस मुकदमों में हरिजनों को फसांये रहते हैं मुकदमों के फैसल होने में बड़ी देर लगती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसके लिये सरकार की कोई साफ नीति होनी चाहिये जिससे गरीब लोगों को न्याय और इंसाफ मिल सके नहीं तो हालत और भी खराब हो जायगी।

[श्री जयपाल सिंह]

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक वेलफेयर स्टेट की बात है मैं कलेक्टर के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। मेरे यहां के एस० पी० और कलेक्टर ने यह कहा कि आप मेरे पास न आया करें। महात्मा जी के कथनानुसार यह छोटे वायसराय हैं। जब ऐसी हालत है तो बेचारे ग़रीबों की कैसे इस राज्य में गुज़र हो सकती है? इस प्रकार से तो वेलफेयर स्टेट नहीं बन सकती है। दूसरे कर्मचारियों को रखने के लिये तो वह जैसे कार्य करते हैं, वह करते ही हैं, उसके लिये तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं लेकिन इतना ज़रूर कहूंगा कि इस तरह से वेलफेयर स्टेट नहीं बन पायेगी। इसलिये आपको अपने आफिसर्स को ठीक करना चाहिये। हमारे यहां कांस्टीट्यूशन में फ्री कम्पलसरी एजूकेशन के लिए व्यवस्था है लेकिन हमारी सरकार इस ओर क़दम नहीं उठाती है। उन ज़गहों में इसको करना चाहिये जहां गरीबों की तादाद ज्यादा है ताकि ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचे। अमीर लोग तो शहरों और कस्बों में रहते हैं लेकिन ग़रीब लोग छोटे-छोटे गांवों में झोपड़ियों में रहते हैं, वहां फ्री एजूकेशन की व्यवस्था की जानी चाहिये।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस हमारे यहां की इतनी जालिम है कि उस पर रुपया बढ़ाया जाना ठीक नहीं होगा। मैं यह नहीं कहता कि इंतज़ाम के लिये रुपया न बढ़ाया जाय। इंतज़ाम के लिये रुपया ज़रूर बढ़ाया जाय। लेकिन अगर इंतज़ाम ठीक न हो तो रुपया बेकार जाता है। मैं सहारनपुर की मिसाल देना चाहता हूं। वहां पर पुलिस थानेदार के जरिये क़त्ल तक हो जाते हैं। तो इससे नाकारा क्या बात होगी कि पुलिस से लोग मारे जाते हैं और केसेज दबाये जाते हैं। सदर सहारनपुर कोतवाली में इस तरह के केस दबाये गये हैं। जहां तक नौकरियों का सम्बन्ध है माननीय शिवनारायण जी ने कहा था कि हमें सुरक्षित स्थानों की ज़रूरत नहीं है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि कानपुर में हरिहर नाथ शास्त्री की सीट खाली है, आप यहां से हट कर उसके लिये खड़े हों और जितनी चतुरता और होशियारी आप कर सकते हैं वह करके उचित स्थान प्राप्त कर सकते हैं? अभी कौंसिल आफ स्टेट के एलेक्शन पिछले दिनों हुये और यहां पर हुये हैं। बावजूद इसके कि सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोट था, कितने लोग उसमें जा सके? मैं यह नहीं कहता कि पूरे जायं लेकिन एक आधार तो हो। तो मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि इस तरह से उन्होंने एक बात तो उठायी, मैं उसके लिये उनको धन्यवाद देता हूं। अगर वह अपने कहे पर अमल करके दिखलायेंगे तो वह एक सही कदम होगा।

बेकार जमीनों की बात कहना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं की कि किस तरह से जमीन उठानी चाहिये। कुछ एलाटमेंट के जरिये दी गयी है जो ट्रैक्टर्स से जोती जानी चाहिये। काशीपुर और तराई भाबर में किसानों को जमीन दी गई। खेतिहर लोगों को इस प्रकार से जमीन देने की व्यवस्था कोई नहीं है। बंजर जमींन को ट्रैक्टर के जरिये तोड़ने के लिये बेकार की बात है। जिस तरह से वह दी जाती है इसी तरह से वापस ली जाती है कि उन्होंने ज़मींन नहीं तोड़ी है। ऐसी अवस्था में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जमीन देने की कोई खास व्यवस्था नहीं है। अगर ज़मीन दी जाती है तो अपने रिश्तेदारों को दी जाती है। एक मिसाल मुझको याद है कि हमारे यहां से जो जमीन दी गयी है सहारनपुर में, खादर में भी दी गई है, पथरी में भी दी गयी है। इस तरह से नाजायज फायदा यह अफसर उठाते हैं। बड़े-बड़े अमीरों का पेट भर जायगा, ऊंचा हो जायगा लेकिन ग़रीबों के मकान नहीं बनेंगे, शिक्षा नहीं मिलेगी, रोटी नहीं मिलेगी। घरेलू दस्तकारियों की ओर भी ज्यादा तवज्जह देने की आवश्यकता है। बख्शी के तालाब जैसे दो केंद्र बनाने की बात कही गयी है, लेकिन ऐसे सैकड़ों बनाने चाहिये तभी काम होगा।

शिक्षा की यह हालत है कि कानपुर में लोगों को शिक्षा पूरी करने के लिये जाना होता है, तो इस तरह से यह अधूरी तालीम है। उसको निपुण करना है और आगे के लिये इससे अच्छा

है कि ग्रान्ट न दी जाय। अगर दी जाती है तो उसके लिये कोई खास क़दम उठाना चाहिये। इसके बाद मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हरिजन सहायक बोर्ड जो पालिसी हरिजनों के विषय में तय करता है उसकी पिछली जो मीटिंग हुई थी उसमें फ्री होस्टलों के लिये, वजीफों के लिये और दस्तकारियों लिये प्रस्ताव पास हुये थे। लेकिन बजट में उस पालिसी पर अमल नहीं हुआ है। जहां और बातें हैं वहां ४० से घटा कर वजीफा ३० कर दिया गया है, जब कि सेंट्रल में ४० रुपया माहवार दिया जाता है तो ऐसी अवस्था में इन प्रस्तावों को कार्यान्वित नहीं किया गया।

जहां तक हरिजन खेतिहर मजदूरों की बेरोजगारी का सवाल है, जो अनपढ़ हैं, देहात में रहते हैं उनकी बेरोजगारी को दूर करने लिये कोई व्यवस्था नहीं है। वह जानवरों की तरह से रहते हैं। उनके लिये कोई स्कीम सर्वे की नहीं है। इसलिये अगर सरकार वास्तव में चाहती है कि कल्याण हो और उसको ऊंचा करें और जनकल्याणकारी राज्य स्थापित हो सके तो उसके लिये सरकार को सही क़दम उठाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—अभी यह प्रश्न उठाया गया था कि हर एक सदस्य के भाषण का समय १० मिनट कर दिया जाय। तो इसके बारे में मैंने कहा था कि श्री जयपाल सिंह जी के भाषण के बाद मैं सदन से पूछ लूंगा। अभी तक जो बोल चुके हैं उनकी २८ संख्या है, जो परसों से इस वक्त तक बोल चुके हैं और बोलने की इच्छा प्रकट करने वाले लोग हैं वह इनसे शायद ड्योढ़े और हैं। तो ऐसी हालत में अगर अधिक से अधिक लोगों को बोलने का मौक़ा दिया जाय तो अच्छा है। जो लोग कभी बोले ही नहीं ऐसे भी कुछ लोग हैं। तो १० मिनट का समय उचित है। लेकिन उसमें मैं थोड़ा सा फर्क यह कर देना चाहता हूं कि जो विरोधी दल हैं उनके एक-एक सज्जन को यानी विरोधी दल में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी भी है, दूसरा जो एक संयुक्त ग्रुप है उनकी दूसरी पार्टी है और जो सबसे अल्पसंख्यक पार्टी कह लीजिये या व्यक्ति कह लीजिये श्री झारखंडे-राय जी हैं, उनके लिये १५, १५ मिनट रहेगा, सिर्फ तीन आदमियों के लिये क्योंकि मैंने कल उनसे कहा था कि मैं उनको मौका दे दूंगा तो उनका समय यदि कम कर दिया जाय तो अनुचित होगा जिस पार्टी के पास ज्यादा बोलने वाले लोग हैं वह थोड़ा सा अधिक समय कर लें तो उचित होगा। उक्त तीन सदस्यों के अतिरिक्त दूसरे लोग भी दूसरी पार्टी के जो होंगे वह भी संयम कर लें। उनके लिये भी दस मिनट रहेगा। लेकिन अल्पसंख्यक पार्टियों में से सिर्फ एक-एक को मैं इजाजत जरूर दूंगा जो १५ मिनट बोल सकें, इसलिये कि वह उचित प्रकार अपना विचार प्रकट कर सकें और उनका विरोधी दल का, बजट के विषय में थोड़ा सा हक़ भी ज्यादा रहता है क्योंकि टीका-टिप्पणी अधिक वही करना चाहते हैं। तो यही तरीक़ा अब रहेगा।

श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)—मैं यह जानना चाहता हूं कि जो किसी पार्टी के नहीं हैं उनके लिये क्या रहेगा?

श्री अध्यक्ष—उनके लिये तो चूंकि वे यह शक कर रहे हैं कि शायद उन्हें इस सदन से ही जाना पड़े इसलिये उन्होंने प्रार्थना की है कि आज उनको बोलने का मौक़ा दे दिया जाय जो अवश्य दिया जावेगा।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—मेरा सुझाव यह है कि मंत्रियों का समय ६ बजे से निश्चित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—यह तो अभी से तय हो नहीं सकता।

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा (जिला झांसी)—अध्यक्ष महोदय, इस बजट के लिये जो कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना की ओर हमको ले जाता है, निश्चयपूर्वक मैं श्री वित्त मंत्री को बधाई देना चाहता हूं। अभी मुझसे पूर्व वक्ता श्री जयपाल सिंह ने इसको अमीर आदमी का बजट

[श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा]

बताया। इसके पूर्व भी कल एक दो विरोधी दल के माननीय वक्ताओं नेइस बजट को कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने वाला बजट नहीं बताया। मैं अधिक नहीं जानता कि कल्याणकारी राज्य क्या होता है लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि जिस राज्य की ज्यादा से ज्यादा आमदनी और ज्यादा से ज्यादा साधन उस राज्य के नागरिकों के जीवन के स्तर को ऊंचा करने के लिये लगाये जायं ,राज्य के नागरिकों को वह सुविधायें उपलब्ध की जायं जिनसे उनका आर्थिक, राजनैतिक और नैतिक कल्याण हो तो मैं समझता हूं कि ऐसे राज्य की स्थापना करने के लिये प्रत्येक प्रयत्न कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने वाला प्रयत्न कहा जायगा। जब हम बजट को इस पर नापते हैं और इस बजट को देखते हैं तब मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूं कि यह एक बड़ा साहसिक कदम है जो कि यहाँ की सरकार ने और वित्त मंत्री ने उठाया है। वित्त मंत्री और यह सरकार यह नहीं कहती है, यह दावा नहीं करती है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो गयी। उनका तो केवल इतना ही कहना है कि यह इस देश की और इस राज्य की जो विषम समस्यायें हैं और परिस्थितियाँ हैं, जो भुखमरी, ग़रीबी, अशिक्षा दरिद्रता है उसको दूर करने के लिये हमने एक प्रयास किया है। वह मानते हैं कि अब भी यहाँ पर दरिद्रता है, अब भी बेरोजगारी है, अब भी अशिक्षा है, अब भी स्कूलों का इन्तजाम नहीं है, अब भी गृह उद्योग धंधे नहीं हैं। वे इस बात को स्वीकार करते हैं,यह नहीं कहते कि हमारे यहाँ सर्वत्र शान्ति है और अब कोई भी दिक्कत और मुसीबत यहाँ के नागरिकों को नहीं है। वह तो बस इतना कहते हैं कि हम एक प्रयास कर रहे हैं कि इस ग़रीबी को दूर करने के लिये और हम देखें जैसा मैंने कहा यह प्रयास एक बहुत साहसिक कदम है। इसमें से ३० करोड़ रुपया यहाँ की निर्माणकारी योजनाओं में लगाया जायगा। इसमें चतुर्मुखी उन्नति का प्रयास किया गया है। सिंचाई में, उद्योग-धंधों में, स्कूलों में, अस्पतालों में और जो दूसरी योजनाएं हैं उनमें उन्होंने कदम उठाया है। मैं समझता हूं उसके लिये उन्हें अवश्य बधाई देनी चाहिये।

जहाँ तक पुलिस और ऐडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है वहाँ पर २१ लाख पुलिस और जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन में कम किया गया है। मैं समझता हूं कि मामूली तौर पर इसके लिए भी वह बधाई के पात्र हैं। ढाई करोड़ रुपये की और दूसरे विभागों में कमी की गयी है। लेकिन मैं समझता हूं कि मामूली तौर से यह क़दम जो उठाया गया है वह उचित है लेकिन मुझे थोड़ी सी शंका होती है जब कि पुलिस में कमी करने की बात सोची जा रही है। हमारे ऊपर आज एक संकट की घटा घिरती चली आ रही है। पाकिस्तान-अमेरिकन पैक्ट की हर जगह चर्चा है और रोज अखबारों में उस सम्बन्ध में निकल रहा है। इसके साये में वह तत्व भी जिन्होंने इस प्रदेश में हमेशा उपद्रव करने का प्रयत्न किया, जो कि इस देश के बटवारे के लिए जिम्मेदार हैं, जिन्होंने इस देश में भीषण रक्तपात किया, जिनकी प्रेरणा से इस देश में रक्त की नदियाँ बहीं, आज वे फिर इस देश में साम्प्रदायिक विष फैलाने के लिये तत्पर हैं और उनकी माँग है कि होली जैसे धार्मिक त्यौहार और सांस्कृतिक त्योहार जो इस देश में अनेकों वर्षों से होते आ रहे हैं उन पर प्रतिबन्ध लगाया जाय। उनका दावा है कि होली के त्यौहार पर ऐसी बातें की न जायं जिससे साम्प्रदायिक तनातनी बढ़े। मैं आप की आज्ञा से अध्यक्ष महोदय, उन लोगों तक यह चेतावनी पहुंचाना चाहता हूं कि यदि वे इस देश की संस्कृति के साथ नहीं घुल मिल सकते, यदि वे इस देश की उन्नति के लिये प्रयत्नशील नहीं हो सकते और अलग अलग डिब्बों में बटे रहने की मनोवृत्ति को नहीं छोड़ सकते तो उनको चाहिये कि वे जल्द से जल्द इस देश से चले जायं, तभी उनकी और इस देश की रक्षा हो सकती है और कोई दूसरा तरीका नहीं है। ऐसे मौके पर जब कि ऐसे तत्व इस देश में प्रबल होते जा रहे हों, उस समय पुलिस के बजट में कमी कर दी जाय, इसमें मुझको कुछ ख़तरा नजर आ रहा है। इसलिये मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के तत्वों पर नजर रखने की बहुत आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है कि वह इस तरह के तत्वों को हर्गिज नहीं पनपने देंगे।

इसके बाद मैं दो तीन बातें इस बजट के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं जहाँ तक निर्माण-कारी योजनाओं का सम्बन्धहै वह ठीक है लेकिन मेरा विचार है कि पिछड़े इलाकों पर जितना जोर

देना चाहिये वह उन्हीं कारणों से नहीं दिया जा सका है। उसकी वजह यह है कि हर जगह पर माँगे और शिकायतें हैं। अतः मेरा यह सुझाव है कि पिछड़े हुये इलाकों के लिये, खास तौर से पूर्वी और दक्षिणी भाग के लिये एक अलग बोर्ड बनना चाहिये जो कि सोचे कि अगले वर्षों में कहां क्या किया जा सकता है जिससे वहाँ की जनता का कल्याण हो।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि घरेलू उद्योग-धंधों के सम्बन्ध में इस बात पर जोर देना चाहिये कि जहाँ पर सिंचाई के साधन नहीं पहुंच सकते, अथवा जहाँ पर सिंचाई के साधनों को पहुंचाने में बहुत लागत लगती है वहाँ पर हमको अधिक से अधिक काटेज इंडस्ट्रीज पर बल देना चाहिये। श्रीमन्, बुंदेलखंड ऐसा प्रदेश है जिसके बहुत बड़े हिस्से में सिंचाई के साधन नहीं पहुंचाये जा सकते और यदि पहुंचाये भी जा सकते हैं तो लागत बहुत ज्यादा होगी। इसलिये मैं समझता हूं कि जितनी भी काटेज इंडस्ट्रीज कमेटियाँ हों, और यदि इस समय कोई कमेटी नहीं है तो मैं आपके द्वारा माननीय गृह मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इस तरह की कमेटी स्टेट लेविल पर बनायें। और उनमें इन पिछड़े इलाके के प्रतिनिधियों को अवश्य स्थान मिलना चाहिये।

तीसरी बात जो मैं सरकार से कहना चाहता हूं यह है जो कि एक वक्ता महोदय ने बजट के प्रेजेंटेशन के सिलसिले में कही भी थी, कि स्टेट लेविल पर गवर्नमेंट को यह बात देखनी ही चाहिये कि वहां पर किन निर्माण कार्यों को प्रारम्भ करने की आवश्यकता है। लेकिन केवल इतना ही देखने से उन हिस्सों तक सरकार की पहुंच नहीं हो पाती जिनको कि प्रायरिटी मिलनी चाहिए। इसलिये श्रीमन्, मैं आपके द्वारा गवर्नमेंट के सामने यह सुझाव रखना चाहता हूं कि यदि बजट के पास अगर करने के पहले डिस्ट्रिक्ट लेविल पर एक कांफ्रेंस बुलाई जाया करे जिसमें वहां के प्रतिनिधियों की, एम० एल० एज० का और गवर्नमेंट के प्रतिनिधि शामिल हों और वहां से एक सिस्टेमेटिक प्लान सुझाव रूप में आये और उसको गवर्नमेंट बजट में यथा-संभव इन्कारपोरेट कर लिया करे। तो मैं समझता हूं कि बजट में जो बहुत सी विषमतायें रह जाती हैं वे न रह सकेंगी।

अन्त में मैं श्रीमन्, आपके द्वारा बुन्देलखंड क्षेत्र की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वहां पर बहुत सी जमीन ऐसी है जिसको रिक्लेम किया जा सकता है। बहुत से अन्य क्षेत्रों में जमीन की तंगी है लेकिन वहां पर जमीन की तंगी नहीं है। दिक्कत यह है कि वहां पर वे सुविधायें नहीं पहुंचाई जा सकतीं जिनके द्वारा वह जमीन हरी भरी हो सके। वहां पर बहुत अच्छे साधन हैं काटेज इंडस्ट्रीज के लिये। मैं आपके द्वारा सूचना देना चाहता हूं कि वहां वन विभाग ने अभी एक डिस्कवरी की है। ५०० चन्दन के वृक्ष झांसी जिले में निकले हैं और चन्दन के वृक्ष उतने ही अच्छे हैं जितने कि मैसूर में। इसकी वजह यह है कि वहां की जमीन आइडियल स्वायल है जिस पर एक्सटेंसिवली चन्दन के वृक्ष लगाये जा सकते हैं। मैं समझता हूं कि जैसी जमीन झांसी जिले में है वैसी जमीन बुन्देलखंड के बहुत से इलाकों में इस प्रकार के वृक्षों को लगाने के लिये मौजूद है।

राजा वीरेंद्रशाह (जिला जालौन)—माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने विरोधी दल के सदस्यों के लिये १५ मिनट का वक्त रक्खा। फिर इसके पश्चात् मैं वित्त मंत्री जी को इसलिये बधाई देना चाहता हूं कि ५३–५४ का बजट हमारे प्रान्त के इतिहास में सबसे पहला बजट है जिसमें इतनी बड़ी रकम रखी गयी है। इसके लिये मैं सरकार को हृदय से बधाई देता हूं कि आज हमारे प्रांत की माली हालत इतनी अच्छी हुई कि हम अपने सूबे पर ७७ करोड़ से ऊपर खर्च करने जा रहे हैं।

यहां यह जो शंका पैदा हो गई है, विरोधी दल की तरफ से, हमारे नेता बालेन्दुशाह जी ने भी कहा कि ९५ करोड़ रुपये का भार होने जा रहा है प्रान्त की आर्थिक दशा खराब होने का भय है, मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं ऐसा समझता हूं जैसा कि परिपूर्णानन्द जी ने कहा कि ७५ करोड़ की रकम जो मुआवजे की है वह ऐसी है जो सिर्फ

[राजा वीरेन्द्रशाह]

लेखे जोखे के लिये दिखला दी गई है और जिसको अगले ४० वर्ष में दिया जायगा। इसलिये एक बड़ी रकम तो यों कम हो जाती है। रही बात कि सरकार ने घाटे का बजट दिखलाया है। मैं समझता हूं कि इस तरह से इसमें घाटा नहीं है यह बजट अन्त में सरप्लस बजट के रूप में परिणत हो जायगा। ऐसी मेरी आशा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने जो यह विकास योजनाओं के लिये अधिक रुपया रखा है उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं और सरकार को धन्यवाद देता हूं। मैं यह मानता हूं कि सरकार ने यह जरूर प्रयत्न किया है कि हमारे प्रांत की तरक्की हो और आम जनता का फायदा हो लेकिन मैं साफ साफ यह कहना चाहता हूं कि सरकार को अपने वायदों को नहीं भूलना चाहिये जब कि पिछले साल कर लगाये गये तब यह कहा गया था कि आर्थिक संकट के कारण जनता के ऊपर यह कर लगाया जा रहा है और जब समय अच्छा आयेगा वह कर वापस ले लिये जायेंगे। मैं उस बात की याद दिलाने के लिये माननीय वित्त मंत्री से यह विरोध करूंगा कि जो यह कर चले आ रहे हैं उनको कम किया जाय। जैसे कि नहर के रेट थे वे ३, ४ साल के अन्दर ३ रुपया एकड़ से १० रुपया एकड़ हो गये हैं बुन्देलखंड में यह १० रुपया एकड़ जो नहर का रेट हो गया है यह बहुत ज्यादा है। इसी प्रकार से बिजली में रुपया के साथ चार आना बढ़ा दिये गये थे उनको भी कम करने की जरूरत है। जब सरकार की माली हालत अच्छी है और आप विकास करने जा रहे हैं तो यह जो करों का बोझ जनता पर है अगर आप इनको हटा दें और इनको कम कर दें तो जनता का लाभ ज्यादा हो सकता है। तो आज जो यह जनता में असंतोष पाया जाता है जैसा कि हमारे भाई माननीय नरदेव शास्त्री ने बतलाया कि आज हम जनता के फायदे के लिये तो सभी काम कर रहे हैं लेकिन जनता के अन्दर असंतोष क्यों हैं और आज वह इस फायदे को कबूल नहीं करते हैं। जो यह करों का भार जनता के ऊपर लादा गया है वही इसका कारण है। मुझे विश्वास है कि वह करों का भार इतना ज्यादा है कि जितना फायदा आप पहुंचाने वाले हैं वह उसको देख नहीं पाते हैं। इसलिये मैं अनुरोध करता हूं कि माननीय मंत्री जी अपना इस तरफ रुझान करें। बिक्री-कर का कुछ जिकर किया है कि वह बिक्री-कर में कुछ घटाने का प्रयत्न करेंगे। इससे मुझे उत्साह होता है और मैं आशा करता हूं कि इन टैक्सों के ऊपर सरकार पुनः विचार करने की कृपा करेगी और इनको कम करके जनता के अन्दर जो असंतोष है उसको दूर करने की कोशिश करेगी।

अब मैं श्रीमन्, यह जिक्र करना चाहता हूं कि जो सरकार ने यह कहा कि माननीय मंत्री जी की अपील पर डिपार्टमेंट ने कमी की और कमी करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके संबंध में मैं यह बतलाना चाहता हूं कि सरकार जो इस स्कीम को इतना बढ़ा रही है उसके ऊपर भी कुछ विचार करने की जरूरत है। उसके ऊपर भी सरकार को दृष्टिपात करना चाहिये। लड़ाई के जमाने में जो विभाग की कारें इसलिये दी गई थीं कि जिससे टी० ए० में खर्चा कम हो लेकिन अब तो लड़ाई भी दूर हो गयी है फिर भी हम यह देखते हैं कि ३॥ लाख रुपया नये नगर में नई कारों के खरीदने के खर्च के लिये रखा गया है। मैं यह समझता हूं कि इस खर्चा को आप कम कर सकते हैं। जो पुरानी मोटर हैं उन पर १७ लाख रुपया वर्तमान में खर्च होता है।

जब पहले मोटर नहीं थे तो किस तरह से काम चलता था? मैं समझता हूं कि सरकार इस बात को पसन्द करेगी कि अधिक व्यय न हो और इस पर सरकार को पूरा ध्यान देने की जरूरत है। यहां भवन में एक सवाल इस संबंध में आया था लेकिन उसको वापस ले लिया। कुछ खर्च सरकार ऐसे कर देती है जो बिलकुल व्यर्थ होते हैं और जिनके किये बिना भी कार्य हो सकता है। बांध के उद्घाटन के लिये कुछ विज्ञापन छपवाये गये, कई पत्रों में उसके लिये १६ हजार रुपया खर्च किया गया। उनका प्रचार करने के लिये उद्घाटन के समय खर्च किया गया। सिर्फ मंत्रियों ने इनका उद्घाटन किया। इस बात का प्रचार करने के लिये यह १६ हजार रुपये की रकम खर्च कर दी गई।

तो यदि आप जनता के टैक्स के रुपये को इस प्रकार खर्च करेंगे तो उससे बजाय लाभ के हानि होगी। एक माननीय सदस्य ने तो कहा कि जनता त्राहि त्राहि कर रही है जिसका कारण अपव्यय ही है। माननीय जयपाल सिंह जी ने फरमाया कि औरों पर सरकार अधिक खर्च करती है और उनकी जाति पर कम करती है। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि सरकार ने जब ६ लाख से बढ़ाकर पिछड़ी जातियों के लिये ५० लाख कर दिया है तो क्या यह सराहने की बात नहीं है? आप देखें कि यहां मुस्लिम लीग फिर कायम की जा रही है और मुझे मालूम है कि २३ तारीख को लखनऊ में मीटिंग हुई जसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन पुलिस मंत्री जी से मैं कहूंगा कि जो लोगों की पहले मनोवृत्ति थी उनको आपने कांग्रेस का टिकट देकर यहां बुलाया तो फिर क्यों उन लोगों की गुप्त बातें होंती हैं? वे लोग अपने भाषणों द्वारा क्यों नहीं इन चीजों का खंडन करते हैं? क्या कारण है कि वे लोग ऐसी कार्यवाही करें जबकि आज काश्मीर के मामले पर पाकिस्तान से एक तरह का झगड़ा चल रहा है? दूसरा शोशित संघ है जिसके लीडर भी आपके कांग्रेस के ही हैं जो पार्लियामेंट्री सेक्रेट्री बना दिये गये हैं और नहीं मालूम और क्या बनेंगे। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं लेकिन सब को मालूम है कि क्या इस प्रकार की चीजें देश के लिये क्या अच्छी हैं? कहा जाता है कि विरोधी लोग टैक्स कम करने के लिये कहते हैं और ला ऐन्ड आर्डर अपने हाथ में लेना चाहते हैं। तो क्या कांग्रेस सरकार अपनी पार्टी के ऐसे लोगों को दबाने की कोशिश नहीं करेगी जो अलग अलग वर्ग बनाते हैं? और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देती है और उन्हें मंत्रिमंडल तक पहुंचाती है। इस तरह के पुरस्कार मिलने से ही लोग ऐसी कोशिश करते हैं।

मैं सरकार से उसकी योजनाओं में सहमत हूं कि उसकी स्कीमें अच्छी तरह से चलाई जावें। लेकिन मैं बुन्देलखंड के लिये कहना चाहता हूं। वैसे तो कट मोशन के समय ज्यादा कहा जा सकेगा लेकिन इस समय भी मैं निवेदन करूंगा कि कालपी और बेतवा के दो रेल के पुल हैं। ४ महीने के लिये बरसात के मौसम में बुन्देलखंड बिलकुल बाहर हो जाता है। तो जब आपने इतना रुपया खर्च करने के लिये रखा है तो क्या आप १ या २ लाख रुपया लगा कर वहां रेल के पुल पर से आम जनता के निकलने का प्रबन्ध नहीं कर सकते। लड़ाई के समय इन पर आम सवारी जनता द्वारा रेल के पुल से निकालते थे। मुझे मालूम कि हमारी सरकार ने केन्द्रीय सरकार को इस बारे में लिखा था। रेल मंत्री जी भी इसी प्रान्त के इस समय हैं अतः मुझे विश्वास है इसमें और कोशिश की जायगी। यह सिर्फ दो तीन लाख रुपये का मामला है, इससे जनता को बहुत लाभ होगा।

श्रीमन्, जहां तक शिक्षा का सवाल है आपने हर एक हरिजन को रियायत देने के लिये इसमें कुछ रक्खा है लेकिन हमारे प्रान्त की सरकार को यह भी देखना है कि हमारे यहां के जो लोग डिफेंस फोर्सेज में काम करते हैं उनके बच्चों के लिये शिक्षा संबंधी क्या रियायतें दी जाती हैं। जब हमारे प्रान्त में दो तीन ट्रेनिंग सेंटर्स हैं तो सरकार को उनके बच्चों का खास प्रबन्ध करना चाहिये जैसे कि दूसरे प्रान्त में भी होता है। बम्बई प्रांत में जिन लोगों ने परमवीर चक्र आदि पाये हैं उनको साढे सात हजार रुपया इनाम का दिया गया है। इसी प्रकार हमारे प्रान्त में भी इनाम देकर या फीस में माफी देकर उनको उत्साहित किया जाना चाहिये। अब समय आ गया है कि हमारे देश की रक्षा के लिए जो लोग गये हुये हैं उनके साथ हमें वही उदारता दिखानी चाहिये जो कि दूसरे मुल्कों में उन लोगों के प्रति बर्ती जाती है। इन शब्दों के साथ मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं।

अन्त में मैं इतना ही कहूंगा कि हम लोगों के बिलकुल निष्पक्ष विचार हैं और हम कोई बात इसलिये नहीं कहते कि हम कुछ चाहते हैं। हम किसी पार्टी के नहीं है हम तो स्वतंत्र दल के लोग हैं। सरकार ने जो कार्य अच्छा किया है उसकी हम तारीफ करते हैं और जो गलती है उसकी ओर सरकार का ध्यान दिलाते हैं, कड़े शब्दों में उसका विरोध करते हैं।

[श्री राजा वीरेन्द्रशाह]

जमींदारी खत्म करने के बाद जो सरकार ने दूसरा प्रबन्ध वसूली का किया है उसमें माननीय माल मंत्री जी के कारण से कोई करप्शन नहीं हुआ है और कलेक्शन के स्टाफ ने बहुत ही अच्छा काम किया है। हम जमींदारों की तरफ से भी एक प्रार्थना उनसे की गयी थी, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के बारे में, उसको भी माननीय मंत्री ने बड़े ध्यानपूर्वक सुना और उसकी दुरुस्ती की। यह मैं इसलिये कहता हूं कि जो चीजें अच्छी हैं उनकी हम तारीफ करते हैं और आगे भी जो इस प्रकार की चीजें बतलायेंगे उस पर सरकार ध्यान देगी। मंदिरों की ऐन्युइटी का भी एक साल है। पहले आपने २/३ देने के बारे में तै किया था अब आप ३/४ दे रहे हैं लेकिन ऐन्युइटी के माने तो पूरे के ही होते हैं उसमें काट-कूट न की जानी चाहिये। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे और ध्यान देंगे।

श्री भूपाल सिंह खाती (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का बड़ा हर्ष है कि इस साल मुझे भी आय-व्ययक पर माननीय वित्त मन्त्री को बधाई देने का अवसर मिला। यद्यपि मेरे भाई उपाध्याय जी ने कहा कि माननीय वित्त मन्त्री जी को इतनी अधिक बधाइयाँ मिल गई हैं कि उसका भार वित्त मन्त्री पर बहुत हो गया होगा। लेकिन मेरा विचार है कि भले कार्य की प्रशंसा में जो भी कुछ कहा जाता है वह बोझ नहीं हो सकता बल्कि एक आनन्द की चीज ही हो सकती है। अब क्योंकि समय २० मिनट के बजाय १० मिनट हो गया है इसलिये बजट की प्रशंसा में और अधिकता नहीं कह सकता केवल इतना जरूर कहूंगा कि विरोधी दल के नेता श्री राजनारायण जी ने अपने व्याख्यान के प्रारम्भ में सदन से यह प्रार्थना की थी कि हम यहां पर जो बातें करें या कहें वह दलगत दृष्टि से नहीं करना चाहिये बल्कि जैसी वास्तविकता हो और न्याययोचित बात को देखते हुये उस पर विचार करना चाहिये। उनकी लम्बी चौड़ी स्पीच के संबंध में मैं केवल इतना ही निवेदन कर देना चाहता हूं कि उन्होंने जिस बात की इस सदन से अपील की वे स्वयं उसको भूल गये और मुझे इस बात का दुख है कि जितना उन्होंने अध्ययन किया वह एक गलत दृष्टि से किया और वह दृष्टकोण यह था कि उसमें हम कितनी बातें ऐसी कह सकते हैं जिससे तमाम अच्छी बातों पर पर्दा पड़ सके न कि इस दृष्टिकोण से हम अच्छी बातों को कबूल कर सकें और अगर उसमें कुछ खामी हो तो उसको इस सदन के सामने रखें। इस बात को मैं मानता हूं कि कितना ही परिपक्व मनुष्य काम करे उसमें कुछ न कुछ कमी रह जाती है। उन्होंने खास करके पुलिस और शिक्षा के सम्बन्ध में कहा और इस बात की कोशिश की कि बहुत से कार्य ऐसे हैं, बहुत से मर्डर ऐसे हो गये हैं जिनका पता पुलिस नहीं लगा सकी और इसके लिये उन्होंने उस पर लाँछन लगाने की कोशिश की कि पुलिस तो इस प्रदेश में अगर न रखी जाय तो अच्छा है। लेकिन मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि केवल फुटकर बातें यहाँ रखने से हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते हैं। अगर श्री राजनारायण जी ऐसे आँकड़े रखते कि कुल ऐसी हत्याएं प्रदेश भर में कितनी हुईं, कितनों का पता लग सका और कितनों का पता नहीं लग सका और अगर उससे यह जाहिर होता कि पुलिस का काम अच्छा नहीं रहा तो पुलिस के सम्बन्ध में ऐसी बातें कही जा सकती थीं जो उन्होंने कहीं। साथ ही उन्होंने इस बात की कोशिश की कि जनता के लिये कुछ नहीं हो रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि ८१ करोड़ आय-व्ययक में ६० करोड़ केवल उन कार्यों में खर्च हो रहा है जिससे इस प्रदेश के काश्तकारों को पानी मिल सकेगा, इस प्रदेश में शिक्षा बढ़ेगी, इस प्रदेश में गृह उद्योग-धन्धे बढ़ेंगे और इस प्रदेश की उन्नति होगी।

उन्होंने कुछ वेतन के सिलसिले में भी ऐसी बात कहीं कि कम पैसे पाने वालों के वेतन नहीं बढ़ाये जा रहे हैं। श्रीमन् मुझे यह कहते हुये दुख होता है कि उन्होंने मनी वैल्यू पर ज्यादा जोर दिया है। आज जो हम गल्ला सस्ता देख रहे हैं, आज जो कपड़ा सस्ता हम देख और जो बाजार में चीजें धीरे धीरे नीचे उतर रहीं हैं, क्या वे इस बात को नहीं मानने कि इससे जो गरीब जनता है उसे ही फायदा पहुंच सकता है? पिछले वर्ष जहाँ गेहूं एक रुपये का पौने दो सेर बिकता था वहाँ आज ढाई सेर बिक रहा है और आशा है कि पिछली बारिश से यदि

नुक्सान नहीं हुआ तो इस फसल में तीन सेर का गेहूं मिलने लगेगा। तो क्या वे इस बात को नहीं मानते कि यह जो गल्ला आदि आज सस्ता होता जा रहा है वह उन कार्यों का ही नतीजा है जो इस सरकार ने पिछले दो, तीन, चार वर्षों में किये हैं।

मैं अधिक इन बातों में न जाकर माननीय वित्त मन्त्री जी को उन कार्यों के लिये भी बधाई देना चाहता हूं जो उन्होंने खास कर अपनी बजट स्पीच में पहाड़ी इलाकों के लिये यानी रानीखेत में ओषधियों का एक कारखाना खोले जाने व रामगढ़ में फलों का एक कारखाना खोले जाने की बात कही है जिससे मुझे विश्वास है कि पहाड़ी लोगों को काफी लाभ होगा। लेकिन श्रीमन्, साथ ही साथ में नम्र निवेदन के साथ में माननीय वित्त मंत्री जी के सम्मुख कुछ विशेष पहाड़ी प्रश्नों को भी रख देना चाहता हूं जिनका इस बजट में कोई आभास नहीं प्रतीत हुआ। पहली बात तो यह है कि पहाड़ी हिस्सेदारों के अधिकार खत्म करने और वहाँ के काश्तकारों को पूरा हक दिये जाने के सम्बन्ध में सरकार ने अभी तक कोई आयोजन नहीं किया। कुछ दिन पहले कुछ प्रश्नों के उत्तर में माननीय माल मंत्री जी ने कहा था कि ये तो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनका लोगों के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं होता। मैं श्रीमन् के जरिये इस सम्बन्ध में यह बतला देना चाहता हूं कि अल्मोड़ा में एक लाख २ हजार शिल्पकार हैं और नैनीताल में १८ हजार शिल्पकार हैं जिनको यहाँ हरिजन कहा जाता है। तो जो एक लाख १८ हजार हरिजन शिल्पकार हैं उनमें ९५ प्रतिशत काश्तकार लोग हैं। इसलिये चाहे छोटे जमींदारों से सम्बन्ध हो या हिस्सेदारों से सम्बन्ध हो लेकिन जो काश्तकारों की तकलीफें हैं वह तो हैं ही। हमारे यहाँ कोई काश्तकारी कानून भी नहीं है। कुछ आज्ञाओं पर कुछ कस्टम्स पर और कुछ कनवेंशेस (रिवाज) पर सारी बातें वहाँ चलती हैं और उसका नतीजा यह होता है कि काश्तकारों और हिस्सेदारों में झगड़े होते हैं और इसमें वही आदमी जीतता है जिसके पास ज्यादा धन और अच्छा सबूत होता है और इस प्रकार हमेशा काश्तकार की अधिकतर हार होती है और हिस्सेदार बाजी मार ले जाता है। मैं वित्त मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि यह प्रश्न कम से कम सवा लाख आदमियों का है। यही प्रश्न आज टेहरी तथा गढ़वाल में भी है और इस प्रश्न का कारण वहाँ एक सामाजिक अराजकता फैल रही है और वह जितनी जल्दी हो सके उतना ही अच्छा।

इसके साथ ही वहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या भूमिहीन लोगों की है। वहाँ के चारों जिलों की आबादी लगभग २० लाख है और प्राप्त भूमि केवल ७ लाख एकड़ है तो २० लाख किसानों के लिये ७ लाख एकड़ और उस पर भी पहाड़ी भूमि का होना। इसी से यह सदन अन्दाज लगा सकता है कि वहाँ के काश्तकारों की क्या हालत है। वर्षों से इस बात की कोशिश की गयी कि वहाँ के काश्तकारों को तराई और भाबर में बसाया जाय लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकारी आश्वासनों के बाद भी कोई परिपक्व योजना वहाँ अब तक कायम नहीं हो सकी।

इसके अतिरिक्त सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश पहाड़ी जिलों में देहाती शिक्षित कहीं ज्यादा हैं और आज शिक्षित देहातियों की बेरोजगारी का प्रश्न बढ़कर इतना हो गया है कि अगर इसको हल न किया जायगा तो वहाँ पर एक ऐसी बेचैनी हो जायगी जो शासन के लिये भयंकर चीज हो सकती है। माननीय वित्त मन्त्री ने शिक्षित बेकारी को दूर करने के लिये संकेत किया है परन्तु वहाँ उन साधारण तरीकों से जिनसे वह प्रदेश बेकारी को दूर करना चाहते हैं उनसे यह पहाड़ों की शिक्षित बेकारी दूर होने वाली नहीं है। वहाँ बड़ी बड़ी फैक्टरियाँ नहीं बन सकती हैं और हवाई जहाजों की रफ्तार से वहाँ की उन्नति नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ विशेष परिस्थित है और उसको विशेष रूप से सुलझाना होगा।

अन्तिम बार जो बात मुझे बात कहना है वह भोटियों के बारे में है। वह लोग जो तिब्बत से व्यापार करते हैं और जिनकी संख्या ५० हजार के करीब है और पहाड़ी इलाकों में रहते है। आज उनके व्यापार खत्म हो रहे है और अगर तिब्बत से व्यापार खत्म हो गया तो उनके लिये रोटी का प्रश्न कठिन हो जायगा। जब तक सरकार इस ओर विशेष रूप से से प्रयत्नशील नहीं होती और उनको किसी दूसरे व्यापार में नहीं लगाया जाता और कुटीर

[श्री भूपालसिंह खाती]

उद्योग-धन्धों का समुचित प्रबन्ध नहीं किया जाता तब तक मुझे विश्वास है कि अगर किसी दिन वहाँ कि कम्यूनिस्ट सरकार ने उनको तिब्बत से व्यापार करने से रोक दिया जैसी रुकावटें आती जा रही हैं तो बड़ी भयंकर परिस्थित इन ५० हजार लोगों की हो जायगी और अगर समय पर उसको सुलझाने की कोशिश नहीं कि जायगी तो उनकी बड़ी कठिन आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ेगा ।

श्री मुहम्मद शाहिद फाख़री (जिला गोंडा)--मुहतरम अध्यक्ष, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे वक्त इनायत फरमाया । मैं तो आज दो रोज से बजट की खूबियों पर गौर कर रहा था और उसके मुताल्लिक बहस को सुन रहा था । यह बजट जो वजीरी बजट आपके सामने और हमारे सामने पेश है यह कागजात का बजट है और वाकयात को सामने रखकर आँखों को बन्द करके नहीं बल्कि मुश्किलात को सामने रखकर मुरत्तब किया गया है और इसलिये मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं । जहाँ तक सूबे की हालत को तरक्की देने का सवाल है खेतीबाड़ी को खास कर तरक्की देने का सवाल है, इस पर भी तवज्जह दी गई है । सिंचाई के मुहकमे पर भी तवज्जह दी गई है । चूंकि वक्त कम है इसलिये मैं जरा जरा से अल्फाज में ही अर्ज करना चाहता हूं। सिंचाई के मुताल्लिक मुझे बड़ा इतमिनान है कि यह मुहकमा एक ऐसे मिनिस्टर के हाथ में है, जिसके ऊपर इसका प्रोग्राम है और यह जमानत है इस बात की कि सही खर्चा होगा और इससे हमारे सूबे का कल्याण होगा । मैं साथ ही साथ मिनिस्टर साहब से यह भी कह देना चाहता हूं कि जहाँ जहाँ नहरें बनाई गई है वह बहुत मुफीद हुई हैं । मगर उनमें एक जरा सी गल्ती भी उनमें की गई है कि जहाँ नहरें बनी हैं वहाँ बहुत बड़ी तादाद में खड़ी फसल का नुकसान हुआ और उसका मुआविजा भी वक्त पर नहीं दिया गया बल्कि फसल वालों पर तरह तरह के मुकदमें चलाये गये इससे आप को बचना है ।

जमींदारी का खात्मा हो जाने के बाद छोटे-छोटे जमींदार बड़ी मुसीबत में हैं खासकर इसलिये उनको जल्द से जल्द मुआविजा दिलाया जाय और उनके बच्चों की तालीम का इन्तजाम किया जाय। यह हमारे ऊपर जिम्मेदारी है ।

जहाँ तक पुलिस के रवैये का ताल्लुक है मैं समझ रहा था कि बहुत एहतियात के साथ गवर्नमेंट इस पर गौर कर रही है और उसको बड़े एकदाम से रखेगी। लेकिन मुझे अफसोस है कि गुजिश्ता साल में गाजियाबाद के वाकिये ने हमको और तकलीफों में मुबतिला कर दिया । कानपुर में बकरीद के मौके पर जो गिरफतारी हुई कांग्रेस कमेटी ने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया और मैं खुद गया डिस्ट्रिक्ट मैजिट्रेस्ट के पास और बताया कि एक पुराने इश्तहार के बिना पर ऐसा किया गया है, आप नजरसानी फरमायें । लेकिन कोई तवज्जेह नहीं की गई । इन चीजों की तरफ भी हमको ध्यान रखना है ।

जहाँ तक मुस्लमानों की जायदाद का ताल्लुक है और जो वक्फ हैं मैं वजीर साहब से अर्ज करूंगा कि उन्होंने गुजिश्ता साल में वादा किया था कि बहुत जल्द वाजे और मुफस्सिल वक्फ ऐक्ट लाने वाले हैं लेकिन अब तक उनका वादा वफा नहीं हुआ इसलिये जल्दी होनी चाहिये ।

बिजली के सिलसिले में हमारा सूबा तरक्की कर रहा है लेकिन जो सूबे में इलेक्ट्रिक इंस्पेटर हैं और जो उनका दफ्तर है उसकी तरफ भी हमें खास तवज्जह करनी है । वह मुसीबत बने हुये है और उन्होंने ने तंग करना शुरू कर दिया है । गाजीपुर में बिजली बड़ी आसानी से वहाँ कि कम्पनी दे रही है । लेकिन उनका वहाँ फरमान रोज पहुंचता है और उनका हुक्म है कि एक नया इंजिन लगाया जाय और कई लाख रुपये का खर्चा बढ़ रहा है ।

आखिर में मैं और चीजों को छोड़ कर तालीम के मुताल्लिक अर्ज करना चाहता हूं। मुझे नहीं मालूम कि हमारे वजीरे तालीम यहां पर इस वक्त तशरीफ रखते हैं या नहीं। कई

सालों से हमारी हुकूमत रकमें खर्च करके तालीम को बढ़ा रही है। लेकिन ऐसे मौके पर जब कल से मैं कुछ एतराज सुन रहा हूं और एक भाई ने आज काफी भारी भरकम एतराज किया, उनको देखते हुये मैं कहता हूं कि आखिर हरिजनों के लिये, हिन्दुओं के लिये और मुसलमानों के लिये और और इन्सानों के लिये जो बहुत सी बातें कहते हैं तो क्या इस मौके पर वजीरे तालीम से अर्ज नहीं किया जा सकता है कि उन्होंने जो इन्टरमीजिएट बोर्ड बनाया था उसमें पूरे सुबे की ५० लाख आबादी को नजरअन्दाज कर दिया। इस यू० पी० असेम्बली की तरफ से, कौंसिल की तरफ से और गवर्नर साहब की नामजदगी की तरफ से भी बहुत से लोग चुनकर उस बोर्ड में गये लेकिन मुसलमानों का एक भी नुमाइंदा आपने इसमें नहीं लिया। आप 'मुसलमान' लफ्ज से घबराये नहीं, आप परेशान न हों। इसलिये मैं अर्ज करता हूं कि वह भी यू० पी० के रहने वाले हैं और उसमें उनको शहरी हक हासिल हैं। मुझे यह सुनकर बड़ा ताज्जुब होता है जो कि कल से लोगों ने मुस्लिम कांफ्रेंस का हवाला देकर कहा और आज भी एक भाई ने जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं उन्होंने भी कहा कि ऐसे ऐसे लोगों को मुल्क के बाहर चला जाना चाहिये। ठीक है। जहां तक उन गद्दारों का ताल्लुक है, फिर्कावारियत पैदा करने वालों का ताल्लुक है, बलवे कराने वालों का ताल्लुक है और बलवे करने वालों का ताल्लुक है, उनको हम बाहर तो नहीं भेज सकते। इतनी तो कुव्वत नहीं है, लेकिन इसी सरजमीन पर उनको बद से बदतर सजा देंगे। मैं अर्ज करता हूं कि ऐसे वक्त का आइना सामने रखकर आप देखें तो मैं कहता हूं कि आज हम यहां मुंह बन्द करके बैठे हैं मगर हमारी तारीख शाहिद है कि हम ने सन् १९१८ से आज तक फिर्कावारियत को करीब नहीं आने दिया है। जो लोग कहते हैं मैं उनसे अर्ज करूंगा कि सबसे बड़ा मुजरिम गांधी जी का कातिल था, उसे भी हमने यहीं सजा दी लेकिन हिन्दुस्तान से बाहर नहीं निकाला। हर शख्स जो यहां का बाशिन्दा है उसको करेक्ट करना पड़ेगा लेकिन उसको हिन्दुस्तान से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। मैं उस पार्टी का मेम्बर हूं जो अक्सरियत में है और मैं आज कोई ऐसी ताकत नहीं देखता हूं जो मुझको या किसी फर्द को हिन्दोस्तान के बाहर कर सके। मैं नहीं चाहता था कि इन चीजों पर रोशनी डाली जाय। लेकिन मैं यह कह देना चाहता हूं कि अगर किसी के हुकूक सल्ब किये गये, अगर आपने तवज्जह नहीं की, आपसे मतलब आप भी और मैं भी, तो जिनकी जबान का मसला, जिनकी तहजीब का मसला, जिनके इल्म का मसला, जिनकी कौमियत का मसला, जिनकी पुरानी रवायात का मसला खतरे में होगा, वह प्रोटेस्ट करेंगे और सख्त प्रोटेट करेंगे और वह तमाम चीजें होंगी जिनको आप पसंद करें या न करें और आपके यहां की जायंगी। वह अफराद या जमाअत दबाई नहीं जा सकती जिसने तीस वर्ष तक इस मुल्क की खिदमत को अपना सियासी और मजहबी फर्ज समझ करके किया है। आप जरा अपने गरेबान में मुंह डाल करके देखिये कि अगर हम मुस्लिमलीग के जमाअत में जा करके बैठते तो दुनिया की लीडरी पाते, मगर हमने उसको ठोकर मारी। आज फिर्कावारियत हमारे दिमाग में नहीं है बल्कि उनके दिमाग में है जो उसके जरिये से ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने कब्जे में करके दुनिया भर का मुनाफा करना चाहते हैं।

मैं कहता हूं कि मैं उर्दू जबान का मतालिबा कर रहा हूं और वह यहां की कौमी जबान है और उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि प्रेसीडेंट के सामने जो डेपुटेशन गया था उसमें हिन्दुओं की अच्छी खासी तादाद थी। फिर आप उसको कैसे कम्यूनल कहते हैं? कल एक साहब ने जो अक्सर ऐसी बातें कहने के आदी हैं फर्माया कि उर्दू का मतालिबा किया जा रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हम उर्दू का मतालिबा करेंगे, सख्ती से करेंगे और अपनी जिन्दगी की कीमत पर मतालिबा करेंगे, कोई ताकत हमको इस मतालिबे से रोक नहीं सकती। जहां तक संस्कृत का ताल्लुक है हम उसकी खिदमत करके उसको दुनियां में फैलायेंगे और हमको दुनिया की कोई ताकत ऐसा करने से रोक नहीं सकती। हिन्दी हमारी कौमी जबान है और हम उसमें सारे लिट्रेचर लाकर करके भर देंगे। दूसरी तरफ उर्दू को बाकी रखेंगे। अगर हम बाकी रहेंगे तो उर्दू बाकी रहेगी, अगर हम बाकी नहीं रहेंगे तो उर्दू भी बाकी नहीं रहेगी। हमारे

[श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी]

बाद खुदा के हाथ में है, आप जो चाहें वह करियेगा। आप यह न समझें कि हम गूंगे हैं। आप हिन्दुस्तान की तकसीम के बाद से आज तक के वाक़यात देखें और उससे पहले के वाकयात देखें तो आपको पता चलेगा कि किसके चेहरे पर फिर्कावारियत की झलक है और कौन फिर्कावारियत से वैसी ही नफरत कर रहा है जैसी पहले कर रहा था। आपसे भी एक बहुत बड़ी कूवत है जिसका नाम खुदा है, उसके सामने खड़े हो करके कहता हूं कि मैं फिर्कावारियत को अपने दिल के एक कोने में जगह देने के लिये तैयार नहीं हूं। आनरेबिल हाफिज मुहम्मद इब्राहीम और आनरेबिल सैयद अली जहीर को जब मैं कोई बात कहता हूं तो मुसलमानों का नुमाइन्दा नहीं समझता हूं। मेरा नुमाइन्दा तो पंत है, (श्री अध्यक्ष की ओर इशारा करके) मेरा नुमाइन्दा यहां बैठा है। आप इस तरह की धमकियां दे कर हमें दबाना चाहते हैं, लेकिन हम इसी सरजमीन पर रहेंगे। अगर बहैसियत मुसलमान के देखा जाय तो हम ४ करोड़ हैं लेकिन अगर बहैसियत कांग्रेसमैन के देखा जाय तो हम बहुत बड़ी अकसरियत में हैं और हमें न कोई लालच है और न कोई डर है। हुजूरवाला, मैं एक मिनट और वक्त चाहता हूं। मैंने कोशिश की थी कि जब १५ मिनट का वक्त था तब मैं अर्ज करूं। लेकिन बदकिस्मती से मुझे मौका नहीं मिल सका। जब से मैं इस सदन में आया हूं तब से मुझे जनरल बजट के वक्त बोलने का मौका नहीं मिला। आज मुझे पहली मर्तबा मौका मिला है, इसके लिये मैं आपका शुक्रगुजार हूं।

श्री अध्यक्ष--कट मोशन के वक्त में बोल लीजियेगा।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी--मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं। हक़ीक़त यह है कि मुझे बड़े अफसोस के साथ बाज चीजों के ऊपर कुछ कहना है। आप देखें कि यू० पी० गवर्नमेंट का एक मुहकमा है, होम डिपार्टमेंट उसके अन्दर आप जायं, आपका काम हो या न हो, लेकिन कोई आदमी वहां जाकर शिकायत नहीं कर सकता कि उसके अन्दर तहजीब से गुजर कर बात की गई, इन्तिहाई शराफत से बात की जाती है। आखिर में मैं यह दरख्वास्त करूंगा कि जो एक गवर्नमेंट का उसूल है उस के मुताबिक काम कीजिये और गलत चीजों को खत्म कीजिये।

श्री शिवमंगल सिंह कपूर (जिला बस्ती)--माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आपने इस बजट के अवसर पर जो मुझे बोलने का मौका दिया है उसके लिये मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आज तीन दिन से मैं प्रयत्न कर रहा था कि मैं अपने कुछ ख्यालात हाउस के सामने रखूं। यहीं तक नहीं, जब मैं बाहर जाता हूं तो हमारे नेशनलिस्ट सिख भाई बार-बार इस बात का तकाजा करते हैं कि आप लोग दो आदमी इस प्रांत से कांग्रेस के अन्दर हैं। आपने कुछ हमारे विषय में अपनी आवाज हाउस में आज तक क्यों नहीं उठाया? मुझे खेद है कि आज तक ऐसा अवसर नहीं मिला। लेकिन आज आपने जो हमारे ऊपर या नेशनलिस्ट सिखों के ऊपर या जिस क्षेत्र से मैं चुन कर आया हूं उस क्षेत्र की जनता के ऊपर जो मेहरबानी की है उसके लिये मैं उन लोगों की तरफ से भी आपको धन्यवाद देता हूं।

श्रीमन्, सन् ५४-५५ का जो बजट वित्त मंत्री जी ने पेश किया है मैं उसके लिये उनको बधाई देता हूं। साथ साथ मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि इस बजट के ऊपर हमारे विरोधी पार्टी के नेता ने करीबन दो घंटे तक जो भाषण किया उसको भी मैंने बहुत गौर से सुना। इसके साथ साथ दूसरी पार्टी के नेता ने भी जो इस बजट के ऊपर तकरीर की उसको भी बहुत ध्यान से सुना। सन् ४६ से मुझे इस विधान सभा में बैठने का मौका मिला है, पहले भी विरोधी पार्टियां थीं, उनके भी भाषण सुनने में आये। विरोधी पार्टी के माने यह होते हैं कि गवर्नमेंट के बजट का क्रिटिसिज्म करते हुये अच्छे सजेशंस भी दे। लेकिन हमारे विरोधी पार्टी के नेता ने दो घंटे तक तकरीर की और उसमें सिवाय नुक्ताचीनी करने के और कोई

दूसरी चीज उनके भाषण में आप नहीं पायेंगे। अगर माननीय राजनारायण जी गवर्नमेंट के बजट का क्रिटिसिज्म करने के बाद कोई कार्यक्रम इस सदन के सामने रखते, जैसा और बाहर विदेशों में होता है तो बात समझ में आती। उस कार्यक्रम के अनुकूल जो काम सरकार नहीं कर पाती तो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के वक्त या अगले साल उसको क्रिटिसाइज करते। लेकिन वह ऐसा न करके सिर्फ यही मनोवृत्ति लेकर आते हैं कि यह कांग्रेस सरकार जो भी काम देश के कल्याण के लिये करती है उसको उस दृष्टि से न देख कर दूसरी दृष्टि से देखते हैं और अपने दिल की मुराद पूरी करते हैं। आपने कहा कि यह बजट प्रगतिशील नहीं है और न इस बजट में गरीबों, किसानों या मजदूरों को राहत देने के लिये कुछ है। आप बजट को उठा कर देखें तो आपको मालूम होगा कि कांग्रेस सरकार ने शिक्षा की तरफ, विकास योजनाओं की तरफ और उद्योग धंधों की तरफ किस किस्म से आगे की ओर कदम उठाया है। आज से पांच वर्ष पूर्व आप देखेंगे कि बजट में इन कामों पर जितना रुपया खर्च किया जाता था उससे करीब करीब दुगुना रुपया अब खर्च किया जाता है। देश में आबपाशी के लिये, उद्योग धंधों के लिये, सार्वजनिक उद्योग धंधों के लिये, सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिये और विद्युत शक्ति के लिये आज लाखों रुपया खर्च किये जाते हैं। यहां तक ही नहीं जो लाखों एकड़ जमीन बेकार पड़ी थी उसको तुड़वाकर सरकार ने देश की उपज को बढ़ाया है। यहां तक ही नहीं सरकार ने आबपाशी के लिये इर्रीगेशन के लिये पूर्वी जिलों में और पश्चिमी जिलों में करोड़ों रुपया खर्च किया है। आज हमारे प्रदेश की उत्पादन की जो हालत है उससे आप और सदन के माननीय सदस्य महसूस करेंगे कि आज हमारा उत्तर प्रदेश हर दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसी हालत में भी आप यह कहें कि यह गरीबों का बजट नहीं है और यह भूखमरों का बजट नहीं है, यह तो पूंजीपतियों का बजट है। यह कहना आपको शोभा नहीं देता।

आपने यह कहा है कि टैक्सेज के बोझ से आज हमारा देश दबा हुआ है। वास्तव में आज से १५ वर्ष पूर्व जब अंग्रेजों का राज्य था टैक्सेज नहीं थे। लेकिन आप देखेंगे कि उस जमाने में कोई विकास नहीं था। जब देश का विकास किया जाता है तो जनता पर ही टैक्स लगाकर सरकार चलती है। सरकार के पास कोई ऐसा खजाना नहीं है जिससे देश का विकास करे। इसलिये आवश्यक है कि टैक्स लगाये जायं लेकिन उचित टैक्स लगाये जायं।

दूसरी बात यह है कि हमारे राजनारायण जी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि हमारी जो यह पंच-वर्षीय योजना है वह फेल हो जायगी। वास्तविक रुपमें सोचा जाय तो आप देखेंगे कि यह योजना हमारे प्रदेश में ही नहीं बल्कि सारे भारतवर्ष में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है, इसलिये इसके संबंध में निराशा की बात सोचना अनुचित होगा। आप रूस की हिस्ट्री को देखिये। जब वहां पर पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी तो वह पांच वर्ष तक कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सका। मैं अपने कम्युनिस्ट भाइयों को बतलाना चाहता हूं कि आप देखें कि वहां पर दस वर्ष में जाकर सफलता प्राप्त हुई। हमें तो अभी दो साल ही हुये हैं। आप आशा रखिये कि पांच साल के अन्दर हमारी यह योजना अवश्य सफलता प्राप्त करेगी।

तीसरी बात यह है कि पुलिस के संबंध में श्री राजनारायण जी ने प्रकाश डाला और कहा कि पुलिस में कोई सुधार नहीं हुआ है। इसलिये पुलिस के रखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि जब कहीं कोई संकट आता है तो दुहाई दी जाती है कि पुलिस ने ठीक काम नहीं किया इसलिये देश की हिफाजत के लिये पुलिस की आवश्यकता है। जहां पर शिक्षित समाज है जैसे यूरोप, अमेरिका और इंगलैन्ड वगैरा में भी पुलिस है। अगर सोशलिस्ट राज्य होगा तब भी पुलिस की तो जरूरत पड़ेगी ही। आज दुर्भाग्य है या सौभाग्य है कि दुनिया में कहीं भी शोशलिस्ट हुकूमत कायम नहीं है। जहां रूस में कम्युनिस्टों की हुकूमत है वहां पर भी पुलिस है। हर हालत में पुलिस को रखना ही पड़ेगा। लेकिन यदि पुलिस खराब है तो उसको सुधारने का राष्ट्र का और हमारी सरकार का कर्त्तव्य है।

[श्री शिवमंगल सिंह कपूर]

इन शब्दों के कहने के बाद मैं एक बात की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बनारस में जो सिल्क के कपड़े का व्यापार था आज वह नीचे की ओर जा रहा है। वहां आज बेकारी बढ़ रही है। इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि ऐसा प्रयत्न सरकार करे कि बनारसी कपड़ा विदेशों में भेजा जाय और यहां के जुलाहे भाइयों की और जो बनारसी कपड़े के बनाने वाले हैं उनके उत्पादन की तरफ सरकार ध्यान दे नहीं तो बहुत बेकारी बढ़ जायगी और बनारसी शिल्प कला जो भारत का गौरव था वह नष्ट हो जायगी।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश के आय-व्ययक के संबंध में पिछले तीन दिनों से वाद-विवाद हो रहा है। आंकड़ों की दोनों तरफ से भरमार हुई, लेकिन सरकारी दल की तरफ से एक खास प्रश्न उठाया गया कि क्या वजह है कि इस बजट में जिसमें विकास योजनाओं में, सिंचाई की योजनाओं में, शिक्षा में इतनी बड़ी रकम लगा दी गयी हो उसके बाद भी विरोधी दल की तरफ से नुक्ताचीनी होती है और जब बार-बार यह कहा जाता है कि यह लोक कल्याणकारी बजट है तो इसको विरोधी दल कैसे कहता है कि यह अमीरों का बजट है, गरीबों का नहीं है। बेशक अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न अपनी जगह महत्व-पूर्ण है, लेकिन मैं तो यहां मुबारकबाद दूंगा माननीय वित्त मंत्री को कि नेता विरोधी दल ने इस बजट को मैनीफाइंग ग्लास कहा, मैं तो उसको तिलस्मी शीशा कहूंगा जिसमें सरकारी दल के सदस्यों को हर चीज सरसब्ज और हरी भरी नजर आती है और मैं इस मौके से फायदा उठाकर यह कहना चाहता हूं कि लोक-कल्याणकारी और पूंजीपतियों के बजट में क्या फर्क होता है। आज कांग्रेसी सरकार इसका दावा नहीं करती, इसका विरोध करती है कि वह पूंजीपतियों की हिमायती है, या ऐसा बजट प्रदेश में पेश करना चाहती है जिसमें अमीर होते जायं और गरीब गरीब होते जायं, लेकिन उसके लिये यह एक मोटा सबूत है कि देहात में चले जाइये, गरीब और मजदूरों के झोंपड़ों में और छोटी तनख्वाह पाने वालों के घरों में और पता लगाइये कि आखिर क्या वजह है कि ७ साल के कांग्रेसी शासन के बाद भी आज जनता में वह स्फूर्ति और चेतना क्यों नहीं है और कांग्रेसी सरकार की योजनाओं को कार्यान्वित करने में सहयोग क्यों नहीं है और क्योंकि उनका स्वागत नहीं होता। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय, जिस समय कोई भी सरकार अपना बजट पेश करती है तो उसमें कितनी कितनी आमदनी कहां से हो सकती है और कितना खर्च है उसका संतुलन होना चाहिये। माननीय वित्त मंत्री ने यह अवश्य पेश कर दिया कि उनकी आमदनी रुपये में कैसे हो सकती है और खर्चा कैसे हो सकता है, लेकिन नहीं, मकान के एक कुशल मालिक के लिये आवश्यक है कि वह परिवार के प्रत्येक आदमी की उचित व्यवस्था करे, पढ़ाई की, लिखाई की, उनके हर तरह के आराम की। लेकिन अध्यक्ष महोदय, हमारे वित्त मंत्री या मुख्य मंत्री तो इस मकान के मालिक हैं, जिनके घर में कितने प्राणी आधे पेट खाकर और बिना भोजन के सो जाते हैं। उनके कोई आंकड़े इकट्ठे नहीं किये गये। एक तरफ यह दावा कि लोक कल्याणकारी बजट है और दूसरी तरफ बेरोजगारों की संख्या न मालूम हो? इस सदन में यह प्रश्न किया गया कि यह आंकड़े बतलाये जायं कि प्रदेश में अनाज कितना पैदा होता है, लेकिन इसके आंकड़े इकट्ठे नहीं हुये, तो कैसे कहा जा सकता है कि हमारे वित्त मंत्री प्रदेश रूपी परिवार के कुशल मालिक हैं। अध्यक्ष महोदय, वह प्रेरणा, वह स्फूर्ति और स्वागत जो जनता के हृदय में होना चाहिये था, इसलिये नहीं हुआ क्योंकि जनता देखती है कि स्वराज्य होने के पहले भी गरीबी अमीरी थी और वह आज भी कांग्रेसी राज्य में भी है। पहला काम जो इस सरकार को करना चाहिये था जिससे उसकी योजनाओं का स्वागत होता वह यह था कि वह सीमा बांधती धन और धरती की। आज कोई भी किसान मजदूर जब यह देखता है कि गरीबी अमीरी तो आज भी अपनी जगह पर कायम है तो कैसे इस बजट का स्वागत कर सकता है?

हमारे दल की तरफ से बार-बार सरकार को सुझाव दिया गया कि धन और धरती को सीमा बांधे बिना कभी स्फूर्ति जनता में नहीं आ सकती और न किसी योजना का स्वागत ही

सकता है। अध्यक्ष महोदय, इससे नुकसान यह रहा कि आपको मालूम हो कि बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आदरकर ने विश्लेषण किया यहां की संख्याओं को लेकर और यह साबित किया कि हमारे राज्य में साल भर में सौ करोड़ रुपये की श्रम शक्ति का ह्रास हो रहा है। हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। आज अगर ३० एकड़ से ऊपर जमीन का बटवारा होता, उद्योग धंधों की व्यवस्था प्रदेश में होती, कोई भी सरकारी नौकर या उद्योगपति की अपनी आमदनी हजार रुपये से ज्यादा नहीं होती और उसकी फाजिल जितनी आमदनी होती वह सरकारी खजाने में होती, तब जनता समझ सकती कि अंग्रेजी राज्य और स्वराज्य में फर्क है। लेकिन कौन सा फर्क उसके लिये है जब किसान को एक बीघा जमीन नहीं मिली, जब मजदूर देखता है कि रेशनलाइजेशन के नाम पर हमेशा पूंजीपतियों का साथ दिया जाता है और उसकी कोई सुनने वाला नहीं है तो उस हालत में कैसे वह स्फूर्ति और चेतना उसमें हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, दूसरी तरफ मोरेलिटी का भी प्रश्न हमारे सामने आता है। मैं यह कहता हूं कि धन और धरती के समुचित वितरण से सिर्फ आर्थिक समस्या ही हल नहीं होती बल्कि मोरेलटी की समस्या भी हल होती है, कैरेक्टर बिल्डिंग की समस्या भी हल होती है। आज सरकारी कर्मचारियों को आप लाख उपदेश दें, उनके सामने लाख उदाहरण दें, लेकिन अगर कानपुर का एक पूंजीपति २५ कार रखता है तो हमारे यहां के चीफ सेक्रेटरी के मन में भी यह इच्छा अवश्य होगी कि कम से कम दो कार उनके पास भी होनी चाहिये। अगर सीमा बांध दी गई होती कि १ हजार से ऊपर किसी की आमदनी किसी भी तरह से नहीं होगी तो उससे यह समस्या हल होती और गरीबों को भी संतोष होता। लेकिन अध्यक्ष महोदय, एक सवाल मैं वित्त मंत्री के सामने रखना चाहता हूं। आज विकास योजनायें हैं, शारदा प्रोजेक्ट है, और बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, ट्यूबवेल हैं लेकिन वह गरीब जो पुरिया चलाकर सिंचाई के काम में अपना पेट पाला करते थे उनके लिये क्या आल्टरनेटिव कार्य सरकार ने दिया है। जो हजारों की तादाद में ऐसे मजदूर बेकार हो गये हैं जिनको एक बीघा भी जमीन नहीं मिली है, उनको किस तरह से सान्त्वना हो सकेगी, वह किस तरह से अपना पेट पालेंगे? इस तरह से इन लम्बी चौड़ी स्कीम्स के ऊपर इतना रुपया बर्बाद किया जाय और जो इनके कारण बेकार हो जायं उनके लिये कोई उपाय न सोचा जाय तो वह किस प्रकार संतोष कर सकते हैं।

औद्योगीकरण का दूसरा सवाल है। हमारी सरकार यह कहती है कि हर उद्योग धंधे को प्रोत्साहन देना चाहिये लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आज तक कौन से ऐसे प्रयत्न इसके लिये सरकार की तरफ से किये गये हैं? यहां पर मैं वित्त मंत्री को बधाई अवश्य देना चाहता हूं इंडस्ट्रियल कारपोरेशन के लिये लेकिन उसका उचित उपयोग हो सकेगा या नहीं, इसमें संदेह है। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में जनशक्ति अपार है, यह अमेरिका रूस या इग्लैन्ड नहीं है बल्कि हम अगर किसी देश को अपना माडेल बना सकते हैं तो वह जापान को जिसने कि पिछली लड़ाई के बाद चार पांच वर्ष में ही अपने घरेलू उद्योग धंधों को सम्हाल लिया है और उनकी काफी उन्नति की है। मैं पूछना चाहता हूं कि घरेलू उद्योगधंधों के संबंध में सरकार क्या करना चाहती है कुछ लोगों को जमीनों में लगाकर, कुछ को नौकरियों में लगाकर और कुछ को उद्योग-धंधों में लगाकर हम बेरोजगारी की समस्या हल कर सकते हैं। माननीय वित्त मंत्री को मालूम होगा कि हमारी पार्टी के घोषणापत्र के अनुसार तीन लाख रुपये से ऊपर के उद्योगधंधे पब्लिक सेक्टर में आते हैं। इनके अतिरिक्त जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनकी काफी इमदाद होनी चाहिये ताकि पूंजीपतियों की आमदनी कम हो और छोटे छोटे उद्योग-धंधे पनपें। इस तरह से कुछ लोगों को उद्योगों में लगाकर, कुछ लोगों को किसानी में लगाकर, कुछ लोगों को नौकरियों में लगाकर, परिवार के मालिक की तरह से हर आदमी की समुचित व्यवस्था करनी चाहिये।

लेकिन हमारे सामने, हमारी सरकार के सामने तो खतीमा प्रोजेक्ट है, राबर्ट्सगंज सीमेंट फैक्ट्री है और इस तरह की बड़ी बड़ी योजनायें हैं। इन योजनाओं में जनता का पैसा किस तरह से पानी की तरह बहाया जा रहा है और क्लीअर और डेलीबरेट बंग्लिंग हो रही है, इसकी तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। शारदा प्रोजेक्ट है। पहले २१० लाख का एस्टीमेट था, आगे चलकर ७ करोड़ हुआ, अब ११ करोड़ का हो गया है और मैं पेशिनगोई करता

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

हूं कि अगर १२ करोड़ में भी पूरा हो जाय तो बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। सीमेंट फैक्ट्री के लिये तीन करोड़ से साढ़े चार करोड़ हुआ और अब देखिये अगर ५ करोड़ में भी पूरी हो जाय तब भी गनीमत है। अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सन् १९५० से लेकर अब तक ४०० ट्रैक्टर खरीदे गये। जिसमें दो सवा दो करोड़ रुपया खर्च हुआ। लेकिन ४ साल के बाद मालूम हुआ कि ट्रैक्टरों की कुल संख्या, जिसकी सरकार को जरूरत थी, वह १०० से ज्यादा नहीं है। इस तरह से डेढ़ करोड़ रुपया बर्बाद किया गया। मैं तो समझता हूं कि ५ रुपया पाकेट से अगर किसी का खो जाता है तो उसको जितना अफसोस उसके लिये होता है उतना भी असंतोष इस सरकार को करोड़ों रुपया खोकर नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, सरकार यह चाहती है कि हम कंविंस्ड हो जायं कि यह जनता का बजट है यह जनकल्याण का बजट है। एक बात और बताऊं। शेखचिल्ली की तरह से स्कीमें बना ली जाती हैं। यमुना हाइडिल प्रोजेक्ट के संबंध में करीब १ करोड़ रुपया खर्च हुआ, हर विशेषज्ञ का यह कहना था कि इससे चीपेस्ट योजना कोई और नहीं है। लेकिन नतीजा क्या हुआ कि इतना रुपया खर्च हुआ उससे कोई लाभ नहीं हुआ और वह योजना खत्म कर दी गई। इतना पैसा बर्बाद हुआ। रिहंद डैम की बात जो कही जाती है जिसको कि अब तक पूरा हो जाना चाहिये था लेकिन हमारे प्रदेश में मैनपुरी, सोहावल (फैजाबाद), गोरखपुर, मऊ, आजमगढ़, सोतापुर में थर्मल पावर स्टेशन बनाने में ५० करोड़ रुपया खर्च किया गया। उसका कौन जिम्मेदार होगा? ये सभी पावर स्टेशन रिहंद बांध बंधने पर बेकार हो जायंगे। इन थर्मम स्टेशनों पर अभी न जाने कितना रुपया और खर्च होगा तब वह पूरे हों गे। इस सबका जिम्मेदार कौन होगा? जो चीज पहले होनी चाहिये वह बाद में आती है अध्यक्ष महोदय; मुझे अफसोस है कि जब विरोधी दल की तरफ से बार-बार चैलेंज किया गया तब जाकर रिहंद योजना को फिर से हाथ में लिया गया।

जब कि करोड़ों रुपया थर्मल स्टेशंस, गोरखपुर, सुहावल और दूसरी जगहों पर बनाने में खर्चा किया जा रहा है तो क्यों नहीं इन योजनाओं को पूरा किया जाता है। इसलिये कि इत्फाक से कांग्रेस की हुकुमत है, उसका बहुमत है। ऐसे प्रश्न हैं जिन पर किसी जिम्मेदार सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिये। शिक्षा के सम्बन्ध में मैं मानता हूं। लेकिन औद्योगिक शिक्षा के लिए क्या प्रबन्ध किया गया है? अब कहा जाता है कि ३२ सौ कृषि के अध्यापक रखे जाने वाले हैं। लेकिन आजतक सरकार क्या कर रही थी? क्या सरकार को यह नहीं मालूम था कि इतनी अपार सेना ग्रैजुयेट्स और इंटरमीडिएट्स की निकलती आ रही है जिनका लक्ष्य एकमात्र नौकरी है।

आज पुलिस के बजट को देखा जाय। कुछ माननीय सदस्य इसको कौमी खर्चा कहकर जस्टीफाई करने की कोशिश करते हैं। यह भी अपनी जगह पर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्यों इस लिए बढ़ाई जा रही है? क्योंकि जनता का विश्वास इस सरकार पर नहीं है। माननीय राम नरेश जी ने तो सी० आई० डी० की स्ट्रेंथ जो बढ़ाई जा रही है उसका भी स्वागत किया। धीरे-धीरे यह सरकार ऐसे राज्यों के पीछे चलना चाहती है, जनता का विश्वास जब उस पर नहीं रह जाता. तो पुलिस के बल पर हुकूमत करना चाहती है। इसके लिए मैं सरकार को, इस प्रदेश की जनता को चेतावनी देना चाहता हूं।

एक बात का और मैं जिक्र करना चाहता हूं और मुझे अफसोस है कि आगे इस भवन के मुस्लिम जमात की एक मीटिंग के बारे में कुछ गरमा-गर्मी हो गयी। माननीय शाहिद फाखरी ने जो ख्यालात जाहिर किये वह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं उनसे स्पष्ट उक्ति के लिए मुबारकवाद देता हूं। आखिर क्या वजह है कि सात आठ साल की हुकूमत के बावजूद भी आज हिन्दुस्तान का मुसलमान कांग्रेसी सरकार में अपने को सुरक्षित नहीं पाता। इसके लिए काँग्रेस सरकार की खुद की जिम्मेदारी है। पिछले जनरल एलेक्शन के समय मुसलमानों के सामने डर दिखाया गया कि आज जन संघ और हिन्दू महासभा उठ रही

है और अगर उनको कोई सुरक्षित करने वाला है तो वह कांग्रेस है। जब वह डर की भावना उनमें पैदा हो गयी तो वह अपना काम तो करेगी ही। अध्यक्ष महोदय, मुसलमानों की समस्या हल करने का एक बड़ा नाजुक मसला है। मैं दो शब्दों में बता देना चाहता हूं। आज हर आदमी जो हिन्दुस्तान के मुसलमानों का दोस्त है वह पाकिस्तान का दुश्मन है और हर आदमी जो हिन्दुस्तान के मुसलमानों का दुश्मन है वह पाकिस्तान का दोस्त है। हम क्यों ऐसी बातें करें जिससे उनके दिल को ठेस पहुंचे और पाकिस्तान को मौका मिले कि वह हिन्दुस्तान के मुसलमानों को हमारे खिलाफ कर सकें। आज करोड़ों रुपया पाकिस्तान खर्च कर रहा है जिससे हिन्दुस्तान के मुसलमान हिन्दुस्तान की हुकूमत से बदजन हों। जबकि जन संघ और हिन्दूमहासभा के लोग ऐसे प्रयत्न करते हैं कि जिससे हिन्दुस्तान के मुसलमान बदजन हों, तो क्या इससे समस्या सुलझ सकती है। हिन्दू सभा और जनसंघ के लोग तो वही कार्य कर रहे हैं जो पाकिस्तान के एजेन्ट करते हैं। किसान मजदूर का राज्य कायम करें। पाकिस्तान को खत्म करने के दो ही तरीके हैं। पहला यह कि हम यहां, यदि यहाँ ऐसा हो गया तो पाकिस्तान के मुसलमान यह सोचेंगे कि जब दोनों हुकूमतों का जन्म एक ही साथ हुआ तो हिन्दुस्तान में तो गरीबों का राज्य कायम हो गया और वहाँ के लोगों का खुदा और इस्लाम के नाम पर मुस्लिम पूंजीपतियों के जरिये शोषण हो रहा है, तो पाकिस्तान का मुसलमान वहाँ की हुकूमत के विरुद्ध बगावत करेगा। पाकिस्तान को खत्म करने के लिये मेरा दूसरा सुझाव यह है कि यहाँ के मुसलमानों को इतमीनान और सुकून दिया जाय। अगर वे सकून से रहे तो वे ६ करोड़ हमारे गुमराह किये हुए भाई जो इस देश से अलग हो गये थे वे फिर पश्चात्ताप करके इसी देश में वापस चले आएंगे। लेकिन यह समस्या का हल नहीं है कि मुसलमानों के दिल को ठेस पहुंचायी जाय।

विकास की योजनाओं में जो रुपया रखा जाता है वह इस तरह से बर्बाद किया जाता है और जितनी भी स्कीमें बनायी जाती हैं उनमें समस्या का हल नहीं हो पाता है।

इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि इसी वजह से विरोधी दल माननीय वित्त मंत्री आइने में वह तस्वीर नहीं देख पाता जो सरकारी दल के सदस्यों को माननीय वित्त मंत्री दिखा रहे हैं।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १५ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस समय सभा का समय अधिक नहीं लेना चाहता क्योंकि दो चार बातें जो मेरे मुहकमे के बारे में कही गई हैं उनको कुछ साफ कर देना चाहता हूं लेकिन मुझे खेद है कि जिन साथियों ने उन बातों का जिक्र किया था वे इस समय इस सदन में उपस्थित नहीं हैं। मेरा ख्याल है कि यह इस सदन का अधिकार है कि जो लोग कटाक्ष करें उन्हें उसका उत्तर सुनने के लिये सदन में मौजूद रहना चाहिये। मैं और कुछ न कहकर आपके और सदन के ऊपर छोड़ता हूं कि यह कहां तक मुनासिब है? कहा यह गया था कि पंचायतों का चुनाव मुल्तवी करा कर गवर्नमेंट बड़ी ज्यादती कर रही है। गांव सभायें या गांव पंचायतें कुछ वर्ष हुये यहां बनी थीं और पिछले चार या साढ़े चार साल का तजुर्बा यह बतलाता है कि यह इस प्रदेश में एक नया प्रयोग किया गया और वह ऐसा प्रयोग है कि जिस वक्त सोशलिस्ट पार्टी ने अपना ड्राफ्ट कांस्टीट्यूशन बनाया उसमें इसका कुछ जिक्र नहीं था। प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल जी द्वारा लिखी हुई जो पुस्तक है जिसको सोशलिस्ट पार्टी ने अपना ड्राफ्ट कांस्टीट्यूशन बना कर इस देश के सामने रक्खा उसमें पंचायतों का कोई खास जिक्र नहीं था। उसमें यह जिक्र नहीं था कि न्याय पंचायतें चुनी हुई होंगी। उसमें ही नहीं अब तक सोशलिस्ट पार्टी की जो कमीशन पालिसी की पुस्तिका लिखी हुई है उसमें यहां तक तो कहा गया है कि "The elective element will be introduced into the administrative control of districts and villages" लेकिन मैंने इस पुस्तक को भी अच्छी तरह से पढ़ा और जो भी साहित्य मिल सका उसे भी पढ़ा लेकिन आज तक सोशलिस्ट पार्टी ने इलेक्टेड जुडीशियरी के बारे में अपनी राय जाहिर नहीं की है और इस वक्त यह कह देना उचित नहीं कि न्याय पंचायतों में अगर नामिनेशन होगा तो

[श्री मोहनलाल गौतम]

क्या क्या कहर हो जायेंगे, और क्या क्या तूफान मचेंगे। मुझे यह सुनकर खुशी हुई कि कम से कम वह तरीका जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने न्याय पंचायतों के बनाने में अख्तियार किया है उसको आज सोशलिस्ट पार्टी समर्थन कर रही है अब यह साल दूसरा है कि गांव पंचायतों में जो खराबियां हैं उनको कैसे दूर किया जाय। इसके बारे में बड़ा विवाद है। हमारे देश में बड़े बड़े धुरन्धर विद्वान् और बड़े बड़े न्यायाधीश और यहां तक कि हमारे देश के सबसे बड़े न्यायाधीश तक की यही राय है कि इस देश में चुनी हुई जुडिशियरी नहीं होनी चाहिये। इसलिये वह अदालती पंचायतों के चुनी हुई होने पर एतराज करते हैं। दूसरी तरफ लोगों का यह ख्याल है कि गांव के झगड़े को कम करने लिये, गांव में किसानों का खर्चा कम करने के लिये, गांव के लोगों को आराम देने के लिये और स्पाट जस्टिस करने के लिये गांव पंचायतों की जरूरत है। बहुत कुछ छान-बीन करने के बाद इस सदन की एक कमेटी बनी जिसमें इस सदन के और अपर हाउस के बहुत से सदस्य मेम्बर थे और जिसमें हर एक पार्टी के मेम्बरों में से वहां पर उस कमेटी के मेम्बर थे। उन्होंने बहुत दिनों तक इसका मंथन किया और उसमें भी बहुत सी भिन्न-भिन्न रायें थीं। आज यह कह देना कि गांव पंचायतों की शकल क्या हो कम से कम एक मत इस संबंध में सारे देश का नहीं है। इसलिये यह एक विवाद का विषय है जिसमें दोनों की राय में काफी वजन है। नाप तोलकर इसका इलाज करना होगा।

जहां तक गांव सभा का संबंध है उनके चुनाव में देरी हुई और उसमें कई कारण हैं। केवल इसलिये कि गांव सभाओं की जो टर्म थी वह खत्म हो गयी इसलिये चुनाव करा दिया जाय और जो खराबियां थीं उनको दूर न किया जाय यह एक ऐसा नया अनुभव था जिसमें अभी काफी दिनों तक सबक सीखना होगा। इसलिये उनकी खराबियों का कारण देखते हुये, उन खराबियों का बगैर इन्तजाम किये हुये, बगैर उनके बारे में संशोधन किये हुये चुनाव करा देना कम से कम मैं मुनासिब नहीं समझता। इसलिये गांव सभा और गांव पंचायतों के बारे में काफी छानबीन हुई और उनमें जो खराबियां हैं उनको जानने की कोशिश की गयी और उनका इलाज सोचा जा रहा है और इस काम में काफी समय लगा। इस समय मैं यह कह सकता हूं कि इन बातों पर विचार करने के बाद जिस नतीजे पर हम लोग पहुंचे हैं उसके आधार पर हमने एक बिल ऐसा तैयार किया है और जो मुझे आशा है कि बहुत जल्द इस सदन के सामने आयेगा। इसलिये यह कह देना कि गांव पंचायत और उनके एलेक्शन को स्थगित करके कोई खास ज्यादतियां की मैं नहीं समझता कि यह उचित है। अच्छी तरह से उन खराबियों का इलाज करके उनके चुनाव कराये जायेंगे।

इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जिक्र किया गया कि उनका चुनाव क्यों स्थगित किया गया। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनावों को स्थगित नहीं किया गया है बल्कि उनके बारे में भी बहुत बड़ी छानबीन की जा रही है। जब से गांव सभायें बनीं तब से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और गांव सभा में काफी कठिनाई पैदा हो जाती है। उनके काम में अन्तर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिये उनके जुरिस्डिक्शन व फंक्शन ओवर लैप नहीं करना चाहिये। अब सवाल यह होता है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और गांव सभा के क्या ताल्लुक हों। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के फंक्शन क्या हों और गांव सभा के क्या हों। क्या उन दोनों को टैक्स लगाने का अधिकार अलग अलग हो या वह एक टैक्स लगाकर आपस में बराबर बराबर बांट लें। सवाल यह है कि अगर गांव सभाओं और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का एक ही क्षेत्र है तो उनके कार्यक्रम को कैसे मिलाया जाय और एक दूसरे से क्या संबंध रखा जाय। अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का कोई भी गांव सभा से संबंध होगा तो उसके संगठन में भी कुछ संबंध होना चाहिये। गांव सभा और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अलग अलग चुने जावें और दोनों का बाद में संबंध जोड़ा जाय, यह आसान है, या गांव सभाओं द्वारा डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का चुनाव हो इस पर विचार हो रहा है। बड़ी नापतोल की जरूरत होगी। यह भी सवाल है कि जिस समय गांव सभायें बनी थीं उनकी संख्या ३६ हजार और कुछ सौ थी। उसके बाद जमींदारी एबालोशन हुआ और उसके कारण जो प्रापर्टी सरकार के पास आई उसके

लिये सरकार ने मुनासिब समझा कि वह गांव सभाओं को दे दी जाय। उनके लिये लैंड मैनेजमेंट कमेटियां बनीं जिनकी संख्या ८४ हजार है। यह भी सवाल है कि ८४ हजार ये कमेटियां और ३६ हजार गांव सभाओं का क्या संबध जोड़ा जाय। ख्याल है कि छोटे गांवों को बड़े गांवों में मिला दिया जाय। इसके लिये आंकड़े जमा किये जा रहे हैं कि २५० से कम की आबादी के गांव उसके पास के बड़े गांव में मिला दिये जावें। जब ६०–६५ हजार गांव बनेंगे उनको मिलाकर जिनकी संख्या अब ९८ हजार है तो यह भी सोचने की बात है कि गांव सभाओं और लैन्ड मैनेजमेंट कमेटियों को किस प्रकार इकट्ठा किया जाय। ८४ हजार की जगह अगर ६०, ६२ हजार लैंड मैनेजमेंट कमेटीज हो गईं तो फिर क्या ३६ हजार गांव सभायें अलग हों या ये दोनों एक जगह कर दी जावें? इलेक्शन को बार बार कराने का खेल किया जा सकता है लेकिन जब इतने बड़े सवालात हमारे सामने हैं उस समय साल या छः महीने के लिये इलेक्शन पोस्पोन करना ज्यादा मुनासिब है बनिस्बत इसके कि इलेक्शन करावें और इन बातों पर फैसला करके दोबारा और तिबारा इलेक्शन कराये जावें।

कार्पोरेशन के बारे में काफी बहस हो चुकी है। कार्पोरेशन बनाने का ख्याल है। जनरल इलेक्शन के समय इनके चुनाव नहीं कराये गये इसलिये कि वहां कार्पोरेशन बनाये जावें। इसका बिल करीब करीब तैयार है और डिपार्टमेंट में उसकी जांच-पड़ताल हो रही है। कोशिश की जा रही है कि बहुत जल्दी वह बिल हाउस के सामने आवे और ज्योंही वह ऐक्ट पास हो जायगा, चुनाव करा दिये जावेंगे।

इलेक्शनों के पोस्पोन करने की बात कही गई थी कि वे क्यों पोस्पोन किये गये। मेरे ख्याल में म्यूनिसिपल बिल के समय पर इस बारे में इतनी ज्यादा बहस हो चुकी थी कि इलेक्शन पोस्पोन करने के काफी वजूहात सदन के सामने आ चुके थे और इसलिये मैं उनको दोहरा कर सदन का समय नहीं लेना चाहता। क्योंकि जिन दलीलों का जवाब दिया जा चुका हो उनको फिर दोहरा कर सदन का समय नष्ट करना होगा। इस वक्त एक बात कही गयी कि यहां से हायर एजुकेशन के बारे में सर्क्यूलर भेजा गया। जहां तक मैंने म्युनिसिपल ऐक्ट को देखा, उसको पढ़ कर समझने की कोशिश की और उसमें म्युनिसिपैलिटीज के फंक्शन्स देखें उससे मुझे तो यही मालूम हुआ कि उनका फंक्शन सिर्फ प्राइमरी एजूकेशन का है। हायर ऐजूकेशन लोकल बाडीज का फंक्शन नहीं है। वे लोकल बाडीज जो प्राइमरी ऐजूकेशन को अच्छी तरह से नहीं निभा पातीं वे कोई दूसरा फंक्शन करने लगे तो उसको मैं गलत समझता हूं हमारे प्रदेश में इस समय प्राइमरी एजूकेशन का सवाल सफर कर रहा है, उनके टीचर्स को वक्त पर तनख्वाह नहीं मिली है और जो तनख्वाह उनको दी जाती है वह भी बहुत कम है। हमारी हमदर्दी उनके साथ होते हुये भी हम उनके साथ कुछ नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी उनके साथ हमदर्दी नहीं है। हमारी पूरी हमदर्दी उनके साथ है बल्कि स्कूल ज्यादा हो गये हैं और पैसा इतना कम है कि हमें उनकी तनख्वाह देना मुश्किल हो गया है। इसलिये आज हमारे सामने यह मुख्य सवाल है। अभी तक सरकार की तरफ से ३२ लाख रुपये से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को इसलिये दिया गया है कि वे स्कूल के टीचर्स की जो पहले की तनख्वाह है उसको दें दें। इसके अलावा हिल्स के बोर्ड्स को अलहदा रुपया दिया गया है।

इस तरह से म्युनिसिपल बोर्ड्स टाउन एरियाज और नोटीफाइड एरियाज की हालत यह है कि वे प्राइमरी ऐजूकेशन को चला नहीं पाते हैं। अपनी प्राइमरी ड्यूटीज को पूरा नहीं कर पाते हैं, उनकी नालिया अच्छी नहीं हैं, सड़कें अच्छी नहीं हैं, पानी नहीं दे पाते, रोशनी का इन्तजाम नहीं कर पाते, शायद ही इस सूबे में ऐसी म्युनिसिपैलिटी हो जिसके बारे में हाउस का कोई भी सदस्य यह कह सकता हो कि उसने अपनी प्राइमरी ड्यूटीज को पूरा कर लिया है। जब ऐसी हालत है और लोकल बाडीज हायर ऐजूकेशन पर ज्यादा रुपया खर्च कर रही हैं और बोर्ड के चेयरमैन साहब उसके मैनेजर हैं? वे इस हाथ दे उस हाथ ले वाला मसला वहां करते हैं,

[श्री मोहन लाल गौतम]

इसीलिये जरूरत हुई कि वह सर्क्यूलर निकाला जाय। उससे दो बातें हो गई हैं। एक तो यह कि जो लोकल बाडीज इस कारण से ग्रांट लेते थे वह रुक गयी है, और जो लोकल बाडीज हायर ऐजूकेशन पर खर्चा करते थे वह रुक गया है, लेकिन एक तीसरा सवाल बाकी है वह यह कि जो लोकल बाडीज इन इंस्टीट्यूशन्स को चला रहे थे उनका क्या किया जाय। यह मसला अभी जेर गौर है। उसका खर्चा एजूकेशन डिपार्टमेंट करे, या वह प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो या क्या ? लेकिन कोशिश यह है कि जो स्कूल या कालेजेज लोकल बाडीज चला रहे हैं वे चलते रहें। अब किस तरह से चलें इस पर कई महीने से गौर हो रहा है। इसलिये इस सर्क्यूलर के जारी करने में मैं कोई गलती नहीं समझता।

एक और बात जिसके द्वारा कुछ नीयत पर भी हमला किया जाता है वह यह है कि लोकल बाडीज के चुनाव के बाद, म्युनिसिपैलिटीज, टाउन एरियाज और नोटीफाइड एरियाज के जो नये सदस्य चुने गये हैं उनको लेजिस्लेटिव कौंसिल के होने वाले चुनावों में राय देने का अधिकार नहीं है और जो पुराने मेम्बर्स थे उन्हीं को वोट देने का अधिकार है, यह सवाल आज खास तौर से उठाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि ठीक है, आज यह सवाल बहुतों के दिमाग में है लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब हमारे पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन ऐक्ट में यह दिया हुआ है कि जो पहली अप्रैल को वोटर होने की क्वालिफिकेशन रखता होगा वही उस साल वोटर हो सकेगा जिस साल कि वोटर लिस्ट बने।

"For the purpose of the section the qualification date in the case of every electoral roll shall be the 1st. of April of the year in which the roll is prepared."

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---सब को मालूम है।

श्री मोहनलाल गौतम---मैं इसलिये बतला देना चाहता हूं कि इसको समझने की तरफ तवज्जह नहीं की जा रही है। तो यह जो एलेक्टोरल रोल था यह उस आधार पर बना था कि फर्स्ट अप्रैल को अपने आपको क्वालिफाई कर सकें और सन् १९५३ में एलेक्टोरल रोल बनना चाहिये था ? क्योंकि सन् ५४ में इलेक्शन था। तो सन् ५३ में एलेक्टोरल रोल बने और हुजूरवाला, यह जो अमेंडिंग बिल पास हुआ म्युनिसिपैलिटीज का उस पर २० फरवरी सन् १९५३ को गवर्नर का कंसेंट मिला था और टाउन एरियाज अमेंडिंग बिल जो पास हुआ उस पर ११ फरवरी सन् ५३ को गवर्नर का एसेंट मिला था और नोटिफाइड एरियाज गवर्न होता है म्युनिसिपल ऐक्ट से। तो लोकल बाडीज अमेंडमेंट बिल फरवरी में पास हुआ और अक्तूबर में चुनाव हुये। फरवरी में बिल पास होने के बाद कोई यह उम्मीद करे कि पहली अप्रैल के पहले चुनाव हो जाता और जो नये नये चुने हुये मेम्बर थे वे पहली अप्रैल को आ जाते और वे क्वालीफाई कर लेते अपने आपको एलेक्टोरल रोल में दर्ज होने में, तो यह एक नामुमाकिन सी बात थी। "दे वेयर लिविंग इन ए फूल्स पैराडाइज"। जब यह अमेंडिंग बिल फरवरी में पास हुआ तो पहली अप्रैल से पहले चुनाव नहीं हो सकता था और नये चुने हुये मेम्बर पहली अप्रैल से पहले नहीं आ सकते थे और आज तक कोई आवाज भी किसी आपोजीशन की तरफ से नहीं उठी कि जो पहली अप्रैल को क्वालिफिकेशन की बात है उसको चेंज किया जाय। अक्तूबर में जो एलेक्शन हुआ वह यह मान कर हुआ और हर आदमी को यह अन्दाजा था और उपाध्याय जी जो कहते हैं कि जानता हूं तो उनको क्या मालूम है ? जब मैंने हाउस में कहा था कि गर्मी में या गर्मी खतम होने के पहले यह चुनाव हो जायगा। बहरहाल जुलाई, जून या मई में ही तो एलेक्शन होता ? जब कि फरवरी में ऐक्ट पास हुआ तो मार्च में तो यह हो नहीं सकता था क्योंकि यह एलेक्शन बड़ा लम्बा चौड़ा था। एक हजार तो पोलिंग स्टेशन हैं म्युनिसिपैलिटियों के, १०३५ टाउन एरियाज के, १६७ नोटिफाइड एरियाज के और कुल २२०२ पोलिंग स्टेशन हैं जिनके लिये ५० हजार से ज्यादा आदमियों के इन्तजाम

करने के लिये जरूरत है। जिसके लिये साढ़े ३ लाख बैलट बाक्स की जरूरत है तथा इन तमाम बैलट बाक्सेज को पहुंचाने की बात है, पुलिस के इन्तजाम करने की बात है, करोड़ों बैलट पेपर्स छपवाने की बात है जिसमें साढ़े ५ हजार सीट्स हैं और वह भी फरवरी में बिल पास हुआ तो यह समझना कि ३१ मार्च तक एलेक्शन होकर नये मेम्बर नहीं आये जो पहली अप्रैल को क्वालीफाई करते, तो यह गलत था। इसलिये जिन लोगों ने इस बिल को पास किया, इस सदन ने पास किया, यह समझ कर किया कि जो नया चुनाव होगा उसमें नये आने वाले मेम्बर क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे पहली अप्रैल को। आज तक किसी ने उसके बारे में आवाज भी नहीं उठाई, बरखिलाफ इसके उसी का हवाला देना चाहता हूं कि हमने यह सवाल उठाया था और यह समझ कर कि जो नये आने वाले लोग है जिनके चुनाव अक्तूबर में होने वाले हैं यह मुनासिब नहीं होगा कि उन नये चुनकर आने वाले लोगों को वोट देने का अधिकार न हो। हम यह नहीं चाहते थे कि जो पुराने मेम्बर हैं उनको वोट देने का अधिकार हो और इसलिये हमने १९ अगस्त १९५३ को गवर्नमेंट आफ इंडिया से दरखवास्त की कि वे पीपुल्स रिप्रेजेन्टेशन ऐक्ट को बदले और इस तरह से बदले कि हमारे सूबे में जो नये लोग चुनकर आने वाले हैं उनको राय देने का अधिकार हो और जिनकी जिन्दगी खत्म हो गयी है उनको राय देने का अधिकार न हो। उनका ३ सितम्बर को खत आया कि यह मामला जेरे गौर है। चुनाव के पहले तो हमने यह किया ही था उसके बाद चुनाव के बाद भी हमने १२ दिसम्बर १९५३ को फिर उन्हें लिखा और ८ जनवरी सन् १९५४ को उन्हें याद दिलाया कि इसको बदल दिया जाय। १३ जनवरी का खत इसके बाद उनका आया कि यह अप्रैल के बजाय जनवरी कर दिया जाय। यह अमेंडमेंट वह पेश कर रहे हैं। यह गवर्नमेंट आफ इंडिया का कहना है। इस मामले में आज मोटिव इम्प्यूट किये जाते हैं और यह कहा जाता है कि पुराने मेम्बरों से ही चुनाव कराना चाहिये है और नये लोगों को इजाजत नहीं देना चाहते। लेकिन हमने इसमें कसर नहीं उठा रखी और वह चीज हमारे अधिकार से बाहर थी। हम उसको बदल नहीं सकते थे लेकिन जो कुछ हम कर सकते थे हमने किया और काफी किया और इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते थे।

अब सवाल यह है कि अगर यह बदल भी गया तो यह वोट दे सकेंगे या नहीं। मैं इस चीज को साफ कर देना चाहता हूं जिससे गलती न हो। अगर यह ऐक्ट अमेंड भी हो गया और पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन ऐक्ट में बजाय अप्रैल के जनवरी हो भी गया तब भी क्या सरकार जो चुनाव मार्च और अप्रैल में होने वाले है उनके लिये कोई अलग से वोटर्स लिस्ट बनाये और उस पर ऐलेक्शन कराये यह मुश्किल नजर आता है। इसलिये कि जो वोटर्स लिस्ट बन चुकी है उसमें हम तब्दीली करने की कोशिश करते अगर नवम्बर और दिसम्बर में यह बात मालूम हो जाती कि पहली जनवरी क्वालिफाइंग डेट है और उस तबदील किये हुए लिस्ट से एलेक्शन कराने की कोशिश करते, लेकिन वह अभी ऐक्ट हुआ नहीं है। यह भी हमें मालूम नहीं है कि कब होगा और चुनाव जल्द आने वाले हैं। इसलिये नयी वोटर्स लिस्ट बनाना और उन पर आब्जेक्शन लेना और और दूसरे जो जरूरी प्रोसेस हैं वह सारा इस पीरियड में नहीं हो सकेगा जो हमारे डिस्पोजल पर है।

कुम्भ के बारे में भी कहा गया। वह मेरा एक तरह से मुहकमा है और मैं इसका जिम्मेदार हूं और कैबिनेट सब जिम्मेदार है। क्या क्या हुआ उसके बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। ट्रेजडी के बारे में राज्यपाल महोदय, मुख्य मंत्री और हमारे होम मिनिस्टर साहब दुख प्रकट कर चुके हैं और उसके बारे में काफी विवाद भी हो चुका है। उसकी इन्क्यायरी भी हो रही है। उस बहस में मैं इस वक्त नहीं पड़ना चाहता हूं।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—उपाध्यक्ष महोदय, आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर, क्या मंत्रियों के लिये कोई समय निश्चित नहीं है?

श्री उपाध्यक्ष—अभी आध घंटा भी तो उनका नहीं हो पाया है। अन्य वक्ताओं, पार्टी के लीडर्स को आध घंटा दिया गया था तो मिनिस्टर्स को भी इतना टाइम देना मुनासिब है।

श्री मोहनलाल गौतम--बहरहाल मुझे कोई ज्यादा वक्त इस हाउस का नहीं लेना है, क्योंकि मैं ऐसी बातें नही कहना चाहता कि जिससे इस हाउस का समय खराब हो। चन्द प्वाइन्ट्स के सिलसिले में मैंने अर्ज कर दिया। जहाँ तक कुम्भ की ट्रेजेडी का सवाल है उसके बारे में हमारे मुख्य मंत्री जी ने काफी कह दिया है और मैं भी यह कह सकता हूं कि वहाँ पर जो इन्तजाम किया गया था उसकी सारी जनता प्रशंसा करती है और विदेशों से जो लोग आये थे उन्होंने भी कहा कि उनके यहाँ भी ऐसा इन्तजाम नहीं हो सकता। वहाँ पर एक सबसे बड़ी अच्छाई यह रही है कि वहाँ पर एक भी मक्खी नहीं नजर आती थी। शायद ही कोई ऐसा घर हो कि जहाँ पर एक भी मक्खी हो और फिर ऐसी जगह पर जहाँ कि ५० लाख आदमी हों, वे जहाँ चाहें पाखाना पेशाब करें और वहाँ पर एक मक्खी भी नजर न आये उसकी तारीफ तो विदेशी भी कर चुके हैं। इसके बारे में मैं और कुछ नहीं कह सकता। इन शब्दों के साथ मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि मैंने दो एक मिनट कुछ ज्यादा वक्त ले लिया।

श्री मिहरबान सिंह (जिला इटावा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्री जी ने जो सन् १९५४-५५ का बजट पेश करते हुये उन्होंने भाषण किया और जो उन्होंने विकास योजनाओं पर चर्चा की उसके लिये हम उनको धन्यवाद देते हैं। इसके साथ ही हमारे प्रदेश के मुख्य मन्त्री और अन्य मंत्रियों ने जिसके नेकनियती से हमारे देश की तरक्की के लिये जो कार्य किये है, मैं समझता हूं कि हमारे किन्हीं भी मित्रों की इसमें दो रायें नहीं हो सकती हैं। यह हो सकता है कि किसी भी कार्य में कुछ त्रुटियां हों लेकिन उन्होंने जो कार्य किये हैं वह सराहनीय हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय नेता विरोधी दल का भाषण बड़े ध्यान से सुना। माननीय विरोधी पार्टी के नेता ने शुरू से आखिर तक ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे यह मालूम होता कि उन्होंने हमारी सरकार की सही आलोचना की है या जो सरकार ने कार्य ठीक किये हैं उनकी तारीफ की है या जिन कार्यों में त्रुटियां हैं उनकी उन्होंने आलोचना की है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह हम महसूस करते हैं कि कल्याणकारी राज्य में विरोधी पार्टी का होना ही आवश्यकीय होता है, और हम हृदय से चाहते हैं कि वह पार्टी हो, लेकिन अगर वह पार्टी आलोचना करे तो त्रुटियों पर ही आलोचना करे, वरना उस पार्टी से इस देश का हित नहीं हो सकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बतलाऊं कि आज से दो साल पहले बजट सेशन में हमने कुछ सिंचाई विभाग की कमियों के ऊपर प्रकाश डाला था और मुझे खुशी है दूसरे जिलों की बात तो मैं नहीं जानता कि मेरे जिले में जहां की जनता से मेरा सम्पर्क है, वह कमियां आज वहां दूर हो गई हैं या तो वहां के कर्मचारियों की योग्यता से या हमारे माननीय मन्त्री जी के परिश्रम से आज हमें वह शिकायतें नहीं मिल रही हैं। हमने देखा कि वहां पर पानी के वितरण पर और समय पर पानी न मिलने की काफी शिकायतें जनता को रहती थीं। परन्तु आज दो साल से वहां कि जनता इस पर काफी सन्तुष्ट है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज सिंचाई कर की वृद्धि की कुछ चर्चा चल रही है और चर्चा ही नहीं चल रही है बल्कि हमारे जिले के अन्दर हमारे विरोधी भाई या लाल टोपी पहनने वाले भाई एक तरह से सत्याग्रह कर रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि वह सत्याग्रह कैसा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप को यह सूचित कर दूं कि हमारे जिले के अन्दर ९५ प्रतिशत आबपाशी काश्तकारों ने खुशी से दे दी है। यह तीन चार दिन की रिपोर्ट है। इस सम्बन्ध में न वहां कोई कुर्की हुई है और न कोई सख्ती हुई है। हां, यह बात जरूर है कि जिन कृषकों को अधिक पैसा देना पड़ता है उन्हें कुछ असुविधा अवश्य होती है। लेकिन जब उन्हें यह बतलाया गया कि आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत है लेकिन बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां पर सिंचाई का इन्तजाम नहीं है और जहां अकाल के समय आने पर लोग भूखों मरते हैं, क्या हम उनका प्रबन्ध न करें, और जब उनके दिमाग में यह चीज आई तो उन्होंने कर देना सहर्ष स्वीकार किया। इसके साथ साथ उनको जब यह बताया गया कि इस समय विकास के कार्यों पर जो ऐसा पैसा व्यय हो रहा है और इस समय

जो विकास कि योजनायें चल रही हैं, उनमें जब कोई दिक्कत नहीं रहेगी तब आप की आबपाशी की दर भी कम होगी। तो इस आश्वासन पर वहां की जनता ने आबपाशी का पैसा अदा कर दिया। इस पर भी आज हमारे कुछ भाई वहां पर सत्याग्रह कर रहे हैं, और यह हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि यह सत्याग्रह कैसा है जबकि आबपाशी वसूल हो चुकी है। हम समझते हैं कि यह सत्याग्रह नहीं है। वह खुद शहीद होना चाहते हैं। वह यह चाहते हैं कि किसी तरह हम जेलों में भेज दिये जायं क्योंकि उनको यह अभिलाषा है और वह यह जानते हैं कि जो आज सत्ता पर बैठे हुये हैं वह जेलों की बदौलत बैठे हुये हैं, इसलिये अगर हम भी जेल पहुंच गये तो हो सकता है कि जनता की संवेदना हमारी तरफ हो जाय और हम भी किसी वक्त उन कुर्सियों पर जा करके बैठ सके। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे दिमाग में तो यही चीज है। जब एक चीज खत्म हो चुकी है, आबपाशी वसूल हो चुकी है, उसके बाद भी सत्याग्रह का होना ? तो यह चीज समझ में नहीं आ रही है।

हमारे जिले के अन्दर विकास कार्य बहुत ज्यादा हुये है। आज जानते हैं कि महेवा पाइलट प्रोजेक्ट जो चल रहा है, उसकी चर्चा खाली हमारे जिले में ही नहीं, हमारे प्रदेश के अन्दर हो रही है। बल्कि यों कहिये सारे देश के अन्दर हो रही है। अगर हम भी यह भी कहें कि उसकी चर्चा खाली इस देश के अन्दर ही नहीं हो रही है बल्कि बाहर के देशों में भी हो रही है, तो यह कोई अनुचित बात नहीं होगी। वहां कुछ त्रुटियां हैं, कुछ कमियां है लेकिन वह कमियां वहां के कर्मचारियों की है। मैं इसके लिये माननीय मन्त्री जी का ध्यान उस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि कभी कभी ऐसी त्रुटियां हो जाती हैं जिनसे पब्लिक कुछ हतोत्साह हो जाती है। मैंने एक मर्तबा सुना था कि ईख का बीज बिला जांच किये बांट दिया गया था, जिससे वहां ईख के उत्पादन में कमी हुई और उससे किसान कुछ हतोत्साहित हुये और जो कार्य वहां हो रहे हैं वह अच्छे ढंग के हो रहे हैं। एक तरफ जब विकास कार्य के लिये हमें पैसे की आवश्यकता है, तो दूसरी तरफ यदि बाधा डाली जाय, तो देश का विकास कार्य कैसे हो सकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे विरोधी दल के नेता ने पुलिस की काफी आलोचना की। मैं आपके सम्मुख उनसे यह कहना चाहता हूं कि क्या बिला पुलिस के देश का इन्तजाम हो सकता है ? मुझे बहुत अफ़सोस इस बात का है कि हमारे ८१ करोड़ के बजट में हमारे विरोधी दल के नेता जी ने कोई भी ऐसी बात नहीं कही कि यह कार्य सरकार ने जनहित के लिये किया है। जब तक यह चीज नहीं होगी तब तक देश की तरक्की नहीं हो सकती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो सही कार्य सरकार के हों, जो जनहित के कार्य हों, उनकी सराहना चाहे किसी भी पार्टी का मेम्बर हो करना चाहिये और जो त्रुटियां हों उनको हमारे मंत्रिगण के सामने रखना चाहिये।

इसके साथ साथ मुझे थोड़ा सा अफसोस और है और वह है पी० डब्ल्यू० डी० से। मैंने पी० डब्ल्यू० डी० के डिप्टी मिनिस्टर माननीय शर्मा जी से भी इसकी कई दफा चर्चा की। मुझे दुख इस बात का है कि इस डिपार्टमेंट के अन्दर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसे हम सब देखते हुये भी रोक नहीं पा रहे हैं। जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको आप जाने दीजिये, उनकी भावनायें बड़ी अच्छी हैं और वे चाहते हैं कि देश की तरक्की हो। लेकिन अभी तक कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो उसी पुराने वातावरण में रह रहे हैं। मैंने देखा कि वे ऐसे कार्यों को तो करते हैं जिनसे उन्हें कोई विशेष फायदा हो लेकिन जो कुछ दिक्कत की चीज समझते हैं उसके टालने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं। मैं मिसाल के तौर पर बता देना चाहता हूं कि इटावा जिले में वकेवर भर्थना एक सड़क गई है और दूसरी कोई सड़क वहां नहीं है। दो साल से बजट में उसके लिये रुपया रखा जाता है लेकिन आज तक वह सड़क बन नहीं पायी है। उसकी जो हालत है वह मैं कह नहीं सकता हूं, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ब्रिटिश हुकूमत के जमाने में भी वह सड़क ऐसी खराब हालत में नहीं थी। सवारियों की बात तो जाने दीजिये, जो लोग उस रास्ते से पैदल चलते हैं उनको बड़ी परेशानी होती है। तो मैं आपके जरिये से

[श्री मिहरबान सिंह]

माननीय मंत्री जी को इस बात की याद दिलाना चाहता हूं कि इस डिपार्टमेंट में जो कमियां हैं उनको सुधारने की कोशिश करें।

श्री मुश्ताक अली खां (जिला बदायूं)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा मुल्क और उसके साथ हमारा प्रदेश इतने अर्से तक दूसरों की हुकूमत में रहा है कि हमारी जिन्दगी का कोई पहलू ऐसा नहीं, जोकि मजरूह न हो चुका हो। न इस मुल्क में इससे क़ब्ल इस पैमाने पर पब्लिक को तालीम देने का इन्तजाम किया गया और न पब्लिक के फायदे के लिये जो काम आज कांग्रेस गवर्नमेंट के मातहत किये जा रहे हैं, ऐसे कभी पहले किये गये, न इंडस्ट्री की तरफ कभी ऐसी तवज्जह हुई और न दूसरी काटेज इंडस्टी की तरफ ऐसी तवज्जह हुई जैसी कि आजकल हो रही है। जिस वक्त इस मुल्क की हुकूमत यहाँ की जनता के हाथ में आयी और जनता की तरफ से यहाँ पर जो हुकूमत बनी उसने प्रदेश की इस खराब हालत को देखा और उस खराब हालत को देखते हुये उसने बजट बनाने की तैयारियाँ कीं और बनाये। ऐसे वक्त में कांग्रेस के पास हुकूमत आयी जबकि प्रदेश की सारी हालत बिगड़ी हुई थी और उसको जिन्दगी के हर शोबे में इस प्रदेश को आगे बढ़ाना था। इस बिना पर भी अगर बाज साहबान यह कहते हैं कि टैक्सेज का भार ज्यादा है तो मुझको निहायत अफसोस के साथ यह कहना पड़ेगा कि उन्होंने उन जिम्मेदारियों को सही तरीके से नहीं समझा जिन जिम्मेदारियों को कांग्रेस हुकूमत ने अपने कंधों पर लिया है, वर्ना वह कहते कि इससे भी ज्यादा सूबे के ऊपर खर्च करने की जरूरत है। जिस बजट पर तीन रोज से मुबाहिसा हो रहा है उसको कांग्रेस गवर्नमेंट ने प्रदेश की हालत को मद्देनजर रख कर बनाया है। कौन इंकार कर सकता है कि जो पालिसीज काम कर रही है अगर उनको ठीक तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया गया और उसके नतायज बरूयेकार आये तो मुल्क की उन्नति नहीं होगी और फायदा नहीं होगा।

जनाबवाला, मैं समझता हूं कि अगर कांग्रेस गवर्नमेंट इससे भी ज्यादा खर्च करने की मुल्क और प्रदेश की ताकत को जानती तो इससे भी ज्यादा टैक्स लगाकर मुल्क की उन्नति के काम को आगे बढाने की कोशिश करती। तावक्ते कि हम अपनी जिन्दगी के तमाम पहलुओं पर मरहम न रख दें हमें सकून नहीं मिल सकता है और हमारा प्रदेश भी आगे नहीं बढ़ सकता है। जनाबवाला, सबसे बड़ी रकमें इर्रीगेशन पर और दूसरे ऐसे कामों पर खर्च की गई है जो जनता की जिन्दगी से ताल्लुक रखते हैं। जनता का ज्यादा ताल्लुक तो देहाती जिन्दगी से है। हमें अपने कामों में इर्रीगेशन की सहूलियत की वजह से बहुत ज्यादा सहायता मिल रही है। लेकिन इसी सिलसिले में अर्ज करूंगा कि नजर से नहीं कि मैं प्रदेश के एक हिस्से से ज्यादा ताल्लुक रखता हूं और दूसरे हिस्से से नहीं रखता। जो शख्स अपने अन्दर हुब्बुल वतनी के जजबात रखता है वह इस चीज को कभी भी महसूस नहीं करेगा। लेकिन बाज औकात हालात ऐसे हो जाते हैं कि मजबूरन अर्ज करना पड़ता है। मैं समझता हूं कि इर्रीगेशन के काम पर ज्यादा तवज्जह पूर्वी जिलों की तरफ दी गई है और देनी भी चाहिये थी क्योंकि यहां की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। लेकिन इसके माने यह नहीं हैं कि प्रदेश के दूसरे हिस्से को किसी बड़ी हद तक नजरन्दाज कर दिया जाता है।

मैं समझता हूं कि पश्चिमी इलाकों में एक बहुत बड़ा इलाका ऐसा है जहां आबपाशी का यानी खेती के लिये आबपाशी का कोई जरिया नहीं है। अगर थोड़ी सी तवज्जह की जाय तो एक बहुत बड़ा इलाका है जो बदायूं और अलीगढ़ जिले के सरहद के करीब है। इसमें गालिबन तीन तहसीलें हैं यह इलाका ऐसा है कि यहाँ न तो नहर ही निकाली जा सकती है और न ट्यूब वेल ही बनाये जा सकते हैं क्योंकि किसी जगह की जमीन ऊंची है और किसी जगह की नीची है। ऐसी हालत में ट्यूब वेल्स बनाना या और किसी तरह का इन्तजाम करना बड़ा बेहतर तरीका यह है कि यहाँ पर परशियन व्हील और मैसेनरी वेल्स ज्यादा से ज्यादा बनाये जायं। अब तक गवर्नमेंट ने जो कुछ किया है वह बिलकुल न काफी है और जो कुछ किया

गया है उससे बहुत ज्यादा करने की जरूरत है क्योंकि वहाँ पर और कोई जरिया आबरसानी का नहीं है। इसके अलावा मैं कहूंगा कि हमारे आबपाशी के मंत्री ख्याल रखेंगे और बजट पास होने के बाद उनको तवज्जह होगी तो वह ख्याल रखेंगे कि बदायूं का कसीर रकबा ऐसा है जहाँ आबपाशी का कोई इंतजाम नहीं है और अगर वहाँ पर थोड़े से कुयें बना दिये जायं तो प्रोडक्टीविटी में यानी जरखेजी में वह किसी इलाके से कम नहीं है। लेकिन अगर वहाँ आसमान से पानी न बरसे तो किसी भी तरह से पानी मुहैया नहीं किया जा सकता है। अलावा कुओं के जरिये ही पानी पहुंचाया जा सकता है जिसमें गवर्नमेंट के सहायता करने की जरूरत है।

जनाबवाला, मुझे इस सरक्यूलर के मुताल्लिक जिसकी बाबत हमारे मंत्री लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ने कुछ कहा, अर्ज करना था और वह यह है कि मैं समझता हूं कि उन्होंने जो कुछ कहा वह इतना काफी है कि ऐतराजात का जहाँ तक ताल्लुक है वह दफा हो जाते हैं। लेकिन मैं उसी चीज को एक दूसरे ढंग से जनाबवाला के सामने पेश करूंगा और वह यह है कि यह सरक्यूलर कि छोटी म्युनिसिपैलिटीज या बड़ी म्युनिसिपैलिटीज सेकेंडरी ऐजूकेशन के ऊपर कोई रुपया सर्फ न करें, इससे बड़ी भारी दुश्वारी पैदा हो जाती है। मैं जिस क्षेत्र से निर्वाचित होकर आया हूं वहाँ एक सेकेंडी स्कूल है और एक इंटर कालेज है। जो कि सहसवान की म्युनिसिपैलिटी उनको अब तक चलाती रही है। लेकिन इस हुक्म के मुताबिक आइन्दा उनको म्युनिसिपल फंड से कोई फंड नहीं दिया जा सकता। वह जगह ऐसी है कि जोकि प्रदेश के बहुत ही अन्दरूनी हिस्से में वाकें है और आमदोरफत की वह सहूलियतें भी नहीं जोकि और जगह है। ऐसी जगह सेकेंड्री एजूकेशन का इन्तजाम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके वास्ते यही दो सूरतें हो सकती हैं कि या तो गवर्नमेंट उस कालिज को अपना बना ले और अपने इन्तजाम में ले ले या वहाँ की म्युनिसिपैलिटी को, जैसा कि मंत्री जी ने कहा था कि बाज सूरतें ऐसी हैं कि वह उस पर गौर करेंगे कि वह इस सरकुलर से आजाद कर दें, तो जोकि म्युनिसिपैलिटीज जिस तरीके से इस स्कूल को चलाती रही है, चलाती रहे।

जनाबवाला, मैंने हर मौके पर, जब कभी जनाब वाला ने मुझको इस सदन में बजट के सिलसिले में तकरीर करने का मौका दिया है, मैंने इस चीज को यहाँ पर हमेशा माननीय मंत्री जी पी० डब्ल्यू० डी० के सामने पेश किया है कि एक सड़क ऐसी है कि जिसके न होने की वजह से जिला बदायूं का कुछ हिस्सा ऐसा है कि वह बरसात के जमाने में बिलकुल बन्द हो कर रह जाता है। मैं पी० डब्ल्यू० डी० की स्टैंडिंग कमेटी का भी मेम्बर हूं और उस कमेटी की मीटिंग में भी मैंने इस चीज को पेश किया था और माननीय डिप्टी मिनिस्टर साहब पी० डब्ल्यू० डी० ने इसका वादा भी किया कि मैं इस चीज पर खास तरीके पर तवज्जह करूंगा, लेकिन मैं देखता हूं कि अब बजट को देखते हुये उसमें भी यह आइटम कतई तरीके से गायब है।

श्री रणंजय सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सब से पहले इस संवत २०११ अर्थात् सन् १९५४–५५ के लिये जो बजट है जिस में नये कर नहीं लगाये गये हैं माननीय वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं। यह और भी अच्छा होता कि यदि पुराने करों में भी कमी करके जनता को सुविधा पहुंचाई गई होती।

इसमें बहुत सी बातें विचारणीय हैं और मैं सदन में सदा इस बात का ध्यान रखता हूं कि जो कुछ मुझे सत्य जान पड़े निष्पक्ष भाव से उस पर अपने विचार प्रकट करूं। शिक्षा के संबंध में जो धनराशि बढ़ाई गयी है, उसके संबंध में भी मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। इसी प्रकार से वित्त मंत्री जी ने जो गोपाष्टमी के संबंध में धनराशि यहाँ रखी है उसके लिये भी वह धन्यवाद के पात्र हैं और यह भी मैं जानता हूं कि इस प्रकार से गो-धन के विकास से जनस्वास्थ्य और कृषि की बड़ी उन्नति होगी, परन्तु साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यदि यह गोपाष्टमी जो मनायी जाती है, यह वास्तविक रूप से मनायी जाय, इसका फल अच्छा हो पूर्ण रूप से तब इसके लिये इस बात की आवश्यकता है कि कि गो-वध अबिलम्ब

[श्री रणंजय सिंह]

बन्द किया जाय । मुझे इस बात को देखकर दुख एवं संताप होता है कि जहाँ जनमत की पुकार है, जहाँ गो-रक्षा की इतनी आवश्यकता है, जहाँ गाय की महिमा और उसके विकास की इतनी आवश्यकता समझी जाती है, कौन सी ऐसी अड़चन है जोकि गो-बध के ऊपर प्रतिबन्ध लगाने में सरकार को रोक रही है। मैंने माना कि गो-संवर्धन जाँच समिति बनी हुई है। वह इसके संबंध में अधिनियम बनाने पर विचार कर रही है, लेकिन जब तक वह आवेगा तब तक लाखों की संख्या में गो-धन का ह्रास हो जायगा। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि जब तक वह बने, वह तो बनता ही रहेगा, किन्तु गो-बध पर तो तत्काल प्रतिबन्ध लगा दिया जाय। जिस गोमाता की, जिसके कि उपकारों को मान कर ही माता माना गया है और उसकी प्रशंसा की जाती है, उसका हनन न हो।

गाय सम विश्व हितकारी नहीं अन्य कोई,
घास-पात खाती किन्तु अमृत पिलाती है।
दुग्ध, दधि, तक्र, घृत, मक्खन, मलाई, आदि ।
स्वास्थ्यप्रद, पुष्टिकर वस्तुयें खिलाती है॥
कृषि व्यवसाय के लिये है निज वत्स देती,
मल, मूत्र से भी सदा उपज बढ़ाती है ।
महिमा अपार गाय की है, 'रणन्जय' अतः—
माता वह मानवों तक की कही जाती है॥

इस प्रकार से गोमाता की इतनी महिमा, उसकी इतनी आवश्यकता को देखते हुये गोवश के विकास के लिये प्रयास करने की कितनी आवश्यकता है, पर जैसे किसी के हाथ में एक चलनी दे दी जाय, उसके ७२ छेद बन्द न किये जायं और कहा जाय कि इसमें पानी भरो तो पानी उसमें कैसे भरा जा सकता है क्योंकि वह तो उन ७२ छेदों से बराबर बहता जायगा। उसी तरह से जब तक कि गोबध पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता है और कोई कारण नहीं जान पड़ता है कि उस पर प्रतिबन्ध न लगाया जाय तब तक मैं नहीं समझता कि हम गोवंश की वास्तविक रूप में कैसे उन्नति कर सकते हैं। आज यहां समय निश्चित कर दिया गया है। उतने ही समय के भीतर बोलना आवश्यक है। मैं निवेदन करूंगा, किन्तु इससे पूर्व यह भी प्रार्थना श्रीमान् जी के द्वारा करूंगा कि मैं इस बात में विश्वास दिलाता हूं कि मैं बिल्कुल निष्पक्ष भाव से बोलता हूं। मेरे कहने का अभिप्राय यह नहीं कि मैं किसी का दिल दुखाऊं। मुझे जो बात सत्य जान पड़ती है, मैं उसे निवेदन करने में संकोच नहीं करता और उसे मैं जनहित के ही लिए कहता हूं।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि आजकाल अनुशासन की बड़ी चर्चा होती है। छात्रों के अनुशासन के लिए बड़ी-बड़ी बातें कही जाती है किन्तु यदि विचार किया जाय तो अनुशासन-हीनता कहां से चलती है, सबसे अधिक अनुशासनहीनता कहां दिखाई पड़ती है और इसका मूल कारण क्या है इस पर विचार किया जाय तो दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारे यहां के शासन में अनुशासन की बड़ी कमी जान पड़ती है। कारण यह है कि जब तक न्यायपूर्वक निष्पक्ष होकर सबके साथ समान बरताव नहीं किया जायगा तब तक अनुशासन की रक्षा नहीं की जा सकती। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है और यह बात मैं ही नहीं बल्कि बहुत से सज्जन कहते हैं, उनके मुंह से मैंने सुनी है कि आजकल शासन में बहुत अच्छे-अच्छे योग्य व्यक्तियों के रहते हुये भी अनुशासन की बड़ी कमी है और उसका कारण एकमात्र यही है कि शासन जिस दल विशेष से सम्बन्ध रखता है, उसके सज्जनों के साथ जो उसमें हैं, उनके साथ पक्षपात होता है। वह चाहे जैसे भी हों, अगर उनके दल में आ गये तो उनकी रक्षा करना शासन अपना कर्त्तव्य समझता है और इस प्रकार से जो अच्छे नहीं हैं उनकी भी रक्षा की जाती है और वहीं अनुशासन भंग हो जाता है। इस प्रकार से देखने में आता है, मैं देखता हूं कि नशाबन्दी के लिये कितनी बड़ी-बड़ी बातें कही गई । महात्मा गांधी जी के नाम पर कितनी बड़ी-बड़ी

बातें होती हैं। नशाबन्दी के लिये भी हुआ कि समस्त प्रदेश में नशाबन्दी होगी लेकिन वह समस्त प्रदेश में नहीं की गई। यह कहा जाता है कि जहां नशाबन्दी है वहां लोग नशा पीते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों नहीं ऐसा दृढ़ शासन किया जाता कि वह नशाबन्दी सफल हो सके? मुझे बड़ा दुख होता है, जब मैं देखता हूं कि सड़कों के नाम तो बड़े अच्छे-अच्छे लगे हुये हैं, महात्मा गांधी मार्ग और और इसी तरह के बड़े अच्छे अच्छे नाम सड़कों के रखे गये हैं किन्तु उन सड़कों पर मद्य और मांस की दुकानें खुली हुई हैं। जब मैं देखता हूं तो बड़ा दुख होता है और यदि महात्मा गांधी होते तो क्या इसको पसन्द करते। मुझे स्मरण है कि जब महात्मा गांधी जी जीवित थे तो उनके नाम पर बीड़ियां बनाई गई थीं, महात्मा जी ने इसका विरोध किया था और वह बन्द किया गया। इस प्रकार से कितने दुख की बात है कि महात्मा गांधी मार्ग पर आज भी मद्य और मांस की बिक्री होती है। मैं देखता हूं कि बड़े-बड़े सार्वजनिक स्थानों पर जहां आसन बने हुये हैं, लिखा है कि फार लेडीज ओनली, केवल महिलाओं के लिये लेकिन वहां बड़े-बड़े मूछधारी विराजमान रहते हैं। वहां सभी बैठते हैं क्योंकि वह लोग समझते हैं कि जब कोई एक नियम भंग करके बैठ जाता है तो दूसरा क्यों न बैठने पाये। इसका कारण यह है कि लोग समझते हैं कि किसी दल विशेष के लोग जाकर वहां पर नियम भंग करते हैं। नगरों में सुन्दर स्थानों पर देखिये तो कहीं थूक पड़ी है तो कहीं कूड़ा-करकट पड़ा है। इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि जैसे महर्षि दयानन्द ने कहा है स्वभाव के अनुसार व्यवस्था होनी चाहिये। इस बात का ध्यान रखा जाय, जैसा कि मनु महाराज ने कहा है :—

अदण्डयान्दण्डयन् राजा, दण्डयाश्चैवाप्यदण्डयन्।
आयशों महदाप्नोति, नरकंचैव गच्छति॥

यह भगवान मनु का वाक्य धर्म शास्त्र का है। जो राजा अपराधी को जो दंड के योग्य हो उसको दंड नहीं देता और जो दंड के योग्य न हो उसको दंड देता है, वह बड़ी निन्दा को प्राप्त होता है। वह इस लोक में और परलोक में भी निन्दा का पात्र है।

अन्त में मैं, यही चाहता हूं कि बड़ा सुन्दर शासन यहां पर हो। वह शासन ऐसा हो जो गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार हो। मैं चाहता हूं कि पंचवर्षीय योजना ही नहीं, पंच-सहस्र वर्षीय योजना बनायें लेकिन वह समाज में गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार हो और ऐसी योजना में सब को सहयोग देना चाहिये जिससे हमारे देश का कल्याण हो और वह उन्नति के शिखर पर पहुंच जाय। जब इस प्रकार से हम प्रयत्नशील होंगे तभी हमें सफलता प्राप्त होगी वरना जैसे बजट आते रहे हैं वैसे ही बजट बनते चले जायेंगे और जनता की भलाई उनसे होने वाली नहीं है।

श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय यह बजट जो प्रस्तुत किया गया है उसके लिये मैं माननीय वित्त मंत्री को हार्दिक बधाई देता हूं और उसके साथ ही साथ आपको भी बधाई देता हूं कि दो दिन के बाद, बहुत परिश्रम के बाद मुझे अवसर मिला है इस बजट पर भाषण करने के लिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जितने भाषण इस बजट पर पिछले दो दिनों में होते रहे हैं उनको मैं बड़े गौर से सुनता रहा हूं। माननीय विरोधी पक्ष के नेता का भाषण भी मैंने बहुत ध्यान से सुना। मैं आशा करता था कि वह बजट पर कुछ ऐसा भाषण करेंगे जो उनके गत वर्षों के भाषणों से कुछ भिन्न होगा। क्योंकि इस बजट पर माननीय वित्त मंत्री का जो भाषण हुआ है और जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह पिछले वर्षों से बहुत भिन्न है। लेकिन हमने देखा कि माननीय विरोधी दल के नेता ने बिलकुल वही राग अलापा जो कि उन्होंने गत वर्षों में बराबर अलापा है। उनको इस बजट में सिवा बुराई के कोई अच्छाई नजर नहीं आयी। मुझे क्षमा किया जाय, मुझे तो ऐसा लगता है कि माननीय विरोधी पक्ष के नेता को दृष्टि दोष

[ब्रजविहारी मिश्र]

हो गया है जिसके कारण उनको अच्छाई भी बुराई दीखती है। बुराई को अगर बुराई कहें तब तो यह उनका कर्त्तव्य ही है। परन्तु हम यह समझते हैं कि विरोधी पक्ष के नेता का केवल यही कर्त्तव्य नहीं है कि वह सारी बुराइयों ही को दिखलायें, जो अच्छाइयां हों उनको भी बुराइयों में परणित करके दिखलायें। बल्कि उनका कर्त्तव्य यह होना चाहिये कि अच्छाइयों को स्वीकार करें और बुराइयों और त्रुटियों को दिखलायें और सरकार का ध्यान उनकी तरफ दिलायें। लेकिन मेरी अल्प बुद्धि में यह आता है कि विरोधी पक्ष के नेता ने अपने इस कर्त्तव्य का पालन नहीं किया। उन्होंने यह कहा कि यह जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह कल्याणकारी राज्य का बजट नहीं है। यह वेलफेयर स्टेट का बजट नहीं है अच्छाई को वेलफेयर करता है। समय बहुत कम मिला है। २० मिनट के बाद पंद्रह मिनट और पंद्रह मिनट के बाद दस मिनट ही समय कर दिया गया है। इसलिये ज्यादा समय इन बातों पर व्यतीत करना नहीं चाहता।

अब मैं असली बजट पर कुछ बातें सदन के सम्मुख उपस्थित करना चाहता हूं। एक बात जो सदन में हुई उसको सुनकर मुझे हार्दिक दुख हुआ। माननीय वीरेंद्र शाह ने भाषण दिया था, उसके बाद माननीय जयपाल सिंह का भाषण हुआ।

उसके बाद माननीय फाखरी साहब ने भाषण दिया। इन तीनों भाषणों को सुनने के पश्चात् मालूम यह हुआ कि जो हमारा सदन है वह जनहित के कार्य के लिये नहीं है बल्कि वर्गवाद के वाद विवाद के लिये ही है। माननीय जयपाल सिंह जी ने हरिजनों के लिये कुछ बातें कहीं। मैं तो समझता हूं कि हम सभी लोगों का कर्तव्य है कि जो पिछड़े हुये हैं, जो दलित हैं, जो ग़रीब है, जिनकी हालत बुरी है उनकी हालत अच्छी करें, उनका सुधार करें और उनको उन्नतिशील बनायें। हरिजन मेम्बर जो यहां हैं उनका ही केवल कर्त्तव्य नहीं है बल्कि सारे सदन का कर्तव्य है कि हरिजनों का उत्थान किया जाय। जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम होगा उस दिन माननीय मुख्य मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला था कि वह और उनकी सरकार ने हरिजनोत्थान के लिये क्या-क्या क़दम उठाये हैं। इस पर उन्होंने बहुत अच्छी विवेचना की थी और हम सब लोग हरिजन उद्धार के लिये निरन्तर प्रयत्नशील रहे हैं। हरिजन सदस्यों के मुंह से हरिजनों की बातें सुन कर मुझे दुःख हुआ और खास कर जब यह कहा कि यह बजट गरीबो का बजट नहीं है, बल्कि अमीरों का बजट है, यह बात उनके मुंह से सुन कर अजीब मालूम हुई और दुख भी हुआ।

माननीय फाखरी साहब ने जो भाषण दिया ऐसा मालूम होता है कि वह ज्यादा जोश में थे। लिहाजा उस पर कुछ टीका टिप्पणी करना मैं जरूरी नहीं समझता। तत्व से हट कर उनका भाषण ज्यादा जोशीला हो गया। जोशीला भाषण न दे कर हमें तो बजट की असलियत पर विचार करना है कि इसमें क्या खराबियां हैं और क्या अच्छाइयां हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जो भाषण यहां हुये उनके सम्बन्ध में ये उद्गार रखना मैंने आवश्यक समझा।

अब बजट के बारे में यह सुन कर मुझे आश्चर्य हुआ कि यह ग़रीबों का बजट नहीं है। जितने भी डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं, जितनी भी नहरें बनाई गई हैं, सड़कें बनाई गई हैं, ट्यूबवेल बन रहे हैं, नाना प्रकार की इमारतें बन रही हैं, मजदूरों के लिये मकान बनाये जा रहे हैं ये क्या जन हित के लिये नहीं हैं? इससे किसका फायदा है? अमीरों का प्रश्न वहां कहां है? हमारे प्रान्त में अमीर हैं कहां? जब तक जमींदारी थी उस वक्त अमीरी थी, उस वक्त तक शोषक थे लेकिन अब तो कोई शोषक नहीं रहा। अब तो सब समानता पर ला दिये गये। जो काम किया जाता है वह सबके लिये किया जाता है। निर्माण का कार्य, सिंचाई का कार्य, जितने कार्य होते हैं वे सब जनहित के कार्य हैं, सब की भलाई के लिये है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बतलाना चाहता हूं कि यह कहना कि यह ग़रीबों का बजट नहीं है कोई विशेष मानी नहीं रखता। माननीय वित्त मंत्री का भाषण जिन्होंने पढ़ा होगा या इस सदन में सुना होगा उसमें साफ तौर से प्रकट कर दिया गया है कि क्या-क्या कार्य जनहित के लिये यह सरकार करने जा रही है। हर बात की व्याख्या उसमें कर दी गई है। सन् ४६ में हम कहां थे और

सन् ५४ में कहां हैं, इसकी जरा तुलना कर ली जाय। उसे देखने पर भी अगर यह तर्क उपस्थित किया जाता है कि यह गरीबों का बजट नहीं है तो यह असंगत सी बात प्रतीत होती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिये कुछ आंकड़े आप की आज्ञा से उपस्थित करना चाहता हूं। सन् ४६ में ४९ लाख रुपया सिंचाई पर व्यय होता था जब कि आज १० करोड़ ५५ लाख रुपया व्यय हो रहा है। बिजली पर उस समय ५२ लाख रुपया व्यय होता था जब कि इस वक्त १० करोड़ २४ लाख रुपया व्यय हो रहा है। उद्योग, विकास आदि पर उस समय कुछ भी व्यय नहीं होता था जब कि आज १ करोड़ १६ लाख रुपया व्यय किया जा रहा है। सड़कों पर पहले १ करोड़ के क़रीब खर्च होता था और आज ३,९३ लाख रुपया खर्च हो रहा है। इसी तरह से पंचर्षीय योजना जिस पर सारे देश में कार्य हो रहा है उसमें भी १३० करोड़ रुपया खर्च करने का हमारा अभिप्राय है। इस पर ६२ करोड़ रुपया अभी तक खर्च हो चुका है और ३० करोड़ रुपया आगामी वर्ष खर्च किया जाने वाला है।

अब बजट के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। चूंकि समय थोड़ा रह गया है तो दो सुझाव सरकार के सामने रखना चाहता हूं, जो बहुत आवश्यक हैं। सब से बड़ी प्रसन्नता इस बात की है कि सरकार रेहन्द बांध के लिये कुछ करने जा रही है। पूर्वी भाग का हर एक आदमी जो ग़रीब है और मैं उसी भाग का रहने वाला हूं जहां पर ग़रीबी और भुखमरी अपना तांडव नृत्य कर रही है, उस भाग के लिये इस पंचवर्षीय योजना में जो रक़म रखी गयी है उसके लिये मैं सरकार को बधाई देता है। इसमें उस रिहन्द बांध को सम्मिलित किया गया है जो पूर्वी जिलों को सहायता पहुंचायेगा। मैं चाहता हूं कि यह बांध तुरन्त बना कर तैयार कर दिया जाय।

इसके अलावा दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज माननीय मुख्य मंत्री जो यहां पर मौजूद हैं। मैं बजट के अन्दर एक बात देखता हूं कि इसमें इस बात का प्रबन्ध नहीं किया गया है कि चरित्रगठन का कोई प्रबन्ध हो। चरित्र-निर्माण की बहुत बड़ी आवश्यकता है और इसके लिये बजट में कुछ न कुछ प्रबन्ध होना चाहिये। हमारे विश्वविद्यालय में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वह जिस तरह की बात कर रहे हैं वह आप सब जानते हैं। उनके लिये चरित्र निर्माण की बहुत बड़ी आवश्यकता है। चरित्र निर्माण के लिये कुछ न कुछ जरूर होना चाहिये और उस तरफ ध्यान देना चाहिये।

इसके अलावा एक और बात यह कहना चाहता हूं कि सिचाई मंत्री की यहां पर सभी प्रशंशा करते हैं लेकिन मेरे जिले आजमगढ़ में जहां का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं वहां पर सिंचाई का कार्य कुछ भी नहीं हो रहा है। वहां पर सिंचाई का प्रबन्ध होने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जब हम लोग अपने चुनाव क्षेत्र में जाते हैं और हमसे जवाबतलब किया जाता है, तो हम कुछ भी जवाब नहीं दे पाते हैं। वहां पर सिंचाई का काम होने की निहायत जरूरत है और लोगों की यह मांग हमको भी सही मालूम होती है।

श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल्याण-कारी राज्य का जो कल्याणकारी बजट माननीय वित्त मंत्री ने पेश किया है मैं उसके लिये उनको हृदय से बधाई देता हूं। इस सम्बन्ध में दो दिन से माननीय सदस्यों के भाषण सुन रहा हूं। माननीय वित्त मंत्री ने बजट पर अपना भाषण दिया था उसको भी मैंने बड़े ध्यान से सुना और पढ़ा और विरोधी दल के नेता और संयुक्त दल के नेता ने जो भाषण यहां पर दिये उनको भी मैंने बड़े ध्यानपूर्वक सुना। जहां तक विरोधी दल के नेता की बातों का सम्बन्ध है वह तो हर समय सिवाय जनहित कामों की आलोचना करने के और कोई अपना सुझाव नहीं रखते और न कोई अपना ठोस प्रोग्राम ही उनके पास है। देहात में जहां भी कोई प्रोग्राम चलता है, चाहे वह प्लानिंग के सिलसिले में हो या दूसरे सिलसिले में, सिवाय उसकी आलोचना करने, बाल की खाल निकालने के अलावा उनके पास अपना कोई ठोस प्रोग्राम नहीं रहता।

जहां तक प्लानिंग का काम है हर जिले में वह काम हो रहा है। मेरे क्षेत्र में भी काफ़ी काम हुआ है। बरसात के दिनों में जो गांव पानी से भर जाते थे और जहां की फसल सड़ जाती

[श्री रामदुलारे मिश्र]

थी वहां पर गांव वालों ने कांग्रेस जनों के सहयोग से खुद बड़े-बड़े नाले बना दिये हैं। मेरे क्षेत्र में सब मिला कर करीब क़रीब २७ मील लम्बी सकरी सड़कें १५ फीट चौड़ी गांव वालों ने अपने हाथ से बना डालीं। इस तरह का काम जन सेवकों के द्वारा और उनकी सहायता और सलाह से दूसरे जिलों में भी हुआ है। इस बार भी विरोधी दल के नेता ने कोई नयी बात नहीं कही। लगता है जैसे अपने तरीक़े पर आन्दोलन चलाने की बात करते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि हम साधारण सभा में बैठ कर ही बोलते हैं। इस तरीक़े पर बातें करना हमारे विरोधी दल के नेता को ही मुबारक हो सकता है। बजट की ठोस बातों के बारे में माननीय वित्त मंत्री ने अपने १ घंटे ५० मिनट के भाषण में विस्तृत तौर से बता दिया है। लेकिन बजट के अन्दर कानपुर की उपेक्षा की गई जो उत्तर भारत का प्रमुख केंद्र है और बजट में माननीय वित्त मंत्री ने भी यही महसूस किया है। वहां आज हजारों मजदूर विभिन्न बीमारियों और टी० बी० से मरते हैं। टी० बी० अस्पताल बनाने की चर्चा बहुत दिनों से थी मगर अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसी प्रकार वहां विश्वविद्यालय बनाने की चर्चा बहुत दिनों से थी लेकिन उनके लिये बजट में कुछ भी नहीं है।

अब मैं थोड़ी बातें देहात के लिये कहता हूं। मेरे जिले में देरापुर में सेंगर नदी के पुल की जरूरत लोग बहुत दिनों से महसूस कर रहे हैं। इस ओर माननीय मुख्य मंत्री जी का भी ध्यान आकर्षित किया गया था। इसी प्रकार से कालपी और मुग़ल रोड तक मिलाने वाली रायपुरगजनेर सबनखेड़ा, मूसानगर की जाने वाली सड़क पक्की बनाने की बात है। अगर यह बना दी जाय तो यातायात और व्यापार की बहुत सहूलियत हो जायगी। अब मैं माननीय सिंचाई मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र मे मड़ौली, लालपुर, रैपालपुर, काशीपुर का और गहनो का क्षेत्र ऐसा है जो सत्तर गावों का रक़बा है और लगभग ३० हजार आदमी इस क्षेत्र में रहते हैं, वहां सिंचाई का कोई प्रबन्ध नहीं है। वहां हजारों बीघे जमीन बेकार पड़ी है। अगर केसुआ रजबहा से माइनर निकाल दी जाय, जिसकी नाप भी हुई थी, तो भी कुछ काम चल सकता है। इससे किसानों का काफी लाभ होगा।

हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने कुछ शर्तों के साथ मेरे क्षेत्र रूरा में महिला चिकित्सालय खोलने की मंजूरी दी है जिसके लिय हम उनके आभारी तो हैं ही। लेकिन मेरी तहसील में कुछ ऐसे गांव हैं जहां दो-तीन हजार की आबादी है। जैसे काशीपुर, सरवाहार, भडौली, बांगपुर इत्यादि हैं जहां औषधालयों की बड़ी आवश्यकता है। यदि वहां औषधालय कर दिये जायं, तो इससे वहां के लोगों का बड़ा कल्याण होगा।

एक बात की ओर मैं माननीय न्याय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे यहां अकबरपुर में मुंसिफी अदालत १०० वर्ष से थी जिससे अकबरपुर, पुखरायां, और देरापुर तहसीलों के किसानों को बहुत लाभ पहुंचता था और सारे मुकदमे अकबरपुर में सुने जाते थे। उसको हटा कर कानपुर में कर दिया गया है इससे बहुत ज्यादा समय और पैसा बरबाद होता है। अगर वह मुंसिफी फिर अकबरपुर में कर दी जाय तो बहुत अच्छा होगा। वहां पर पुख्ता इमारत भी अभी खड़ी है। रमईपुर, सचेंडी, शिवली तथा नबीपुर, गजनेर, भदास और अकबरपुर सरा तथा सरादेरापुर इन सड़कों की ओर भी ध्यान देने की शीघ्र जरूरत है। मुझे आशा है कि सरकार इस ओर ध्यान देगी। इसके साथ ही साथ हमारे जिले में अकबरपुर, रूरा और घाटमपुर ऐसे क़स्बे हैं जिनको टाउन एरिया बनाया जा सकता है क्योंकि ये व्यापार की बड़ी-बड़ी मंडियां हैं। इससे आमदनी भी बढ़ेगी और वहां के रहने वाले लोगों को भी सहूलियतें मिलेंगी, सफ़ाई होगी तथा दूसरे और इन्तजाम भी होंगे। यह सारी बातें आपकी मार्फत वित्त मंत्री जी की सेवा में मैंने प्रस्तुत करदीं और मुझे आशा है कि माननीय वित्त मंत्री जी कानपुर की आवश्यकताओं पर दृष्टि रखने की कृपा करेंगे।

श्री चंद्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)---मैंने इस सदन में राजनैतिक दल बंदी के भाषणों को सुना। मैंने देखा कि उन भाषणों से आकांक्षाएं और महत्वाकांक्षाएं

छलक रही थीं और उसके साथ साथ हमने देखा कि एक प्रतिस्पर्द्धा की भावना एक निकृष्ट रूप में बड़ी तीव्र प्रगति से बढ़ती हुई चली जा रही थी। लेकिन मैं यह बता देना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि मैं यह समझता था कि हम लोग यहाँ गरीबों की मूक भावनाओं, उनकी पीड़ाओं की अभिव्यंजना के लिये इस सदन में उपस्थित हुये हैं। मैं समझता था कि ग़रीबों और फकीरों की जितनी भी दुर्दशा हमारे देश के अन्दर है, आज हम इस सदन में उनके भाग्य को सुधारने के लिये आये हैं, । मुझे उन व्यक्तियों के भाषणों को सुन कर दुःख हुआ और ख़ासतौर से इस बात को देख कर कि जनता के प्रतिनिधियों ने, जिनकी आवाज़ के मानो जनता की आवाज होनी चाहिये थी, मैंने उसको नहीं पाया। पुष्प विमान पर बिठा कर सरकार को प्रशंसा के उत्तुंग शिखर पर बैठा देना क्या यह उपहास नहीं है ? दूसरी ओर कटु आलोचना करना उससे सरकार के हाथों को कमजोर करना यह कहाँ तक संगत दिखाई देता है ? यह भी तो उपहास से कम नहीं है। इस तरह से मैं समझता हूं कि इस सदन में भविष्य में इस प्रकार भाषणों की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिये। आज हमें तो यह देखना है कि जिस उत्तर प्रदेश को हम उत्पत्ति करना चाहते हैं, जिसकी, भव्य सुन्दर और स्वस्थ्य कल्पना हमारे दिमागों में है, उसके पोटेंशियल्स आज क्या इस बजट में हैं या नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि सरकार की बड़ी-बड़ी पालिसियाँ, बड़ी बड़ी स्टेट्समैनशिप इस बजट में छुपी हुई हैं और हमारे मुल्क और हमारे प्रान्त की भलाई के लिये काफी स्कीम्स हैं लेकिन जहाँ रिक्लेमेशन आफ लैंड्स के लिये लाखों रुपया पानी की तरह बहा दिया जाता है ? क्या रिक्लेमेशन आफ वेस्ट ह्यूमन लाइफ के लिये कोई बजट नहीं रक्खा जाना चाहिये ? इसका मुझे दुःख है। हमारे देश के अन्दर जो वेस्ट ह्यूमन लाइफ है उसको देख कर बड़ी उत्पीड़ना होती है। सरकार को कमीशन बैठा कर इसकी पूरी-पूरी जाँच करानी चाहिये और वे जो भीख माँगते हैं, वेश्याओं का पेशा करते हैं, चोरी करते हैं, यदि इनका रिक्लेमेशन इन बुराइयों से न होगा तो हमारी प्रगति कैसे हो सकती है ? आज जो हमारे देश के अन्दर लाखों और करोड़ों व्यक्ति कमजोर दिखलाई देते हैं उनको ताकतवर बनाने के लिये, उनके अन्दर नया जीवन पैदा करने के लिये, अगर कोई स्कीम और पालिसी सरकार एडाप्ट नहीं करती है तो मैं समझता हूं कि हमारा देश कमजोर रह जायगा। जो कहा गया है कि हमें इस देश को ऊंचा उठाना है तो क्या आप समझते हैं कि उनको ग़रीब और कमजोर रख कर यह देश आगे बढ़ सकता है ? इसके साथ ही साथ जो ह्यूमन इनर्जी का बहुत बड़ा दरिया इस देश में खंड मंड हो कर बहता चला जा रहा है क्या इस सरकार का कर्त्तव्य नहीं है कि वह इस शक्ति को उत्पादन शक्ति में परिणत करे, क्या इस सरकार का यह धर्म नहीं है ? मैं समझता हूं कि उस ताकत से बहुत अच्छा काम लिया जा सकता है, उससे देश की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। देश के अन्दर दूसरे उत्पातों, दुर्भिक्षों और लड़ाई आदि से उतना नुक्सान नहीं होता है जितना कि नुक़सान उस ह्यूमन इनर्जी से होता है जो कि देश के अन्दर इस देश को खंड मंड कर के बही जा रही है। इसलिये मैं इसको इम्पा-टेंस देता हूं और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैंने इस बजट को देखा तो उसमें जो इकनामिक ड्राइव की बात की गयी है उसके लिये तो मैं सरकार को बधाई देता हूं कि उससे उसका कुछ रुपया बचा परन्तु सरकार की पालिसी में जो मुझे कंट्रेडिक्शन नजर आया, मैं समझता हूं कि इस तरह का कंट्रेडिक्शन नहीं होना चाहिये। मैं पूछना चाहता हूं कि एक तरफ तो आप चपरासियों की बर्दी काट दें, कलेक्टरेट के छोटे छोटे चपरासियों और नौकरों को निकाल दें और उधर बड़े-बड़े साहबों की नियुक्तियाँ करते रहें और बड़े-बड़े सरकारी नौकरों के भत्ते और दौरे को आगे बढ़ाते रहें तो यह इकनामी ड्राइव हमें कहाँ तक आगे ले जायेगी, यह तो मेरी समझ के बाहर है। इसके साथ ही साथ मैं यह बतला देना चाहता हूं कि हमारी सरकार की जो पालिसी हो उसे बिलकुल कंसिस्टेंट होना चाहिये।

हमें बतलाया जाता है कि शहरों के अन्दर म्युनिसिपैलिटियाँ और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के और दूसरी-दूसरी जगहों पर जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, जिनमें ग़रीबों के बच्चे पढ़ते हैं इकनामी ड्राइव के अन्दर उनमें कमी करके, उनको तोड़ कर के, दूसरी जगह बड़ी-बड़ी युनिवर्सिटीज़ खोली जाती हैं, यह कहाँ का इकनामिक ड्राइव हैं ? कमजोरों के इन्टर कालेजों को तोड़ कर सरकारी डिग्री कालेजेज

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

खोले जा रहे हैं यह कहाँ तक जायज है ? सरकार का यह क़दम उठाना कहाँ तक जायज है इसे तो मेरी बुद्धि नहीं बता पाती है। हमारी युनिवर्सिटीज में बड़े-बड़े प्रोफेसर और लेक्चरार की तनख्वाह २५०, ३०० से शुरू होती है और सरकारी डिग्री कालेजों में प्रोफेसरों की तनख्वाह ५०० से १,२५० तक है, यह कहाँ तक जायज है ? मैं समझता हूं कि इस तरह की जो एनामली है हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता है। हमें तो स्पष्ट होना चाहिये। मैंने इस बजट को ध्यान से देखा और मैं चाहता हूं कि हमारा तो बजट भारतीय संस्कृति और सभ्यता के अनुसार होना चाहिये था। सब से अच्छा बजट वह है जिसके अन्दर गरीबों और कमजोरों के लिये सब से पहले इन्तजाम होता है। मैं समझता हूं कि जो सरकार के कर्णधार हैं वे डरते हैं। उनको भविष्य में अटल विश्वास नहीं है, वे आशंकित हैं कि न मालूम भविष्य में क्या हो जाय ? मैं तो चाहता हूं कि सरकार की नीति यह होनी चाहिये कि जो ग़रीब हैं, जो पिछड़े हुये लोग हैं उनका ख़याल सब से पहले होना चाहिये। मैं तो इस बजट को देख कर इसे सोल्जर्स बजट ही कहता हूं। एक आजाद देश के आजाद लोगों का बजट इस प्रकार का नहीं होना चाहिये। हम देश के लिये हैं और देश हमारा है। देश की तरक्की हमारी तरक्की है। कमजोरों की तरक्की सब से पहले की जानी चाहिये।

मैंने इस बजट में देखा है कि मिडिल क्लास के लिये प्राविजन किया गया है। क्या हम लोग इतने कमजोर हो गये हैं, क्या हम गाँधी के उच्च आदर्शों से इतने गिर गये हैं कि आज हम डरें कि हमको वोट नहीं मिलेंगे ? हम वोट के लिये नहीं पैदा हुये हैं। हम अपने राष्ट्र के लिये पैदा हुये हैं। मुझे महान् दुःख होता है जब मैं यह देखता हूं कि हमारी जो पालिसी है वह गरीबों के लिये उनके खाने के लिये, उनके झोपड़ों को दुरुस्त करने के लिये नहीं है। अगर हमारी सरकार नहीं देखेगी तो कौन देखेगा। क्या इनको भगवान पर छोड़ दिया जाय और ये लोग अपना खुद इंतिजाम कर लें। नहीं, यह ठीक नहीं है। हमारे ऊपर जो आज परेशानी है उससे हम घबड़ाने वाले नहीं हैं। और न घबड़ाने की जरूरत है। हमें अपनी पालिसी को स्पष्ट कर के उस पर हिमालय की तरह से अचल और अडिग रहना चाहिये और फिर हम सारा प्रबंध कर लेंगे। मैं वोटरों को अपोज करना पसन्द नहीं करता। मैं चाहता हूं कि कमजोर उठे, बढ़े और देश में उन्नति के शिखर पर आसीन हो।

इसके लिये मुझे और भी दुःख है कि आज एक प्रवृत्ति हमारी बढ़ती जा रही है और वह यह है कि जो चापलूस हैं, जो दूसरों की चुगली करना जानते हैं वे ही सरकार के पास पहुंच पाते हैं। वे ही आज चापलूसी कर के और लोगों की बुराइयाँ कर के आगे बढ़ जाते हैं। मैं देखता हूं कि इससे आज सारा राष्ट्र खत्म होता चला जा रहा है। नौकरियों के अन्दर देखिये। सारी सर्विसेज के अन्दर बिलकुल अव्यवस्था, बिलकुल गड़बड़ी पैदा हो गई है। लेकिन आज उन्हीं लोगों को मुंह लगाया जाता है जो चापलूसी करते हैं इसका हमें महान् दुःख है।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री बजट के भाषण को पढ़ते हुये मुझे एक जगह ऐसी मिली जिसके लिये मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने अपने भाषण के १९वें पेज पर इस बात को माना है कि हमारे प्रदेश में भूख, मुफलिसी और बेसामानी की मुसीबत है। दूसरा कारण मेरे धन्यवाद देने का यह है कि उन्होंने इस बात को ईमानदारी से सदन में स्वीकार किया है कि उनकी आशाओं का केन्द्र इस प्रदेश को चमन बनाने का उनका स्वप्न पंचवर्षीय योजना के द्वारा पूरा होगा। अध्यक्ष महोदय, पंचवर्षीय योजना में कुल मिला कर हमारे देश में २७ सौ करोड़ रुपया खर्च होने जा रहा है जिसमें ९ सौ करोड़ रुपये केवल विदेशी ऋणों पर और विदेशी सहायता पर निर्भर करता है। इन २७ सौ करोड़ में से हमारे प्रदेश में १३० करोड़ खर्च होगा जिसमें ६२ करोड़ रुपया खर्च हो चुका है और ३० करोड़ इस साल खर्च किये जाने की योजना है। श्रीमन्, बावजूद इसके कि पिछले दो वर्षों से माननीय वित्त मंत्री इसी प्रकार का कल्याणकारी बजट पेश कर रहे हैं और हर

साल ऐसी ही आशा की जाती है लेकिन एक कहावत है कि "ज्यों ज्यों दवा की, मर्ज बढ़ता ही गया"। हर साल कल्याणकारी बजट पेश होता है और हर साल बेकारों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। श्रीमन्, रोजगार-दफ्तर के सरकारी आंकड़ों के मातहत ही अगर देखा जाय, तो हमारे सारे देश में १९५१ में ३,२८,७१९ लोग शिक्षित बेकार थे। सन् १९५२ में ४,३४,५७१ हो गये। और सन् १९५३ में ५,६६,२२८ तक संख्या जा पहुंची। इसी तरह से हमारे प्रदेश में भी बेकारों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। हमारे प्रदेश में १९५१ में ५९,७७३ थी। सन् १९५२ में ८८,४७१ हुई और सन् १९५३ में ८९,४० हुई। यह है कल्याणकारी बजट का एक परिणाम। मैं समझता हूं कि कल्याणकारी बजट की एक ही कसौटी है और वह कसौटी यह है कि "बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय"। बहुजन कल्याण कहां हो पाता है। हम जब उस तसवीर को देखते हैं जो माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने इस मोटे बजट के जरिये सदन में पेश की है और उसका मुकाबला हम जब उस तसवीर से करते हैं जो कि सचमुच देहातों में या शहरों की गलियों में दिखायी पड़ती है तो हमको ऐसा लगता है कि दोनों में महान् और बहुत बड़ा अन्तर है। जब हम देहातों में जाते हैं तो देखते हैं, जैसा कि रामसुन्दर जी ने कहा, कि लोग गोबरहा खाते हैं। वह पिछले ७ नहीं, १० नहीं, २० नहीं बल्कि इससे पहले जो गोबरहा खाते आ रहे थे उसमें, इस कांग्रेस सरकार के ७ साल के जमाने में भी कोई कमी नहीं हुई है। जब हम देखते हैं कि एक हरिजन, चमार की लड़की या भर, पासी की लड़की, काफी उम्र बड़ी होने तक भी, दो अंगुल का कपड़ा लपेटे हुये बरगद और पीपल के नीचे उसके गोदे की गदिया बीन-बीन कर खाती है और अपने पेट की आग बुझाती है; जब हम देखते हैं कि स्टेशनों और प्लेटफार्मों के ऊपर आज तीन साल से कल्याणकारी बजट के पेश होने के बाद भी एक इन्सान कुत्ते के साथ जठे पत्तल और दोनों पर झपटता है तो हमको ऐसा लगता है कि इस प्रकार के बजट पेश होने के बाद भी हमारे प्रदेश की जो क्रय शक्ति है, हमारे प्रदेश की माली हालत है, वह सुधर नहीं रही है बल्कि नीचे गिरती जा रही है।

श्रीमन्, यह भी कहा गया कि प्राइवेट सेक्टर को अगर उत्साहित किया जाय, उसको प्रोत्साहन अगर सरकार की ओर से दिया जाय तो हमारा दुःख और तकलीफें दूर हो सकती हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि माननीय परिपूर्णानन्द जी ने बड़ी सफाई और बेनकाब तरीके से पूंजीवाद की वकालत इस सदन में की है, उसके लिये मैं उनको बार-बार बधाई देता हूं। श्रीमन्, मैं समझता नहीं कि प्राइवेट सेक्टर को कौन रोकता है? प्राइवेट सेक्टर में अगर हिन्दुस्तान भर में देखा जाय तो सन् १९४६ और १९५१ के बीच जब कि पूंजीपतियों के पास, हमारे देश के पूंजीवादियों के पास जो सरप्लस इकट्ठा हुआ जो सरकारी जांच के बाद पता लगा जो उन्होंने चुरा लिया और छुपा लिया उसकी बात तो छोड़िये—वह ६८५ करोड़ रुपया था और उसमें केवल २६३ करोड़ रुपया यानी ३८ फीसदी ही उन्होंने इस ५ वर्ष के बीच कल कारखानों और बेसिक इंडस्ट्रीज में लगाया है। इसकी वजह यह है कि उनको इस बात की गरज नहीं है कि इस देश के उद्योग-धंधे बढ़ें, जिससे यहां देश में बेकारी दूर हो और यहां की मुफलिसी दूर हो। श्रीमन्, हमारे इस सदन में ऐसे भाव प्रकट किये गये कि बेकारी कोई अहम समस्या ही नहीं है। लेकिन श्रीमन् मैं आप की आज्ञा से बता देना चाहता हूं और यह बात सही है कि हमारी केंद्रीय सरकार के पास और इस प्रदेश सरकार के पास भी बेकारी के कोई मुकम्मल आंकड़े नहीं हैं, इसको बजट भाषण में वित्त मंत्री जी ने माना भी है। लेकिन जो रोजगार दिलाऊ दफ्तर से हमको आंकड़े मिलते हैं उससे भी पता चलता है कि बेकारी बढ़ रही है और काफी खौफनाक तरीके से बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त जो कुछ आंकड़े हमको उपलब्ध हुये हैं, जिन को श्रीमन् आप की आज्ञा से पेश करना चाहता हूं, वे यह हैं कि अभी तक २७ लाख बेकार और अर्द्ध बेकार बुनकर हिन्दुस्तान में हैं। नारियल के रेशे का उद्योग करने वाले १ लाख बेकार हैं, चाय बागान में २० हजार बेकार हैं, लाख मजदूरों में ३५ हजार बेकार हैं और १० हजार अर्द्ध बेकार हैं। जूट मजदूरों में २० हजार बेकार हो चुके हैं और ४० हजार को निकालने की कोशिश हो रही है। लड़ाई के बाद रक्षा विभाग से कुल ७० हजार निकाले जा चुके हैं और ५ हजार को और निकालने की स्कीम है। सूती कपड़े के उद्योग में ६५ हजार बेकार

[श्री झारखंडे राय]

हो चके हैं। पिछले ४ सालों में २८ हजार मजदूर केवल बम्बई में ही छांटे गये थे। बीड़ी उद्योग में १ लाख से अधिक बेकार हैं, कोयले की खानों में काम करने वाले मजदूरों में ५ हजार में ५ हजार बेकार है और ५ हजार को निकालने के लिये कोशिश हो रही है। शिक्षित लोगों ने सन् १९५३ में जो अपने नाम लिखाये हैं, काम दिलाऊ दफ्तर में, उससे पता चलता है कि ४ लाख ६६ हजार २८८ बेकार हैं। भारत के व्यापार मंत्री टी० टी० कृष्णमचारी ने इस बात को माना है कि देश के दो-तिहाई टेकनिकल हैंड्स बेकार हैं। मैं नहीं समझता कि इससे भयावह स्थिति किसी देश या प्रदेश की क्या हो सकती है और कब ऐसी खौफनाक हालत की तरफ हमारे सदन का और हमारी सरकार का ध्यान जायगा ? आज एक सदस्य यह कहने की जुर्रत करते हैं कि यह कोई भयावह समस्या ही नहीं है क्योंकि उनके पास कोई बी० एस० सी० (ऐग्रीकल्चर), जिस के घर पर अच्छी खेती होती थी, नौकरी के लिये आया था।

एक सदस्य––उत्तर प्रदेश में कितने आदमी हैं ?

श्री झारखंडे राय––मैंने आप को बतला दिया कि उत्तर प्रदेश की सरकार के पास कोई इसके आंकड़े नहीं हैं। जो रोजगार दिलाऊ दफ्तर के आंकड़े मिलते हैं वह मैंने आप को पढ़ कर सुना दिये। आप अगर चाहें तो मैं फिर आप को पढ़ कर सुना सकता हूं। ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि जो हमारे यहां बेकारी है उसको हल करने के लिये सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिये। ऐसी स्थिति में जब हमसे अपील की जाती है सहयोग की, हम कहना चाहते हैं और बहुत सफाई के साथ कहना चाहते हैं कि मौत और जीवन में सहयोग नहीं होता, अन्धकार और प्रकाश में सहयोग नहीं होता, प्रतिक्रियावाद और प्रगतिवाद में सहयोग नहीं होता, पूंजीवाद परस्ती और जनता के जन-तंत्रवाद में सहयोग नहीं होता। सहयोग के दो ही रास्ते हैं, या तो हम अंधेरे की ओर बढ़ें या आप प्रकाश की ओर आयें। हम समझते हैं कि अन्धकार की ओर जाना कोई नहीं चाहेगा, उस तरफ बैठे हुये लोग भी नहीं चाहेंगे। तो एक ही उपाय है कि पूंजीवाद परस्ती की नीति को छोड़कर हम एक ऐसे राज्य की स्थापना की बात सोचें जिसमें विदेशी पूंजी का जो शिकंजा हमारे देश के ऊपर है वह छूटे। हम साफ कहना चाहते हैं कि एक दो नहीं, पांच सौ वर्ष तक अगर वित्त मंत्री जी जीवित रहें और यह सरकार जिन्दा रहे, जो कि होना नहीं है, और ऐसे ही बजट पेश करते रहें, फिर भी कल्याण-कारी राज्य, जिसकी कल्पना की जाती है, वह स्थापित नहीं हो सकता। वास्तविक चित्र वह नहीं है जो दिखाई पड़ रहा है वित्त मंत्री जी को। वित्त मंत्री जी ने यह वह आइना अपने सामने रख लिया है जिसमें उनकी शक्ल बहुत भारी भरकम, मोटी और स्वस्थ दिखलायी पड़ रही है। इसलिये उनको भ्रम हो रहा है कि उनके बजट से हमारे प्रदेश की हालत अच्छी हो रही है।

श्रीमन्, कल्याणकारी राज्य का बजट हम तब इसको मानते जब बेकारी और बेरोजगारी कम होती, जनता की क्रय शक्ति बढ़ती, जो कारखाने बन्द हो रहे हैं, लाक आउट हो रहे हैं, उनमें कमी होती, जो स्टाक जमा हो रहा है, वह खाली होता और जनता उसको खरीदती जो अर्द्ध अकाल, अकाल, अर्द्ध काल की हालत प्रदेश के किसी न किसी भाग में बराबर बनी रहती है, वह खत्म होती, मजदूर जो छटनी, रैशनेलाइजेशन आदि के शिकार होते रहते हैं, वह बन्द होता। पिछले छः वर्षों में कांग्रेस राज्य के होते हुये भी किसान अपनी पुश्तैनी हजारों बीघा जमीन से बेदखल हो गये हैं। विद्यार्थियों की पढ़ाई का खर्चा बढ़ता जा रहा है। हमारी नागरिक स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। कानपुर ऐसे शहर में बराबर दफा १४४ लगी रहती है और वहां के जो वर्कर्स हैं उनको वहां के अधिकारी किसी न किसी बहाने गिरफ्तार और तंग करते हैं। ऐसी हालत में हम इस बजट को वह नहीं मान सकते जो वित्त मंत्री के शब्दों में है।

श्रीमन्, पुलिस विभाग के बारे में भी मुझे कुछ निवेदन करना है। इसमें शक नहीं कि गृह मंत्री की पुलिस ने काफी कुयश कमाया है, तेलंगाना में कमाया है, नैपाल के आन्दोलनों को

दबा कर कमाया है और हमारे सूबे के हर हिस्से में , जिसकी चर्चा उधर के बैठे हुये सदस्यों ने भी समय-समय की है, कमाया है। लेकिन मैं दो बातों की इस समय गृह मंत्री से अपील करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश की पुलिस बस्ती जिले में जो नैपाल की सीमा से मिला हुआ क्षेत्र है, उसके उस पार जाकर चुपके तरीके से वहां के किसानों को दबाती है, उनको तंग करती है, उनके घरों को फूंकती है और हर तरह से ज्यादती करती है। यह बन्द होना चाहिये। मैं चाहता हूं कि इसकी आप पूरी जांच करें। दूसरे, जो सीमा के इस पार बस्ती जिले के सीमान्त की बाजारें हैं उनमें माननीय गृह मंत्री की पुलिस ने तमाम आफत बरपा कर रखी है। छोटे मोटे हर एक काम करने वाले से , जो अपनी दुकान बाजारों में ले कर आता है उसको हर एक दूकानदार को लेने के लिये तंग करना और न देने पर मारना, पीटना, यही उसका काम है। यह बन्द होना चाहिये।

श्रीमन्, मैं बुनकरों के बारे में में भी कुछ कहना चाहता हूं। हमारे सूबे में ३ लाख के लगभग करघे और काफ़ी बुनकर हैं। ४० लाख लोगों का पेट कपड़े के काम से भरता है। लेकिन उनकी दयनीय हालत की ओर कोई विशेष ध्यान इस सरकार की ओर से इस बजट में नहीं दिया गया है।

श्रीमन्, उर्दू भाषा और मुल्क के बटवारे के बारे में भी यहां कुछ कहा गया। मैं शाहिद फ़ाख़री साहब को उनकी स्पीच पर बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ी हिम्मत और जवांमर्दी के साथ आज अपने भावों को प्रकट किया है, जो जरूरी था। कांग्रेस की पोशाक में छिपी हुई हिन्दू महासभाई की मनोवृत्ति जो यहां पर प्रकट हुई, उसका जोरदार विरोध प्रकट होना चाहिये। उर्दू भाषा का सवाल और मुस्लिम जमात जो अलीगढ़ में क़ायम हुई, उन दोनों सवालों को एक में मिलाना ठीक नहीं है, क्योंकि मुस्लिम जमात में कोई ग़ैरमुस्लिम नहीं है। लेकिन जो उर्दू का सवाल है उसमें बहुत से हिन्दू भी शामिल हैं।

श्री गंगा प्रसाद (ज़िला गोंडा)––माननीय उपध्यक्ष महोदय, मैं आज बजट पर जो तीन दिन से चल रहा है अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। सर्वप्रथम बजट को पेश करने के लिये मैं माननीय वित्त मंत्री को बधाई देता हूं। इस बजट को पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि यह बजट ग़रीबों को ऊपर ले जाने वाला है। कुछ लोगों ने यहां नुक्ता चीनी की परन्तु मैंने अपनी दृष्टि से देखा कि जब से इस बजट को माननीय वित्त मंत्री ने पेश किया और जो पिछले कारनामे हैं उनको देखते हुये मुझे यह यक़ीन है कि थोड़े दिनों के अन्दर हमारा प्रान्त बहुत ऊंचे उठ जायगा। हम तो बधाई देते हैं अपने पश्चिमी जिलों के भाइयों को कि उनकी वजह से आज हमारे पूर्वी जिलों में जो भुखमरी और अकाल था और बाढ़ की वजह से जो तबाही थी वह मिटी और हमारा कार्य आगे बढ़ा। आज हमारे पूर्वी जिलों में बहुत से भाइयों को जो तबाही की हालत में थे उनको कुछ सहारा मिला। सरकार ने अपने बजट के जरिये से या यों कहिये कि अपने कार्य के जरिये से वहां की भुखमरी को दूर किया और जो कार्य वहां किया वह उनके कल्याण ही के लिये हुआ। आज हमारे सूबे में जो सब से उत्तम कार्य होने जा रहा है, ख़ास कर हमारे पूर्वी जिलों के लिये जो रिहन्द बांध बनने जा रहा है उसके बारे में मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि १० लाख रुपये जो पिछले वर्ष हमसे लिये गये थे वे सारे उसमें ख़र्च हो गये या उसमें से कुछ बच गया ? इस साल ४ करोड़ रुपया सरकार उस पर ख़र्च करने जा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि यह ४ करोड़ रुपया पूरा का पूरा ख़र्च कर दिया जायगा। हम आशा करते हैं और वाकई में अगर पूर्वी जिलों में लोगों का कल्याण करना है तो रिहन्द बांध को बनवा दीजिये। इसके बन जाने से पूर्वी जिलों का कल्याण होगा।

आज एक तरफ हमारे यहां बेकारी फैली हुई है। अगर यह रिहन्द बांध बनना शरू हो जाय तो कम से कम दस हज़ार आदमी उसके काम पर लग जायेंगे और एक तरह से किसी हद तक बेकारी की समस्या हल होगी और पूर्वी जिले भी पश्चिमी जिलों की बराबरी कर सकेंगे।

[श्री गंगा प्रसाद]

कल ही हमारे एक पश्चिमी जिले के साथी ने बातों के सिलसिले में मुझसे कहा था और ताना दिया था कि आज तुम लोग पश्चिमी जिलों की वजह से मौज कर रहे हो नहीं तो भूखे मर जाते। उनका कहना सही है। आज हमारे यहां के ब्राह्मणों और ठाकुरों का यह हाल है कि वह हल नहीं चला सकते हैं। उनकी औरतें खेत पर नहीं जा सकती हैं। आज वह दिन आ गया है कि हम लोग भूखे मरेंगे, पूरब के लोग मरेंगे। क्योंकि उसका कारण यह है कि जो करेगा वह खायेगा और जो करेगा नहीं वह खायेगा नहीं।

आज हमारे राजा साहब वीरेन्द्र शाह ने यहां तक कहा है कि यह जो हमारी सरकार ५० लाख रुपया हरिजनों के ऊपर खर्च कर रही है वह नाजायज किया जा रहा है। राजा साहब तो चले गये हैं। अगर वह होते तो हम दो चार बातें उनसे करते। लेकिन फिर भी हम कहना चाहते हैं कि राजा साहब के पापों की वजह से ही हमारी यह दशा हुई है। उनके पाप और अत्याचारों के कारण ही हम लोग दबाये गये, हम से बेगारी ली गई और तबाह किये गये। आज भी प्रगतिशील सरकार हमारे लिये अगर कुछ कार्य करती है तो यह लोग सदन के अन्दर इस तरह की बात करते हैं। आज भी उनके अन्दर वही भावना है। मैं आप को उसका प्रत्यक्ष प्रमाण देता हूं। अभी हाल ही की बात है कि हमारे साथी श्री बेचन राम विश्वनाथ भगवान के दर्शन करने के लिये काशी गये। वहां पर क्या हुआ। राजा महाराजाओं के प्रतिबिम्ब श्री करपात्री जी ने हमारे भाई को मंदिर के अन्दर घुसने तक नहीं दिया। क्या यह उनका प्रतिबिम्ब नहीं है, मैं यह कहता हूँ कि इस तरह से आज भी हम सताये जा रहे हैं और दबाये जा रहे हैं। अगर हमारी सरकार हमको उठाने की कोशिश करती है तो इस तरह की बातें कही जाती हैं और हमें भगवान की पूजा तक करने का मौक़ा नहीं दिया जाता है।

मैं कहता हूं कि हमारी सरकार सब कुछ कर रही है। पिछले साल भी हमने कहा था और आज भी कह रहा हूं कि हमारे कर्मचारियों और चपरासियों की महंगाई भत्ते का सवाल है। यहां सेंट्रल गवर्नमेंट के चपरासी को ३५ रुपया महीना भत्ता मिलता है और यहां के चपरासी को केवल २० रुपया महीना मिलता है। केन्द्रीय सरकार के चपरासी को हाउस एलाउन्स मिलता है और हमारे यहां के चपरासियों को नहीं मिलता है। उनको भी मिलना चाहिये उनकी ग़रीबी को देखते हुये और मंहगाई को देखते हुये उनको अवश्य मिलना चाहिये।

आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बलरामपुर में उखड़ा काश्तकारी हो गयी थी लेकिन आज भी ठेकेदार सैकड़ों काश्तकारों को अदालत में परेशान किये हुये हैं। उनके ऊपर मुक़द्दमे चल रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हमारी सरकार जरूर इधर ध्यान देगी और मुक़द्दमों को रोकने की कृपा करेगी। जहां तक बिल्डिंग मजदूरों का ताल्लुक़ है। हमारी सरकार ने इधर ध्यान नहीं दिया है। उनके लिये कोई ऐसा विधेयक नहीं बनाया है जिससे अगर कोई ठेकेदार उनकी मजदूरी नहीं देता है तो उसकी कोई रोकथाम हो सके। मुझे आशा है कि सरकार इधर ध्यान देगी।

सरकार मध्यमवर्ग के मकानों के ऊपर ३ करोड़ रुपया ख़र्च करने जा रही है। वह ग़रीबों के मकानों के ऊपर नहीं कर रही है। इस पर मुझे यह कहना है कि यह सरकार को देखना चाहिये कि गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार वर्गहीन समाज में इस तरह से श्रेणी का बंटवारा नहीं होना चाहिये। इसलिये अगर सरकार मकान बनाती है तो सब के लिये बनाये जायं। पहले मजदूरों के लिये मकान बनाये जायं जिनके पास नहीं हैं हम चाहते हैं कि शहरों के क्लर्कों के लिये और मध्यम श्रेणी के लिये भी बनें लेकिन एक नीति यह निर्धारित होनी चाहिये कि पहले उन ग़रीबों को इन्तजाम होना चाहिये जिनके पास धन नहीं है और शहर के मजदूरों के लिये पहले इन्तजाम होना चाहिये और उसके बाद अन्य लोगों को।

श्री नाजिम अली (जिला सुल्तानपुर)---श्रीमन्, मैं १० मिनट में एक तो मंत्री जी का शुक्रिया अदा करूंगा और एक आप का कि मैं दूर बैठे हुये भी आप की नजर से देखा गया। इस हाउस में तीन दिन से बहस हो रही है और जिस चीज पर मुत्तफिक़ तरीके से दोनों, तीनों पार्टियां इजहारख़याल करती हैं वह बेकारी और रोजगार का मसला है और मैं उसी को लेना चाहता हूं। यह बेकारी और बेरोजगारी है कहां? हमारे देश के अन्दर मुख्तलिफ़ तरीक़े के पेशे हैं और उन तमाम पेशों में सब से उत्तम जिस चीज को हम मानते हैं वह खेती है और किस वर्ग और पेशे के लोग बेकार और बेरोजगार हैं? मैं देखता हूं कि सुनार का लड़का, धोबी का लड़का, हज्जाम का लड़का, किसी पेशेवर का लड़का, बेकार नहीं है। हर लड़का अपने बाप से अपने पेशे को सीखता है और काम में लगता है। खेती करने वाले हमारे देश में यहां मुसलमान, ब्राह्मण और क्षत्री रहे और आज भी उन्हीं के हाथ में खेती है और यही खेती करने वाले जो लोग हैं उन्हीं की औलाद बेकार लोगों में है। उसका क्या कारण है? उसकी वजह यह है कि हमारे यहां यह अजीब प्रथा है कि जो काम करे वह नीची जात समझा जाता है और जो काम नहीं करता वह ऊंची जात वाला समझा जाता है। तो इन ऊंची जात वालों ने खेती में हाथ नहीं लगाया, हमेशा छोटे-छोटे आदमियों से खेती करायी। एक लड़का देखता है कि हमारे पिता जो देहाती थे और धोती पहनते थे उन्होंने आज तक हल की मुठिया नहीं पकड़ी, तो हम ग्रेजुएट हो करके कैसे पकड़ें? वह नौकरी की तलाश में फिरते हैं और हमारे ये भाई बेरोजगारी का रोना रोते हैं। अगर ठीक तरीके से वह अपने खेतों पर जायं तो पढ़े लिखे लड़के, ब्राह्मण, क्षत्री, मुसलमानों के लड़के बेकार नहीं रह सकते हैं, वह बेकारी को ख़त्म कर सकते हैं। हमारी सरकार ने आज यह हुक्म दिया है कि प्रायमरी मदरसों में ५ एकड़ जमीन और मिडिल स्कूलों में १० एकड़ जमीन इस काम के लिये हो कि उसमें खेती करना सिखाया जाय और जिन लोगों ने ऐग्रीकल्चर लिया है आज उनका चुनाव हो रहा है और वह उन स्कूलों में जा रहे हैं। जब वह उन स्कूलों में जायंगे और लड़के ऐग्रीकल्चर सीखेंगे और खेती में लगेंगे तो हमारे यहां की यह प्रथा कि ऊंची जात वाले हल की मूठी पकड़ना बुरा समझते हैं वह टूटेगी और हमारे देश से बेकारी ख़त्म हो जायगी।

कानपुर में चौधरी चरण सिंह गये थे और इस चीज को तोड़ने के लिये मैंने ५० बड़े ब्राह्मण और ठाकुरों के हाथ पैर जोड़ कर उनको इस बात के लिये राजी किया कि वह हल चलावें और मूठी पकड़ें और उन से हल जुतवाया और अब वहां आसानी से सब लोग हल जोतते हैं। अगर हमारे समाज में से इस गड़बड़ी को दूर कर दिया जाय तो इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। दूसरी चीज मुझे यह निवेदन करनी है कि यहां पर कुछ बात उर्दू के मुताल्लिक़ और मुसलमानों के मुताल्लिक़ हुई। उसके मुताल्लिक मुझे साफ तरीके से कहना है कि मैं अपने को मुसलमान समझता नहीं। मैं यह भी साफ तरीके से कहता हूं कि मैंने कभी भी अपने को मुसलमान नहीं कहा और न यह कि मैं हिन्दू हूं। मैं हिन्दुस्तानी हूं मैं जब मुस्लिम सीट से खड़ा था तो मुजफ्फर हसन सुल्तानपुर गये थे। वहां पर मुसलमानों ने मुजफ्फर हसन से कहा कि यह अपने को मुसलमान नहीं कहते हैं। यह काम करते हैं, यह सच्चे हैं और बीसियों वर्ष से कांग्रेस का काम करते हैं। अगर आज अपने को मुसलमान कह दें तो मैं वोट दे दूंगा। मुजफ्फर साहब ने मुझसे कहा कि कह दो अपने को मुसलमान। मैंने कहा कि मैं असेम्बली की मेम्बरी को लानत भेजता हूं। वोट के लिये मैंने जिन्दगी को खराब नहीं किया। देश में जो गुलामी है, ग़रीबी है उसको मिटाने के लिये निकला हूं और जो चीज ठीक समझ चुका हूं, असेम्बली की मेम्बरी के लिये उस उसूल से फिरूंगा नहीं। तो इस मामले में जो मेरी राय होगी वह न हिन्दू की तरफ से होगी, न मुसलमान की तरफ से। मैं एक खुली राय रखता हूं। मैं कहता हूं कि हमारा देश एक भीषण परिस्थिति में गुजरने वाला है। मैं आपसे कहता हूं कि वह चीज जो कि आज हमारे देश के ऊपर मंडला रही है वह कभी भी ऐसे रंग लाने वाली है जिनसे कि हमें चिन्तित रहना चाहिये। आज मैं अखबारात देखता हूं, चन्द अखबारों को आप देखें, शुरू से आख़िर तक आप पढ़ जाइये, उस अख़बार को, आप यह पता नहीं पा सकते कि यह अख़बार कानपुर से निकला है या लखनऊ से। पूरे अख़बार को पढ़ने के बाद आप कोई राय नहीं क़ायम कर सकते सिवा इसके कि यह अख़बार या करांची

[श्री नाजिम अली]

में छपा होगा या लाहौर में छपा होगा। उसमें सिवा पाकिस्तान की खबरों के और कोई खबर नहीं मिलेगी, अगर थोड़ा सा हिस्सा हिन्दुस्तान का मिलेगा भी तो वह इतना बुरा होगा, इतना खराब होगा कि उससे यही मालूम होगा कि हिन्दुस्तान में अराजकता फैली हुई है, आजादी इस राज्य में है नहीं।

तो इस तरीके की चीजों पर मैं अपने मंत्रियों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आज इस राज्य के जो कर्मचारी हैं वह अगर नौ बजे की बात को ४ बजे खबर देते हैं तो आप उनके ऊपर कभी विश्वास न करिये। आप देखिये कि क्या होने वाला है भारत के साथ? मैं कहता हूं कि जंग होकर रहेगी। पाकिस्तान कायम नहीं रह सकता बगैर जंग के और अमेरिका की तिजारत कायम नहीं रह सकती बगैर पाकिस्तान को हथियार दिये हुये। अमेरिका को तुर्क मिल गये हैं, उसको पाकिस्तानी मुसलमान मिल गये हैं। आज इन चीजों को आप अच्छी तरह से देखिये। आज हिन्दी और उर्दू का मामला नहीं है। असल चीज है कि हमारे देश की हालत क्या है? पाकिस्तानी इस बात को जानते हैं कि हिन्दुस्तान के जो मुसलमान हैं, जईफ़ हैं, बुड्ढे हैं। नवजवान हमारे यहां पुलिस और फौज में हैं। यह आप यकीन मानिये। मैं जानता हूं उनके ख्यालात को, मैं जानता हूं उनके जजबात को। जितने नवजवान थे वह सब पाकिस्तान को चले गये। वह आज वहां फौज में हैं और जब पाकिस्तान लड़ाई करेगा तो वह हमको मदद नहीं करेंगे, हमसे लड़ेंगे और उनके बाप और दादा जो इस देश में रह गये हैं वह भी हमारी मदद नहीं करेंगे, हमारी पीठ में खंजर भोंकेंगे। मैं आप से साफ कहता हूं कि हम देश में काम करने निकले थे। हमने यह नारा लगाया था कि हम अपने देश के लिये सब कुछ लुटा सकते हैं। तो मैं इससे डरता नहीं कि कोई मुसलमान मुझे मार डालेगा। मैं जिन्दगी भर दावत देता रहा मौत के लिये और आज भी डरता नहीं हूं। जान अगर देश के लिये काम आये तो इससे बढ़ कर और कोई चीज नहीं हो सकती। मैं साफ कह देना चाहता हूं कि लीग एक ऐसी जमात थी जो मजहब पर मुनहसिर थी लेकिन जमैयतुलउलेमा एक पिछड़ी हुई जमात है और कट्टर मजहबी जमात है। उससे यह आशा न रखिये कि वह हिन्दुस्तान का भला चाहेगी और वह हुकूमत के साथ चलेगी। जो कट्टर मजहबी जमात हो वह नामजहबी हुकूमत का साथ देगी यह नामुमकिन है। इसलिये मैं आप से कहता हूं कि आप चिन्तित रहिये और वाकये को देखते चलिये। यही मुझे निवेदन करना था।

एक बात मुझे टैक्स के बारे में कहनी है। जब हम आप एक घर बनाना चाहते हैं और घर को बनाने के लिये चलते हैं तो हमारे पास जो रुपया होता है उसको बक्स से निकालते हैं, अगर रुपया नहीं होता तो क़र्ज़ लेते हैं। तो आज हम भारत को बनाने को निकले हैं। हमारा देश पांच वर्ष पहले उसी दशा में था जिसमें कि नमक नहीं था, जिसमें तेल नहीं था, जिसमे कि खाने को मिलना मुश्किल था और पांच वर्ष में हम इतने धनी तो नहीं हो गये कि हमारा खजाना मालामाल हो गया हो। हम देश बनाने को निकले हैं तो सिवाय इसके कि हम लोगों से मांगे, टैक्स की शकल में और क्या तरीका है। हम टैक्स मांगते हैं। मैं तो यह कहता हूं कि २२ वर्ष का प्रोग्राम है, ११ वर्ष में पूरा हो जाना चाहिये, साढ़े पांच वर्ष में हो जाना चाहिये, जितना टैक्स आज लगा है उससे दुगुना टैक्स लगना चाहिये, चौगुना टैक्स लगना चाहिये। जो लोग टैक्स की मुखालिफत करते हैं वह देश की भलाई नहीं चाहते। वह जाहिलों को आगे बढ़ाना नहीं चाहते। बड़े ताज्जुब की बात है, कुछ लोग कहते हैं कि टैक्स लगाना ग़लत है, पर रुपया कहां से आयेगा? एक तरफ तो आप कहते हैं कि ग़रीबी को मिटाओ और दूसरी तरफ कहते हैं कि रेल का किराया घटाओ। आप कहते हैं कि रेलवे मुलाजिमान की तनख्वाह बढ़ाओ पर रुपया कहां से आवे? इस तरह की जो यह बातें हुई हैं मैं समझता हूं कि ईमानदारी के साथ वह ग़लत हैं। यह तो हमेशा ही मैं देखता आता हूं कि जो चीज ठीक होती है उसकी उधर से मुखालिफत होती है और जो चीज खराब होती है उसकी मुआफिकत होती है और जिस चीज की उधर से बुराई होती है उसकी इधर से मुआफिकत होती है। आज जब मैं गांवों में निकलता हूं और उनसे श्रमदान मांगता हूं और हजारों वर्ष की सोई हुई कौम जिसको मजहब के

नाम पर भड़काया गया और कहा गया कि खुदा जो चाहेगा वही होगा, ईश्वर जो चाहेगा वही होगा, उस सोती हुई कौम को जब हम उठाना चाहते हैं, उनकी ताकत को जगाना चाहते हैं तो यही भाई कहते हैं कि सोते ही रहो, मेहनत न करो, श्रमदान न करो। जो चीज भी अच्छी होती है उसकी मुखालिफत करते हैं और जो चीज बुरी होती है उसको बढ़ावा देते हैं। यह देश के लिये, गरीबों के लिये, अपनी कौम के लिये बड़ी बुरी चीजें हैं। यही मुझे निवेदन करना था। जय हिन्द।

श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)—उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सम्मुख जो देश का कल्याणकारी बजट है, यह वास्तव में कल्याणकारी है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस बजट के जो रचयिता हैं उन्होंने जिस प्रकार इस बजट को तैयार किया है वह बड़ी दूरदर्शिता के साथ और समझ बूझ कर, हर पहलू पर विचार करके हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया है। उसके लिये उन महानुभावी, वित्त मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं।

बजट प्रस्तुत होने पर हर एक अपनी-अपनी दृष्टि से उसको देखता है। विरोधी दल ने भी जो विरोध किया वह अच्छा ही हुआ। कोई बुरा नहीं है क्योंकि उन्होंने एक साधन का काम किया। इसका भी हमें बुरा नहीं मानना है। अगर कोई कहे कि तुम्हारी चादर में दाग लग गया है तो हमारा कर्त्तव्य है कि हम उसे देख कर साफ कर लें। अगर वह खामख्वाह और झूठ कहता है तो हमारे सम्मुख हमारे महान् पुरुषों का अनुभव मौजूद है जिनका कथन है कि पापी को मारने के लिये उसका पाप ही काफी है। इसको दृष्टि में रख कर हमें काम करना है। माननीय महोदय, हमारी सफाई संविधान ने हमें क्या बतलाया है। हमने यह कहा कि इस देश की गरीबी दूर होगी। इस देश की जो तमाम समानता में कमियां हैं वह दूर होंगी। बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और सारे देश की तरक्की होगी। यहां पर यह भी कहना उचित नहीं है कि यह गरीबों का बजट है। यह ग़रीब अमीर सब का बजट है। यह बजट सब के हित के लिये बना है इस बजट में जो बातें दिखाई गई हैं वह सब के हित के लिये हैं। इसमें मुझे कहना यह है कि ग़रीबी, बेकारी दूर होगी तो कैसे होगी ? इसके लिये मुझे तो सुझाव के रूप में यह कहना है कि ग़रीबों की ग़रीबी उद्योग से दूर होगी, भूमि से दूर होगी, शिक्षा से दूर होगी और नौकरी से दूर होगी। इसके लिये हमारी सरकार ने इस वक्त तक जो प्रयत्न किया है एक प्रकार से हम गरीबों की सुरक्षा करते हुये हमें जो प्रोत्साहन दिया है उसके लिये हम आभारी हैं। और इस बजट में भी रक्खा गया है। जैसे हरिजनों के लिये पहले ६ लाख से शुरू हुआ और आज ५० लाख तक आ गया है। यानी आहिस्ता-आहिस्ता ५० लाख हो गया। इससे मालूम होता है कि कुछ न कुछ दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसके लिये हम बहुत आभारी हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो हमारा संविधान तैयार किया गया है उसके मुताबिक दस साल के अन्दर गरीबों की हालत, पिछड़े हुये लोगों की हालत को सुधारना है। इसमें आधे से ज्यादा समय तो व्यतीत हो चुका है।

(इस समय ४ बज कर २५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये)।

इस आधार पर मुझे यह कहने की गुंजाइश है कि ग़रीबों की ग़रीबी दूर करने के लिये जिस रफ्तार से कार्य हो रहा है उसको देखते हुये ज्यादा समय लगेगा। लिहाजा जो संरक्षण दस साल के लिये मिला है या तो उसकी मियाद बढ़ाई जायगी वर्ना अगर इसके अन्दर काम करना है तो रफ्तार को तेज करना होगा, इस वक्त तक जो देना है उस से ज्यादा दिया जाय। भूमि अधिक दी जाय तब जा कर बेकारी दूर हो सकेगी। मैं जानता हूं कि इसके लिये सरकार और अन्य लोग प्रयत्न कर रहे हैं। यह बात हालांकि सारे राज्य के लिये है लेकिन मैं खास कर कुमायूं के लिये यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि वहां भूमि के लिये हाहाकार मचा हुआ है। आज से ७५, ८० साल पहले कुमायूं पहाड़ के हरिजन पहाड़ों में लोहा, ताम्बा निकाल कर बर्तन बनाया करते थे। उनके साथ बहुत से उच्च कास्ट के लोग भी थे और उनका हजारों जनों का कारबार चलता था लेकिन अंग्रेजी राज्य के आने से इस दौरान में वह कारबार खत्म हो गया, मैदान में यह कारबार चलने लगा। तब जा कर अधिक भूमि की आवश्यकता हुई। लेकिन वह

[श्री खुशीराम]

ऐसा वक्त नहीं था जैसा आज है। उस समय जो भूमिधर था वह सब की परवरिश करता था। सब को अपना कुटुम्ब समझता था। इसलिये जमीन को अपने नाम में दर्ज करने का सवाल पैदा नहीं होता था। जब हमारी राष्ट्रीय सरकार आई तो उसने आवाज उठाई कि बेदखलियां बन्द करो आदि थी। तो यह बात हमारे हित के लिये लेकिन उसका उलटा असर हुआ। लोग कदीमी (प्राचीन) जमीन से निकाले गये और जमीन के लिये हाहाकार मच गया। जमीन की बड़ी भारी मांग हुई। अंग्रेजी राज्य के वक्त में ही कुछ कालोनीज मिलीं भी और बहुतसे लोग वहां आबाद हुये लेकिन उसी से काम नहीं चल सकता। इसलिये और ५० हजार एकड़ भूमि कुमायूं पहाड़ों के शिल्पकारों के लिये पहाड़ व भावरी इलाकों से दी जाय, जो अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल के जंगलों में नये आबाद ग्राम हों। इस जमीन के साथ-साथ जो खनिज पदार्थ वहां पाये जाते हैं उनसे उद्योग धन्धे खोलने का भी प्रयत्न किया जाय और उन उद्योगों को सरकारी सहायता मिलनी चाहिये। ऐसे शिल्पकार मौजूद हैं जो जानते हैं कि ताम्बे और लोहे की खाने कहां हैं जिससे वह विशेषज्ञ अब भी मिल सकते हैं और वहां पर मौजूद हैं उनका वह काम किया हुआ है तो अब इस प्रश्न पर विचार कर नजर की जाय तो यह काम अच्छी तरह से हो सकता है। अन्त में उपाध्यक्ष महोदय, भूमि के विषय में मुझे यह कहना है कि जहां पर सरकारी बड़ी-बड़ी योजनायें चल रही हैं और लाखों-करोड़ों रुपया उनके ऊपर खर्च किया जा रहा है। अगर थोड़ी सी जमीन हमारे भाइयों को जिनको शिल्पकार कहा जाता है उनको दे दी जाय और उद्योग में लगाया जाय तो उनका बहुत भला हो सकता है। इसके लिये अगर एक कमीशन बैठाया जाय जिसके जरिये से यह मालूम किया जाय कि यह ठीक है या नहीं, तो आपको यह मालूम हो सकता है कि उनकी मांग बहुत उचित है। सूची उनके लिये पहले प्रस्तुत कर रखी है और वह फिर दी जा सकती है और उस पर विचार कर के उनकी मुसीबत को दूर किया जा सकता है।

श्री आर्थर ग्राइस---(नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय) मिस्टर स्पीकर सर, मैं आज यह देख रहा हूं कि जो बजट हमारे सामने पेश किया गया है उससे अच्छा बजट नहीं हो सकता है। यह बजट जो बनाया गया है बहुत अच्छा बजट बनाया गया है और हमारा ख्याल यह है कि ऐसा बजट मिलना मुश्किल है। मैं यह उम्मीद करता हूं कि अगर यह बजट इम्प्लीमेंट हो जाय तो बहुत अच्छी बात होगी। लिखने और उसके इम्प्लीमेंट करने में बहुत फर्क होता है और जमीन आसमान का फर्क होता है। सरकार वैसे तो बहुत रुपया सैंक्शन कर देती है। कहीं पर ९ लाख रुपया, कहीं पर १ करोड़ रुपया और कहीं पर ३ करोड़ रुपया सैंक्शन किया जाता है लेकिन जब उसके इम्प्लीमेंट करने का वक्त आता है तो मालूम होता नहीं कि कितना रुपया आ रहा है और कितना जा रहा है। इस वास्ते मैंने कहा कि छापने को तो छाप देते हैं लेकिन जब उसके ऊपर अमल हो जाय तो बड़ी बात है। मैं आप को बतलाता हूं कि एजुकेशन के बजट पर करीब साढ़े ९ करोड़ रुपया रखा गया है लेकिन मैं यह उम्मीद करता हूं कि जब हमको एक्चुअल को देखने का मौका मिलेगा तो उस वक्त क़रीब ८ करोड़ रुपया खर्च होगा। कुछ हालत ऐसी आ जाती है कि जिसको सरकार क्या समझती नहीं है? सरकारी एजुकेशन के टीचरों की मीटिंग हुई थी और वह क्यों हुई थी क्या सरकार इसको नहीं जानती है? क्या वह अन्धी है? क्या उसके एडवाइजर अच्छे नहीं हैं? यह सब कुछ ठीक है मगर सरकार को कुछ अन्दाजा नहीं होता है कि यहां पर स्ट्राइक हो जायगी? सरकार को यह सब मालूम रहता है तो उनको किसी तरह से भी टीचरों की पे में कट नहीं करना चाहिये। अगर टीचरों को खुश नहीं रखा जायगा तो जो हमारे लड़कों को पढ़ाते हैं उन पर क्या असर पड़ेगा। अगर टीचरों को खुश नहीं रखा जायगा तो हमारे बच्चे भी खुश नहीं रह सकते हैं और जब वह बड़े हो कर यहां पर आयेंगे तो उन पर भी वही असर रहेगा। कहा जाता है कि यह फिजूल है। मैं आप से कहता हूं कि यह फिजूल नहीं है। अगर हमारे बेसिक स्कूल के टीचर या प्राइमरी स्कूल के टीचर या सेकेन्डरी स्कूल के टीचर खुश नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चों को भी वह यही सिखायेंगे और उसका नतीजा यह होगा कि हमारे बच्चे भी वही करेंगे जो उन्होंने बचपन में सीखा है। इस वास्ते जो फाल्ट हो गया है उसको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिये और इस एजुकेशन बजट में जो रख दिया गया है उसको काटने की बात आप न सोचें।

फिर मैं सरकार को यह बतलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने मेडिसिन्स को और दूसरी चीजों को परचेज़ को सेन्ट्रलाइज़ कर दिया। इससे बड़ी मुश्किल हो गयी है क्योंकि एक्सपर्ट ही उन चीजों को समझ सकते हैं दूसरे नहीं जानते हैं तो इसमें बड़ी गड़बड़ होती है। अभी पावर हाउस के लिये सैड पेपर के लिये इन्डेंट भेजा। वह काग़ज़ कैसा होना चाहिये इसको इंडस्ट्री डिपार्टमेंट नहीं जानता है। अगर जिस तरह का वह मंगाया गया है नहीं आता है तो उससे लाखों रुपये का नुक्सान हो जाता है मैं इंजीनियर हूं। मैं इंजीनियरिंग प्वाइंट आफ व्यू से कह रहा हूं। जो किसी चीज़ को समझ नहीं पाते हैं वे उनको क्या खरीद सकते हैं, यह सरकार के सोचने की बात है। फिर मैडिसिन्स के लिये क्वोटेशन्स मंगाये जाते हैं। एक कम्पनी स्मिथ स्टैनिस्ट्रीट ने १८ रुपये का क्वोटेशन्स दिया स्ट्रैप्टोमाइसीन का। दूसरे पार्कडेविस के ऐजेंट हैं। दूसरे ने २२ रुपये का क्वोटेशन दिया और उसको आर्डर मिल गया। डाइरेक्टर आफ़ मेडिकल सर्विसेज़ इस बात को जानता है कि कौन फ़र्म अच्छी चीज़ दे सकता है और सस्ता दे सकता है, तो फिर दुनिया भर का सैंट्रलाइज़ेशन नहीं होना चाहिये। अन्धे को कुएं में से पानी निकालने को भेजा जाता है तो वह डूब ही जायगा।

मैं एक स्टैंडिंग कमेटी का मेम्बर हूं जिसकी एक मीटिंग कुल शायद हुई उसमें मैं जो कहना चाहता था वह कह भी नहीं सका। तो मेरी प्रार्थना है कि मुझ हटा दिया जाय या इस स्टैंडिंग कमेटी को डुबा दिया जाय जो कि फिजूल है।

दूसरी बात पुलिस की है। जब स्टुडैंट्स का स्ट्राइक हुआ था, तो कानपुर में पुलिस खूब मजे में डटी रही। कहीं बाहर नहीं गयी। कोई कहने गया कि हमको प्रोटेक्शन दो तो पुलिस ने कह दिया कि हम नहीं दे सकते। चार सौ लड़के बैंक के बग़ल में थे जहां करोड़ों रुपये रहते हैं और जब पुलिस से कहा गया कि प्रोटेक्शन दो तो उन्होंने कह दिया कि दरवाज़ा बन्द कर दो। वे लोग यह नहीं जानते कि एक दफे का दरवाज़ा बन्द किया हुआ मुस्तकिल बन्द है। सरकार को प्रोटेक्शन को देना चाहिये या वह कह दे कि हम इन ३, ४ दिन का टैक्स नहीं लेंगे।

हेल्थ के बारे में हेल्थ आफ़िसर और साथ ही उसी जिले में सिविल सर्जन भी हैं। नैनीताल में और दूसरी जगहों में दो, दो हैं। उनमें आपस में बहुत झगड़ा रहता है और मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। सोचने की बात है कि सरकार इस झगड़े को दूर करे।

थैंक यू, सर।

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—अध्यक्ष महोदय, इस बजट के सिलसिले में जो उसूली एतराजात किये गये हैं, उनका जवाब तो माननीय मुख्य मन्त्री व वित्त मन्त्री की ओर से होगा जो बातें माल विभाग के सिलसिले में कही गयी हैं उनके ही बारे में जवाब देने की कोशिश करूंगा। एक दो मित्रों की ओर से यह शिकायत की गयी कि कुमायूं में अभी तक जमींदारी विनाश की कोई योजना विधान सभा के सामने नहीं आयी और वहां सीरतानों के साथ ज्यादती हो रही है क्योंकि वही लोग अधिकतर हमारे दलितवर्ग में हैं, अधिकतर शिल्पकार हैं, इसलिए वह ज्यादती और भी अखरती है।

साथ ही खुशी राम जी और एक मेरे मित्र इधर के ने भी यह कहा था कि वहां भमिहीन लोगों की समस्या बहुत ही गम्भीर होती जा रही है और यह कि इसके सिलसिले में गवर्नमेंट कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। इसके बारे में मैं यह अर्ज कर देना चाहता हूं, जैसाकि मैंने दो चार दिन हुए सवालों के जवाब में भी कहा था कि वह बात ठीक है कि गवर्नमेंट यह चाहती है कि हमारे सूबे के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक कोई मध्यवर्ती न रहे और किसानों का सीधा सम्बन्ध गवर्नमेंट से हो जाय। लेकिन जब हम जमींदारी विनाश की बात कुमायूं डिवीजन के सिलसिले में सोचते हैं, या करते हैं तो जो नक्शा मैदानी इलाकों के सम्बन्ध में आम तौर पर हमारे दिमाग में रहता है, जो अखबारों के पढ़ने वाले हैं, तकरीरों को सुनने वाले हैं, उनके दिमाग में रहता है, वही नक्शा वहां के लिए भी हम अपने दिमागों में बना लेते हैं। लेकिन वास्तविकता

[श्री चरण सिंह]

यह है कि जो चित्र हमारे सामने जमींदारी के विषय में मैदानी इलाके के सम्बन्ध में आता है, ऐसा चित्र और ऐसा तथ्य कुमायूं में नहीं है। जैसा मैंने उस रोज अर्ज किया था कुमायूं में केवल ४६४ जमींदार हैं, जो २५ रुपया से ज्यादा मालगुजारी नहीं देते, ४५२ जमींदार २५ से ५० रुपया तक मालगुजारी देते हैं, आठ ऐसे हैं जो ५० से ५०० रुपया तक मालगजारी देते हैं, तीन ऐसे हैं जो ५०० से १००० तक देते हैं और केवल एक ऐसा है जो १ हजार से ज्यादा मालगुजारी देता है। इस से अन्दाजा लगाया जा सकता है कि वहां जमींदारी कितनी है। इसके साथ ही साथ ९५ १/२ प्रतिशत रकबा ऐसा है जिस पर पेजेन्ट प्रोप्राइटरी राइट्स हैं, जिस पर उन लोगों का कब्जा है, उस पर उन्हें हक इन्तकाल हासिल है, विरासत का हक हासिल है और वे लोग १० से २० प्रतिशत मालिकाना देते हैं। इन सब वर्गों के हाथ में ९५ प्रतिशत जमीन है। केवल जो काश्तकार कहे जा सकते हैं वह सीरतान वर्ग है जिसके कब्जे में सिर्फ सवा पांच प्रतिशत जमीन है। उनमें मुख्य प्रधानाचारी और थोकदार हैं, जिनके कब्जे में ४,०९० एकड़ जमीन है, मौरूसी २२,३३८ एकड़ है, दूसरे सीरतानों के पास ११,३५९ एकड़ है। यह कुल मिला कर ३७,७८७ एकड़ होती है जिसका अनुपात ५.२४ यानी करीब सवा पांच प्रतिशत के करीब बैठता है। इस तरह से जहां तक इस उसूल का सम्बन्ध है कि कोई भी मध्यवर्ती बीच में न रहे, गवर्नमेंट इस उसूल को तो मानती है, लेकिन यह समस्या ऐसी नहीं है, यहां ऐसा शोषण नहीं है कि जिसके बारे में यह कहा जाय कि गवर्नमेंट बेखबर है और लोगों का शोषण हो रहा है और यह कि उनकी तकलीफ को वह मिटाना नहीं चाहती। वहां का जो लैन्ड सिस्टम है वह हमारे यहां से बिलकुल अलग है। गवर्नमेंट ने इसलिए यह तय किया कि देश के दूसरे सूबों में जहां पहाड़ी इलाके हैं, जैसे बम्बई, और मद्रास, यह मालूम किया जाय कि वहां पर किस तरह से जमींदारी को खत्म किया गया है। उनके तजुर्बे से हम फायदा उठाना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ इस बात पर भी विचार हो रहा है और जहां कहीं से यह शिकायत आती है कि सीरतानों के साथ ज्यादती हो रही है, उस ज्यादती को कैसे रोका जाय। जहां सीरतान बेदखल किये जा रहे हैं वहां पर अधिकारीगण उचित कार्यवाही कर रहे हैं। इसके साथ ही बहुत सी जगहों पर सीरतानों ने लगान देना भी बन्द कर दिया है।

लेकिन अगर गलती है, तो दोनों तरफ से हुई है। खैर, जमींदारी विनाश किया जाय तो किस प्रकार से किया जाय, दूसरे सूबों के सिस्टम का अध्ययन करके गवर्नमेंट किसी नतीजे पर पहुंचे उसके पहले एक प्रिलिमिनरी लेजिस्लेशन लाया जाय ताकि यह बेदखली वगैरह की जो शिकायतें आ रही हैं, उन को रोका जाय, इस सम्बन्ध में सरकार विचार कर रही है।

अब जहां तक भूमिहीन लोगों की बात है, यह मैं जानता हूं कि पहाड़ी लोग गालिबन अपेक्षतया मैदानी इलाके के लोगों के मुकाबिले में कुछ गरीब हैं, लेकिन भूमिहीन लोगों की समस्या इतनी तीव्र वहां नहीं है जितनी कि कही जाती है। उसके लिए मैं आपके सामने आंकड़े पेश करना चाहता हूं कि हमारे सारे सूबे में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों का अनुपात ५.७ है जब कि गढ़वाल में .८, टेहरी गढ़वाल में .२, नैनीताल में ४ फी सदी, अल्मोड़ा में १ फी सदी, और देहरादून में २ फी सदी है। तो सारे सूबे में जो अनुपात भूमिहीन खेतिहर मजदूरों का है, वहां से पहाड़ी इलाकों का कहीं कम है। जमीन देने का मतालबा इस दृष्टि से ठीक ही है कि हर आदमी के पास सेक्योर लिवलीहुड हो जाय, रोजगार हो जाय, लेकिन उस मतालबे को पूरा करना उतना आसान नहीं है, जितना कि मतालबा करना। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं लेकिन गवर्नमेंट इस सिलसिले में कोशिश भी कर रही है और ८ हजार एकड़ जमीन नैनीताल जिले में तोड़ी जा रही है और सैकड़ों भूमिहीन मजदूरों को उसमें आबाद करने की एक योजना चल रही है।

एक बात यह कही गयी है कि तकावी की रकम खर्च होने से रह जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि जैसे ही बजट पास हो जाता

है, फौरन तकावी दी जा सकती है, किसी ऐडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन की जरूरत तकावी के लिए नहीं होती है। माननीय उपाध्याय जी ने शिकायत की थी कि जनवरी तक जाकर ऐडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन जारी होता है। तकावी के लिए इस तरह के सैंक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। पिछले साल भी जब कुछ दिनों के लिए बजट में इकानामिक कट हुआ था, तो भी ५ या १५ मई तक और मुहकमों से मशविरा करके तकावी दिये जाने का हुक्म जारी हो चुका था। माननीय राम कुमार शास्त्री जी ने यह कहा था कि जब लोग मुसीबतजदा हो जाते हैं, अकाल की वजह से, अनावृष्टि की वजह से, अतिवृष्टि या बाढ़ की वजह से तो गवर्नमेंट की तरफ से पूर्वी इलाकों की मदद करने की कोशिश पूरी तरह से की जाती है, लेकिन एक जरा सी उन्होंने शिकायत की थी कि ग्रैच्युइटी रिलीफ वक्त पर नहीं मिलता। जहां तक ग्रेच्युटी रिलीफ के देने की बात है अगर कहीं से भी रुपया भेजने की बात आयी, और वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का कोई तकाजा आया तो वहां रुपया भेजने में हमने देर नहीं की, बल्कि टेलीग्राम के जरिये हमेशा रुपया भेजा जहां जरूरत हुई। ५०–५१ में एक लाख तेरह हजार रुपया, ५१–५२ में ८९ हजार रुपया, ५२–५३ में ७ लाख ५० हजार रुपया, और ५३–५४ में ८ लाख रुपया ग्रेच्यूटी रिलीफ में दिया गया है। मेरे दूसरे सहयोगियों तथा बहुत से दोस्तों ने भी कुछ छोटी मोटी शिकायतें की हैं। और खास करके मेरे माननीय मित्रों ने जो सुझाव दिये हैं, उन पर अमल करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। माननीय शिव नारायण जी ने बस्ती में इन्दराजात को दुरुस्त करने के लिए कहा था कि वहां एक एडीशनल आफिसर भेजना जरूरी है। उनके कहने के पहले ही मैंने अपने मुहकमे के सचिव से मशविरा किया कि वहां पर एक एडीशनल तहसीलदार को भेज दिया जाय और बहुत जल्दी ही उनकी यह शिकायत दूर हो जायगी। माननीय श्रीपतिजी ने पशुओं के लिए चरागाह भूमि की कमी का जिक्र किया, लेकिन पशुओं के लिए कहीं पर चरागाह भूमि का लेना आज उतना आसान नहीं है क्योंकि जो इलाके पहले खाली पड़े थे, उनमें आज हल चलते जा रहे हैं।

तो जिन जगहों में हल चलते हैं, जमीनें जेरे काश्त हैं, मजरूआ हैं, उसको गैरमजरूआ कर देना बंजर या चरागाह कर देना मुमकिन नहीं है, लेकिन जो चरागाह हैं उनको सुरक्षित कर देना मुमकिन है और जो मुमकिन है वह गवर्नमेंट की तरफ से किया भी जा चुका है। वह यह है कि जमींदारी अबालीशन ऐन्ड लैन्ड रिफार्म्स ऐक्ट के दफा १८६ के अधीन आदेश डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को जारी हो चुके हैं कि हर गांव समाज के पास जितना कुल रकबा है, उसका १० फी सदी तो चरागाहों के लिए महफूज रहेगा। अगर ३ हजार बीघे जमीन किसी गांव समाज के पास है और उसमें से ५ सौ बीघे जमीन गैर मजरूआ है तो उन पांच सौ में से तीन सौ बीघे जमीन पासचर्स के लिए रिजर्व रहेगी। लेकिन अधिकतर गांवों में १० फी सदी जमीन भी नहीं है। लेकिन अगर किसी के पास है, तो एक बीघे उसमें से पासचर्स के लिए महफूज रहेगी। और अगर इसके अलावा भी कोई माननीय सदस्य कोई और सुझाव दे सकें, तो गवर्नमेंट उसका स्वागत करने के लिए और उस पर कार्य करने के लिए तैयार रहेगी।

माननीय श्रीपति जी ने कहा कि अंतरिम मुआविजे का रुपया मनीआर्डर से भेज दिया जाय। यह मुमकिन नहीं है। इस लिए नहीं है कि कितनी किसकी मालगुजारी है और कितना उसमें से मिन्हा करना है। आदमी जब दरख्वास्त देता है, तो उसमें से यह देखना होता है कि कितना रुपया तकावी का है और अब तक कितना रुपया इस पर गवर्नमेंट के मतालबे का बाकी है तो उसको मिन्हा करके ही अन्तरिम कम्पेंसेशन भेजा जाता है। अगर कोई दरख्वास्त देता है, और उसमें जो देय है, जो बाकी है, एरियर्स हैं, उसको अदा करके लिखता है तो उसमें दफ्तर को आसानी हो जाती है लेकिन इस समय १ लाख ८३ हजार दरख्वास्तें अंतरिम मुआविजे की पड़ चुकी हैं। अब अगर उन सब को मुआविजा मनी आर्डर्स से भेजा जाय तो पहले, उस मनी आर्डर को भरना, फिर उसका डिस्पैच, उसको रजिस्टर पर चढ़ाना, उसके बाद फिर रसीद को रसीद बही पर चढ़ाना, उसके लिए बड़े भारी स्टाफ की जरूरत होगी, और उसके बाद डाकखाने के अन्दर गांवों तक पहुंचने में भी गलती हो सकती है, तो यह इसलिए मुमकिन नहीं होगा। जो बड़ी

[श्री चरणसिंह]

बड़ी रकमें हैं, वह आसानी से मिल सकती हैं, लेकिन जो छोटी रकमें हैं, उनके लेने के लिए इस वक्त रहने भी दिया जा सकता है और बाद में पूरे कम्पेंसेशन के साथ उसको मिल जायगा। अन्तरिम मुआविजे के सिलसिले में जो कवायद और नियम बने थे, उनमें जो शिकायतें थीं, उनको दूर करने के लिए मुहकमे माल की तरफ से तीन मरतबे संशोधन किये गये और उनके बाद न कोई शिकायत मैंने अखबारों में पढ़ी और न खतों के जरिये से ही कोई शिकायत मुझे मिली।

श्रीपति सहाय जी ने यह भी कहा कि फ्लड -डिपार्टमेंट का काम बड़े धीरे-धीरे चल रहा है। मैं मानता हूं कि चल रहा था लेकिन अब चल रहा है यह बात नहीं है। पहले एक टेक्निकल्स की सब कमेटी बैठी हुई थी उसकी रिपोर्ट कुछ देर में आयी। लेकिन जैसे ही वह रिपोर्ट सरकार के पास आयी उसके बाद से काम तेजी से शुरू हुआ। उस कमेटी ने जो सिफारिशें की गवर्नमेंट उन पर गौर करने वाली है और उसमें थोड़ा समय लगेगा। जो दो तीन मेजर रिकमेन्डेशन्स थीं, उस कमेटी की उन पर गवर्नमेंट अमल कर चुकी है और उनके लिए इस बजट में रुपया रखा जा चुका है।

अब मैं जो माननीय राजनारायण जी ने एतराजात किये थे उनका कुछ जिक्र कर देना चाहता हूं। माननीय राजनारायण जी ने जहां और टैक्सों का जिक्र किया कि साहब टैक्स बढ़ते जाते हैं, तो कंसालिडेशन टैक्स का भी जिक्र कर दिया। टैक्स बढ़ते जाते हैं और अगर बढ़ते जाते हैं तो उनको बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए इसका जवाब तो जैसा मैंने कहा माननीय मुख्य मन्त्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी देंगे। लेकिन कंसालिडेशन टैक्स जैसा मुझे इससे पहले कभी सुनने को नहीं मिला। यह ठीक है कंसालिडेशन का काम होगा। पांच सौ राज्य कर्मचारी उसमें एक तहसील में साल भर तक काम करेंगे। उनकी तनख्वाह होगी और खर्च होंगे। वे बिस्तरा बोरिया डालकर वहां साल भर पड़े रहेंगे, कागजात का खर्च, और खर्च होंगे। वह खर्च हर आदमी से हस्ब हैसियत जिसकी जितनी जमीन कंसालिडेट की गयी है, उससे वह खर्च केवल लिया जायगा।

टैक्स के रूप में कोई आमदनी करना चाहते हों, वह इससे जाहिर है कि कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्ज बिल में यह साफ जाहिर कर दिया गया है कि जो भी दरख्वास्तें दी जायं या जो भी कागजात दाखिल किये जायं उसके लिए गुंजाइश बिल में कर दी गयी है कि एतराज करने वाले को कोई स्टाम्प वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है और न कोर्ट फीस की जरूरत है। कोरे कागज पर अपना एतराज कर सकते हैं और उसी के साथ दस्तावेज दाखिल कर सकते हैं और अपनी अपील फाइल कर सकते हैं। इससे साबित होता है कि कोई आमदनी करने का मंशा नहीं है लेकिन सारे सूबे में करोड़ों एकड़ जमीन के लिए करोड़ों रुपया खर्च होगा और हजारों कर्मचारी लगे रहेंगे। तो उसके लिए खर्चा चाहिए, वह कहां से आये ? मान लो, हम किसानों से वसूल न करें, जिनकी जमीन की चकबन्दी होगी तो जनरल रेवेन्यू में से आयेगा और उसका भार लोगों पर ही पड़ेगा। इससे तो मुनासिब यही है कि जिनकी चकबन्दी हो और जिन लोगों को उससे बेनीफिट हो, उनसे उतना ही ले लिया जाय जितना कि खर्च होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी कोशिश बराबर यह है कि खर्चा कम से कम हो। जितना कि और जगह कन्सालिडेशन पर खर्चा हुआ, जिसका मैंने हिसाब लगाया है, उससे कम ही खर्चा हमारे अनुमान में आता है। करीब डेढ़ आना फी बिस्वा या दस आने कच्चा बीघा तक पड़ता है। उसमें हम यह कर सकते हैं कि उसे एक साथ वसूल न करें। उसके लिए रूल्स में प्राविजन किया जाने वाला है कि आधा रुपया पहले ले लिया जाय और आधा जब किसान का काम हो जाय, तब ले लिया जाय।

दूसरी बात जो मुहकमें माल के टैक्स के सम्बन्ध में कही गई कि तीन पाई या एक पैसा किसानों से और ज्यादा अबवाब का लिया जा रहा है, यहां तक तो ठीक है कि अबवाब एक पैसा लिया जा रहा है लेकिन ज्यादा लिया जा रहा है यह बात गलत है। जुलाई १७ या २७ सन् १९४९

को जब कि अबवाब बढ़ाया गया था तब यहां से जी० ओ० जारी हुआ था जिसका मंशा यह था कि एक पैसा फी रुपया जमीदार काश्तकार से ले सकता है। उसको अबवाब अपने पास से देना होगा जमीदार को और वह एक पैसा काश्तकरों से ले सकता है। बहुत सी जगह तो जमीदारों ने यह एक पैसा लगान में शामिल करा दिया लेकिन बहुत सी जगह पटवारियों की गल्ती से खतौनी में लगान की जो रकम थी उसमें एक पैसा फी रुपया लिखा नहीं गया लेकिन जमीदार उसको वसूल करते रहे। तो पटवारियों की गल्ती से वह लिखा नहीं गया जिसे जमीदार बराबर वसूल करते रहे और उस पैसे को यह गवर्नमेंट ले रही है तो यह कहना कि यह कोई नया कर है मैं समझता हूं कि यह बात बिलकुल गलत है।

अब एक ही बात रह जाती है और वह यह है कि साहब जमीदारी के खात्मे से किसानों की कोई भलाई नहीं हुई बल्कि वे जहां पहले थे वहीं पर हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह सकता हूं कि क्योंकि राजनारायण जी अपोजीशन के लीडर हैं और असल में यह लफ्ज ही गलत है, अपोजीशन लफ्ज के मातहत तो एक आदमी को अपोजीशन करना जरूर है चाहे बात कितनी माकूल क्यों न हो, उन्हें तो गवर्नमेंट की कोई बात भा ही नहीं सकती अच्छी बातों को अपने हृदय में मानते जरूर होंगे लेकिन उनको आज यहां कहने के लिये तैयार नहीं हैं। इसी तरह की बातों में एक बात यह भी है कि किसानों को जमीदारी विनाश से कोई लाभ नहीं है। उन्होंनें दो तीन बातें कहीं उनका मैं जबाव देना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि जमीदारी एबालीशन कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक लगान नहीं घटाया गया। ठीक, नहीं घटया गया, लेकिन क्या घटाया जाना चाहिए, जरूरत थी अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से यह कहना चाहता हूं कि कुछ लोगों का ख्याल यह था कि कीमतें बढ़ जाने से किसानों को नुक्सान हुआ। उसी ख्याल के मातहत जमीदारी एबालिशन कमेटी की रिपोर्ट से भी एक सिफारिश यह हुई थी। लेकिन वाकया यह है कि प्राइमरी प्रोड्यूस की कीमत बढ़ जाने से प्राइमरी प्रोड्यूसर को हमेशा फायदा रहता है नुकसान नहीं रहता है मैं उन सारे आंकड़ों में नहीं जाना चाहता कि जिनसे यह साबित होता है कि उसके मकाबिले में किसानों की हालत अच्छी हुई लेकिन जो लोग भी देहात की हालत से वाकिफ हैं वह इस सच्चाई से इन्कार नहीं कर सकते। उसमें केवल मै एक मोटी सी दलील देना चाहता हूं और वह यह है कि जो भी किसान को अदा करना पड़ता था ख्वाह आबपाशी की शक्ल में ख्वाह लगान की शक्ल में, ख्वाह कर्जे की शक्ल में, या जो और टैक्सेज गवर्नमेंट के उसके जिम्में पड़ जाते हैं उनकी शक्ल में, वह उस अनुपात से नहीं बढ़े हैं जिस अनुपात से कि उसकी अगर रीयल इन्कम नहीं तो मनी इन्कम बढ़ी है। इस तरह जो उसको रुपया लगान, आबपाशी, कोर्ट फीस या स्टाम्प पर खर्च करना पड़ता था उसमें उसके पास सेविंग ज्यादा हुई है। यह इससे भी जाहिर होता है कि दस गुना लगान का जो अन्दोलन हुआ उसमें ३३ करोड़ रुपया किसानों की तरफ से जमा हुआ और उसमें भी जमा करने वालों की तादाद निस्बतन ऐसे किसानों की ज्यादा थी जिनको अनइकोनामिक होल्डर्स कहा जाता है और जिनकी बाबत बाराबर यह कहा गया कि शायद उनके पास कोई सेविंग होती ही नहीं है, लेकिन निस्बतन उन्होंने ज्यादा भूमिधरी के हकूक हासिल किये बनिस्बत बड़े किसानों के। इस सिलसिले में एक आध लेख भी निकले थे कुछ ऐसे ख्याल के लोगों की तरफ से और उनमें यह कहा गया था कि किसान पपराइज हो गया है। मैंने भी उन लेखों का जबाव दिया था लेकिन आज तक मेरे लेख का जबाव नहीं मिला और मेरी उत्सुकता पूरी नहीं हो पाई।

फिर जहां तक लगान घटाने की बात है, मौरूसी काश्कारों का लगान पहले ही बहुत कम था। ४० फीसदी रकबा को जोतने वाले ऐसे काश्तकार जो कि मौरूसी काश्तकार कहे जा सकते हैं, हेरिडिटरी टेनेंट्स, जिनका लगान घटाने की बात हो सकती थी। लेकिन जब करांची के अधिवेशन में कांग्रेस ने लगान घटाने की बात कही थी उसके बाद कछ जिलों को छोड़कर सब जिलों में अजसरेनव बन्दोबस्त हो गया और लगान १९०१ और सन् १९०५ की लेविल पर कर दिया गया। मौरूसी काश्तकार हमारे यहां बहुत ज्यादा हैं और कराची

[श्री चरण सिंह]

रेजोल्यूशन के बाद कुछ जगहों को छोड़कर सब जगह उनका लगान घटा दिया गया। इस बीच में भाव बढ़े और कर्जा वगैरह जो डेट रिडेम्शन ऐक्ट वगैरह की वजह से कम हो गया था वह कमी कायम रही बावजूद गिरानी आने के, इसलिये उसकी सेविंग्स रहीं। हम लोगों के लिये खुशी का मौका है कि उसकी हालत सुधरी, इसलिये लगान घटाने की कोई जरूरत पेश नहीं आयी।

दूसरी बात उन्होंने यह कही कि बड़े दमन से काम लिया गया। मालगुजारी वसूल करने में बड़ी कुर्कियां हुईं, बड़ी गिरफ्तारियां हुई। इसके जबाव में मैं केवल एक आंकड़ा पढ़कर सुना देना चाहता हूं। सन् १९५१–५२ में जब कि जमीदारी कायम थी उस वक्त जो कोअर्सिव प्रासे जारी हुये, और जब जमीदारी खत्म हो गई सन् १९५२–५३ में उस वक्त जो कोअर्सिवप्रासेज जारी हुये, कितनी कुर्कियां हुईं, कितने नीलाम हुये, वह मैं अध्यक्ष महोदय, आप की इजाजत से पढ़ देना चाहता हूं रिट्स आफ डिमांड जो सन्१९५१–५२ में जारी हुये ५०९ थे, जबकि केवल ४ लाख ऐसे लोग थे जो कि लगान वसूल करते थे और जिनसे सरकार माल-गुजारी वसूल करती थी। सन् १९५२–५३ में जबकि एक करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग थे जिनसे सरकार ने सीधे लगान वसूल किया उस समय रिट्स आफ डिमांड ४३४ थे। दूसरे साईटेशन टू अपियर यानी सम्मन कि तुम पेश हो और यह बतलाओ कि तुमने क्यों नहीं मालगुजारी दी, तो सन् १९५१–५२ में वह २७ हजार ८७७ थे और सन् १९५२–५३ में १४ हजार १७२ थे। तीसरे वारेंट्स आफ अरेस्ट १९५१–५२ में १५१९४ जारी किये गये और सन् ५२–५३ में बेशक ज्यादा जारी किये गये, ३२, २६४ ठीक दूने। लेकिन जारी तो इतने किये गये मगर एग्जीक्यूट और इन्फोर्स कितने किये गये, उसमें है परसन्स ऐक्चुएली डिटेन्ड १५,१९४ और ५२–५३ मे जमीदारी खत्म हो जाने के बाद १३०२। कुर्की मनकूला जायदाद की सन् १९५१–५२ में ७७.७२ हुई और सन् १९५२–५३ में ९,५६५ सिर्फ सवाई। और नीलाम केसेज इन व्हिच सेल टुक प्लेस सन् ५१–५२ में २२८ और सन् ५२–५३ में १०९। अटैचमेंट आफ इम्मूवएबिल प्रापर्टी ४४४ हुई सन् ५१–५२ में और सन् ५२–५३ में केवल १२। तो यह कोअर्सिव प्रोसेज का हाल है। तो इन आंकड़ों के होते हुये यह कहना कि दमनकारी बातों से काम लिया गया, मैं यही कह सकता हूं कि माननीय राज नारायण जी को कुछ बात कहनी थी और कुछ कीचड़ उछालना था इसलिये उन्होंने कहा, उनको वास्तविकता से कोई सम्बन्ध नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि आपने रेड लाइट मुझको दिखला दी है लेकिन मैं और कहना चाहता हूं कि उन्होंने डाक्टर डार्ल्टन का हवाला दिया। डाक्टर डार्लटन ने कहा है––

"If the terms of tenancy are the same it makes no substantial difierence to the tenant whether his landlord is a public authority or a private person."

यानी अगर किसान के अधिकार और कर्त्तव्य एक से ही रहते हैं तो कोई फ़र्क नहीं होता कि उसका जमींदार एक गवर्नमेंट है या प्राइवेट आदमी है। जहां तक वसूल की बात है थ्योरे-टिकली यह बात सही है लेकिन देखना यह है कि क्या गवर्नमेंट ने जमींदार की जगह ली है जब जमींदारी हमारे यहां खत्म हो गई और गवर्नमेंट में जायदाद वेस्ट हो गई तो क्या वही अधिकार हमने रखे हैं जोकि जमींदारी खत्म होने से पहले रखे थे, हर्गिज हर्गिज नहीं। काश्तकारों को अनेक रूप में फायदा पहुंचा है लेकिन मैं ६–७ बातें गिना देना चाहता हूं मोटा-मोटी सी जिनका जिस आदमी ने शायद आंखें मीच रखी हों उसको भी देहात में जाकर एहसास हो सकता है एक बात यह कि काश्तकार जमींदार के रहते हुये दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता था, सोशल स्टेट्स नीचा था जमींदार के मुकाबिले में। आज वह सब बात खत्म हो गई और मैं सबसे बड़ा महत्व इसी बात को देता हूं कि आज काश्तकार आंख से आंख मिलाकर अपने भूतपूर्व जमींदार से बात कर सकता है सीना चौड़ा करके सामने बात कर सकता है जबकि उसके सामने चारपाई पर भी पहले नहीं बैठ सकता था। उसके इल्लीगल एग्जैक्शन जो थे, बेगार, वह खत्म हो गई।

साथ ही सिक्योरिटी आफ टैन्योर हो गई, बेदखली की आशंका नहीं । अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ समय और चाहता था ।

श्री अध्यक्ष––अब तो आप का समय खत्म हो गया ।

श्री चरण सिंह––अच्छी बात है ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)––आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मन्त्री को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने वह बजट पेश किया है जिस बजट के द्वारा हमारा प्रदेश धन धान्य से परिपूर्ण होगा । अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय विरोधी दल के नेता ने बहुत सी बातें कहीं । उन्होंने यह भी कहा कि यह बजट तो गरीब जनता का शोषण करेगा, मजदूरों का शोषण करेगा और इस बजट के जरिये नौकर शाही मजबूत होगी और इस बजट के जरिये तो पुलिस को वह शक्ति मिल जायगी कि जो क्रांन्तकारी शक्तियां है उनका दमन कर दिया जायगा यह बजट तो वेल्फेयर स्टेट का नहीं है यह तो फेयर वेल स्टेट का बजट है और इसके साथ-साथ उन्होंने बहुत सी बातें कहीं और अध्यक्ष महोदय, जो बातें उन्होंने कहीं, वह अगर पिछले साल की बजट स्पीच देखी जाय तो बहुत थोड़ा अन्तर पाया जायगा । जो पिछले साल बजट स्पीच थी उससे बहुत कुछ मिलती जुलती उन्होंने सदन के समक्ष दी । लेकिन वास्तविकता क्या है ? जो बजट पेश किया गया है उसको यदि देखें तो पता चलता है कि ३० करोड़ रुपया प्लानिंग पर खर्च होगा और उन चीजों पर होगा जो हमारे प्रदेश को धन धान्य और दौलत से भर देगा । ८१ करोड़ के बजट में ३० करोड़ रुपया डेवलपमेंट के कामों में खर्च किया जा रहा है । फि र भी यह कह देना कि वेलफेयर स्टेट का बजट नहीं है बल्कि फयरवल स्टेट का है ठीक नहीं है ।

मैं कह देना चाहता हूं कि वह दिन जल्द आयेगा जब गांव गांव में इतना धन हो जायगा । जब गांव-गांव हमारी पंचायतों की इकाइयां कायम हो जायंगी और अपना-अपना बजट तैयार करेंगी और उस दिन का हम इन्तजाम कर रहे हैं । उस दिन यह बात नहीं रहेगी । उस वक्त इतना भारी बजट नहीं आयगा । उन्होंने कहा कि हमारी पर्चेंजिंग पावर खत्म हो गई है । अध्यक्ष महोदय, माननीय विरोधी नेता कहा करते थे कि चीजों के भाव बहुत बढ़ रहे हैं और उन्हें रोका जाय । आपने यह भी कहा है कि चीजों की कीमतें बढ़ रहीं हैं । हमारी पर्चेंजिंग पावर कम नहीं हुई है । उन्होंने यह भी कहा कि सरकार कीमतों में कमी कराये और जब कीमतें कम हुईं तो वह कहते हैं कि हमारी परचेंजिंग पावर कम हो गई है और कहते हैं कि लोगों को खरीदने की शक्ति आज नहीं रही है । वह तो इंफ्लेशन था हमारे देश में और हमारे प्रदेश में । उसको हमने चेक किया और उसके चेक हो जाने पर कीमतें कम हुई । आज हमारे विरोधी दल के नेता और माननीय सदस्यों को मालूम है कि कीमतों में कमी हुई हैं । इंफ्लेशन कम किया गया है । पर्चेंजिंग पावर कम नहीं हुई है । हमारी वैल्थ बढ़ी है और हम फूड के मामले में सरप्लस हैं । इस पर भी उनका कहना है कि हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया है ।

यह जो बजट है यह सरकार की नीति का एक दर्पण हुआ करता है । जो काम उसने किया है या आगे करेगी और नेता विरोधी दल ने कहा कि हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया है । वह सरकार के काम को अपने पैमाने से नापते हैं और वह आशा करते हैं कि हमारा प्रदेश इतनी तरक्की कर जाय कि जिस हालत में आज रूस और अमेरिका हैं उसी हालत में आज हमारा प्रदेश हो जाय । लेकिन इसके साथ साथ वह एक बात भूल जाते हैं रूस और अमेरिका ने इतनी तरक्की कितने वर्षों में की है । जब अमेरिका का पहला प्रेसीडेंट आया था तब अमेरिका की हालत इतनी खराब थी कि उसने कहा था कि जब वह वहाँ गया था तो अमेरिका बहुत पिछड़ा देश था । उस समय वहाँ पर एजूकेशन की हालत भी बहुत खराब थी । उनको यह नहीं भूलना चाहिये कि कितने वर्षों में आज का अमेरिका बन पाया है लेकिन वह तुलना करते हैं हमारे देश की रूस और अमेरिका से आज के सम्पन्न देशों से, और मैं तो यहाँ तक कहने को तैयार हूं

[श्री नेकराम शर्मा]

कि हमारा देश उन देशों से भी आगे रहेगा लेकिन समय चाहिये। जितना समय रूस और अमरीका को अपनी तरक्की करने में लगा अगर उतना नहीं तो कम से कम आधा समय तो दीजिये फिर आप देखेंगे कि इनसे भी ऊंचा हमारा प्रदेश होगा। उस समय अपने प्रदेश से अमरीका और रूस से तुलना कीजिये लेकिन आज तुलना करना बेकार है। अमरीका की मैं मिसाल देता हूं कि वहाँ पहले क्या हालत थी कि अगर हाउस आफ पीपुल का सदस्य सुन ले कि मेरे खिलाफ कोई स्पीच दी गई तो वह दूसरे दिन सदन मे बेंत लेकर जाता था और वहीं सदस्य को मारता था। लेकिन आप को मालूम है कि हमारे यहाँ के बिचारे किसानों ने जनरल इलेक्शन में कितनी अच्छी तरह वोटिंग किया। उसकी तारीफ विदेशी लोग भी करते हैं कि हिन्दुस्तान के बेपढ़े लिखे लोग इतनी काबलियत के साथ करेक्ट वोटिंग कर गये।

हमारे विरोधी दल के नेता ने शिक्षा के सम्बन्ध में भी बहुत सी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे प्रदेशों में शिक्षा बहुत बढ़ गयी है। लेकिन हमारे प्रदेश में नहीं बढ़ी है। इसका कारण यह है कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा खर्च कर रही है अपनी नौकरशाही को मजबूत करने में अपनी पुलिस को मजबूत बनाने में। इसलिये शिक्षा के लिये खर्चा कहां से आये। लेकिन वह इस चीज को भूलें नहीं कि सन् १९४७ ई० में जो हमारी शिक्षा का पर्सेंटेज था क्या उससे आज हमारी शिक्षा का पर्सेंटेज बढ़ा है या नहीं, क्या तब ६-७ पर्सेंट था अब १२-१३ पर्सेंट नहीं है? क्या हमने सन् १९४७ से अब तक कुछ तरक्की नहीं की है? क्या जितने काम किये गये हैं उनसे हम आगे नहीं बढ़े हैं? लेकिन वह तो चाहते हैं कि यह प्रदेश एक दम से स्वर्ग बन जाय, रामराज्य बन जाय जब उस कल्पना तक नहीं पहुंचते तो निराशा होती है और वह क्रिटिसाइज करने लगते हैं और आलोचना इसलिये करते हैं कि वोट मिलने का यह अच्छा तरीका है। साथ ही यह भी है कि वह सरकार की नीति से सहमत हैं, बजट से सहमत हैं, पालिसी से सहमत हैं, जो वह चाहते हैं वह नहीं हुआ इसलिये बजट खराब है। लेकिन उन्हें कुछ कहना तो है ही। अवश्य कहेंगे।

मैं अध्यक्ष महोदय, उनसे कहना चाहता हूं कि वह अपोजीशन में हैं, और अपोजीशन एक आल्टरनेटिव गवर्नमेंट होगी। इस नाते से उनको कोई बात कहनी चाहिये कि आज जो वह कह रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं कल वही उनके खिलाफ प्रयोग में की जाय। क्या जो तरक्की हमारे प्रदेश में हो रही है, पंचवर्षीय योजना के लिये इतना रुपया खर्च किया जा रहा है, क्या उससे तरक्की नहीं होगी? क्या जनता को उससे सुख और समृद्धि नहीं होगी? क्या उससे जनता का शोषण होगा, फायदा नहीं होगा? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि वास्तव में हमारे वित्त मंत्री जी और सरकार के अन्य मंत्रियों के दिल में किसानों के लिये, जनता के लिये दर्द है और उसी जनता की तरक्की के लिये यह बजट वास्तव में दर्पण है। मैं यह कहता हूं कि क्या माननीय मंत्री गण यह नहीं चाहते कि जनता की तरक्की हो? क्या उनके दिल में जनता के लिये दर्द नहीं है? जनता की गरीबी को, दुःख को दूर करने के लिये उनके दिल में ख्याल नहीं होता, अगर यह बात न होती तो यह मंत्रीगण जो हमारे नेता हैं इसी प्रेरणा को ले कर जेल न गये होते। उन्होंने देश की ग़रीब और शोषित जनता के दुखों को पहचाना और उनको दूर करने के लिये उन्होंने जेलों में जा कर तकलीफें सहीं और उनकी स्वतंत्रता के लिये लड़ाई लड़ी। यह कैसे मान लिया जाय कि उनके दिल में जनता के लिये प्रेम नहीं है?

लेकिन इसके साथ साथ मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सरकार की कितनी भी भावनाएं और योजनायें शानदार हों, लेकिन जब तक उनको कार्य में परिणत करने वाले कर्मचारी ठीक न हों, तब तक वे बेकार हैं। मैं यह नहीं कहता कि सब कर्मचारी ठीक तरह से काम नहीं करते, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो सरकार की नीति की निन्दा किया करते हैं और आलोचना करते हैं। इस चीज को सरकार को अवश्य रोकना चाहिये और इस प्रवृत्ति को खत्म करना चाहिये।

हमारे विरोधी नेता यूनिवर्सिटी आटोनोमी की बात करते हैं, आटोनोमी हमने दे रक्खी है। लेकिन उनकी पार्टी खुद वहां पालिटिक्स लड़ती हैं । उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी राजनीति में हिस्सा न ले । वे करते कुछ हैं और कहते कुछ और उनको मालूम होना चाहिये कि हमने तो यूनिवर्सिटियों को पूर्ण आटोनामी दे रखी है। इस सम्बन्ध में कई ऐक्ट बन चके हैं जिन में पूर्ण आटोनोमी की व्यवस्था की गई, है, वाइस चांसलर के चुनाव करने की भी स्वतंत्रता दे रखी है। उनका कहना है कि राजनीतिक पार्टी के आदमी यूनिवर्सिटियों में नहीं होने चाहिये, यह नारा जो वह लगाते हैं उसको हम मान लेते हैं यदि वह अपनी पार्टी की तरफ से हमें यह आश्वासन दे देते कि राजनीतिक गढ़ विश्वविद्यालयों को न बनायेंगे। लेकिन होता विपरीत ही है। उनके बहुत से आदमी आज भी यूनिवर्सिटियों में मौजूद हैं। बनारस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर आज भी आचार्य नरेन्द्र देव हैं, जयकर साहब हैं जो पूना में हैं। आशुतोष मोष श्यामाप्रसाद मुकर्जी क्या राजनीतिक नेता नहीं थे जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में रहे, बड़ौदा यूनिवर्सिटी की मिसेज हंसा मेंहता क्या राजनीतिक नेता नहीं हैं? बम्बई के वाडिया साहब राजनीति में भाग नहीं लेते और पब्लिक वर्कर नहीं हैं? नागपुर यूनीवर्सिटी के वी० सी० श्री कुंजीलाल जी दुबे राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं हैं? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के श्री भट्टाचार्य जो डीन फ़ैकल्टी आफ़ ला हैं क्या वह पी० एस० पी० के वहां के प्रेसीडेंट नहीं हैं। हमारे मंत्रियों ने तो घोषणा कर दी है कि अगर सोशलिस्ट पार्टी के और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ऐसा प्रस्ताव पास कर दें कि उनकी पार्टी के सदस्य किसी यूनिवर्सिटी की राजनीति में भाग नहीं लेंगे और जो कुछ वह कहते हैं उस पर अमल करें तो कांग्रेस भी इस पर विचार करने को तैयार है। लेकिन कहना बहुत सहल है, करना कठिन है। वह कभी ऐसा प्रस्ताव पास नहीं करेंगे, क्योंकि उनका काम तो सरकार की नुक्ताचीनी करना है, वे एग्जाम्पिल क्रिएट करें।

श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट का अपना आइना इस सदन के सामने प्रस्तुत किया है उसमें जो प्रतिबिम्ब दिखायी दिया, हमारी तरफ से या हमारे माननीय विरोधी दल के नेता की तरफ से उसको वह भूल भी जायं, लेकिन जो चित्र हमारे "हां" पक्ष के बैठने वालों ने दिया अगर उसकी ही कल्पना करें तो शायद जिस जन-कल्याणकारी चित्र को वह देखना चाहते हैं वह उनके सामने आयेगा। अध्यक्ष महोदय, तीन दिन से बराबर इस सदन में जो बातें सुनी उनके बारे में कहने को तो बहुत है लेकिन १० मिनट का तो समय है। मुझे ताज्जुब इस बात का होता है जब कि यहां पर हमारे माननीय सदस्य लोग और उस पक्ष के लोग "विशेषकर जैसे माननीय परिपूर्णानन्द महोदय ने कहा कि क्रिप्स की पुस्तकों को माननीय नेता विरोधी दल ने पढ़ा होगा या लार्ड मार्ले की पुस्तकों को भी पढ़ा होगा। मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग क्रिप्स को अपना आदर्श नहीं मानते। क्रिप्स को कामनवेल्थ के जो फ्रेंड्स हैं और कामनवेल्थ में जो विश्वास रखते हैं, वही उसको मानते हैं। अगर वह क्रिप्स की जो बात कहते हैं, क्रिप्स का अवार्ड और माउंटबेटन का अवार्ड न माना होता तो शायद आज यह चित्र जो सदन के सामने प्रस्तुत है वह चित्र देखने को न मिलता और फिर वह विभाजन न होता जिसकी कि आज हमारे माननीय सदस्य यहां पर तारीफ करते हैं। अध्यक्ष मदोदय, हमें दुख है जैसा कि हमारे माननीय ग्राइस साहब ने कहा कि स्कीमें बनी है, रुपया लाखों और करोड़ों रखा गया है। शिक्षा के लिये भी रखा गया है। स्कूलों के लिये भी रखा गया है, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्रता से पूंछना चाहता हूं कि उन लोगों के लिये क्या है? जो भूमिहीन हैं, या उन लोगों के लिये क्या है जिन लोगों के पास मकान नहीं है या उन लोगों के लिये क्या है जो सड़कों पर दरबदर फिरते हैं। उनका तो चित्र माननीय वित्त मंत्री महोदय ने प्रतिबिम्ब में, आइने में नहीं देखा और देखते वह कैसे क्योंकि उन्होंने जो आइना देखा है वह तो उन राजप्रसादों का, उन राजमहलों का है जिनमें कि वह निवास करते हैं। वह तो उन्हीं राज महलों का आइना है, ग़रीब की झोपड़ी का आइना नहीं है जिसमें वे ग़रीब की झोपड़ी को देखते।

[श्री गंगाधर मैठाणी]

अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री यहां पर नहीं हैं, चले गये, लेकिन उन्होंने कुमायूं लैंड टेनेंसी के विषय में जो कहा है, मैं मानता हूं कि ५ प्रतिशत लोग वहां पर भूमिहीन हैं लेकिन क्या उस कुमायूं डिवीजन के प्रत्येक जिले के सदस्यों ने , इस पक्ष के महिला सदस्यों, हमारे खाती साहब और अन्य लोगों ने और हमारे वयोवृद्ध उपाध्यक्ष महोदय ने भी उनके लिये पत्र नहीं लिखा था कि कुमायूं में लैन्ड टेनेंसी विधेयक का होना आवश्यक है। हम लोग थक गये कहते कहते। सन् १९३७ से आज तक कितनी कमेटियां गवर्नमेंट ने बनायीं, कितना रुपया इन कमेटियों के ऊपर खर्च हुआ होगा और कितनी ही उसमें रिपोर्ट बनी हैं और आज माननीय राजस्व मंत्री यह कहते हैं, कि यह अहम समस्या नहीं है, जिस रोज मैंने कहा था उस रोज तो आप चिढ़ गये लेकिन उपाध्यक्ष महोदय मैं विनम्रता से कहता हूं कि हम लोग जिस प्रदेश से आये हैं वहां की समस्यायें ऐसी हैं कि जिन्हें इस पक्ष के लोगों ही ने नहीं बल्कि उसी पक्ष के सदस्यों ने भी कहा है कि वहां कुमायूं लैंड टेनेंसी बिल के पास होने की अति शीघ्र आवश्यकता है। जहां पर आप ने ५ प्रतिशत की बातें कहीं हैं, मैं तो अध्यक्ष महोदय, आप से विनम्र निवेदन करूंगा कि जो पांच प्रतिशत हैं वह हरिजन भाई हैं वही हरिजन जिन हरिजनों की हामी भर कर हमारी सरकार चलती है जो कहते हैं कि हम सब कुछ उनके लिये करने जा रहे हैं। अगर वह कुमायूं टेनेंसी बिल पास नहीं करने जा रहे हैं तो बहुत बड़ी हानि होगी। मैं तो समझता हूं कि वहां प्रोडक्टिविटी कितनी है जब कि हम देखें कि गढ़वाल के अन्दर कोटद्वारा भावर के अन्दर बहुत जमीनें हैं और सिचाई के लिये सिंचाई मंत्री ने वहां पर जगह जगह प्रतिबन्ध नहीं किया है उसी के बगल में उसके सामने के जिलों में, तराई में या और जगह जमीन है वहां बाहर से लोग बसाये जा रहे हैं हमारे जिले के अन्दर जो भूमिहीन किसान हैं, जिनमें हरिजन अधिक मात्रा में हैं उनके बसाने की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है।

माननीय स्वशासन मंत्री ने कहा कि उन्होंने बहुत पहले गवर्नमेंट आफ इंडिया को लोकल बाडीज के सम्बन्ध में लिखा था और उन्होंने प्युपुल्स ऐक्ट का हवाला देते हुये कहा कि वोटर्स लिस्ट बनाने के लिये क्वालीफाइंग डेट बदलने जा रही है। मैं उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि माननीय स्वशासन मंत्री को कुआ खोदने का तब ख्याल आता है जब मकान जल जाता है। जिस प्रकार से कुम्भ मेले के लिये आर्डिनेंस निकाल कर, टैक्स लगाया गया था या उन्हीं के विभाग में पंचायतराज को एक्सटेंड करने के लिये भी आर्डिनेंस निकाला जाता है क्या उसी प्रकार से अगर वह भारत सरकार को लिखते तो आर्डिनेंस के द्वारा तारीख नहीं बढ़ा सकते थे। फिर भी लोकल बाडीज में जिन सच्चे प्रतिनिधियों को वोट देने से वंचित कर दिया गया है उनको वोट देने का अधिकार मिले, जिनका टर्म पूरा हो गया वह भूल गये हैं इस सदन में पहले भी इस पक्ष से और उस पक्ष से भी बहुत सी बातें इस संबंध में कही गयी थीं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ी सी बातें शिक्षा के सम्बन्ध में भी कहूंगा। शिक्षा के सम्बन्ध में माननीय वित्त मंत्री महोदय ने बताया कि वह अब क्लवालिटी के ऊपर जाने वाले हैं। लेकिन जिस क्वालिटी को वह लाना चाहते हैं उसकी प्राइमरी एजूकेशन में कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा संविधान भी कहता है कि इस देश के अन्दर से दस वर्ष के अन्दर निरक्षरता दूर कर दी जायगी। लेकिन आज वह क्वालिटी पर जाते हैं। क्वालिटी की आवश्यकता विश्वविद्यालयों और माध्यमिक शिक्षा में है। लेकिन प्राइमरी एजूकेशन में जिसमें थ्री आर्स पढ़ाये जाते हैं क्लाविटी की क्या आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, हमको इस बात को देख कर बड़ा दुख होता है कि स्कीमों में करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है। पंचवर्षीय योजना पर १३० करोड़ रुपया खर्च करने की बात कही गयी है कि कम से कम १३० करोड़ रुपया इकट्ठा किया जायगा। लेकिन मैं उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिये एक सुझाव देना चाहता हूं। बहुत से रिटायर्ड इंजीनियर्स हैं जिन्होंने बड़े बड़े डैम्स में

काम किया है उनका एक बोर्ड या एसोसिएशन इस काम की देखभाल के लिये बनायी जाय। वे अपने सुझाव किस प्रकार रुपया खर्च किया जाय इस पर देंगे।

अन्त में मैं माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि उनके बजट के आइने में विरोधी पक्ष ने नहीं, माननीय राजनारायण जी ने नहीं, बल्कि उनके पक्ष के बहुत से भाइयों ने प्रतिबिम्ब देखा है, उसकी तरफ वे ध्यान दें।

श्री अध्यक्ष––अब माननीय सदस्य बीच बीच में खड़े होने का कष्ट न करें क्योंकि मंत्रीगण ही जवाब देंगे।

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)––अध्यक्ष महोदय, यों तो मेरा सम्बन्ध दो तीन विभाग से है। परन्तु मैं देखता हूं कि प्रायः पुलिस विभाग के सम्बन्ध में ही माननीय सदस्यों ने कुछ कहना आवश्यक समझा है। इसलिये मैं भी उसी विभाग की बाबत दो एक बातों का जिक्र करूंगा।

जो बातें कि दूसरे सदस्यों ने पुलिस की बाबत कह दी हैं, उन आक्षेपों के जवाब में जो इस विभाग के ऊपर किये गये, उनको दोहराने की आवश्यकता नहीं। मैं यह भी समझता हूं कि समय थोड़ा होने के कारण मुझे उन ब्यौरे की बातों में नहीं जाना चाहिये जिनका कुछ चर्चा हुआ कि अमुक जिले में ऐसी बात हो गयी, फलां घटना ऐसे हो गयी, इन बातों का जिक्र तो उस वक्त भी हो सकता है और होगा जब वोटिंग आन डिमांड्स होगी। मैं केवल उन दो तीन बातों का जिक्र करूंगा जिनको एक दृष्टि से सैद्धान्तिक कहा जा सकता है। उनकी चर्चा का श्रीगणेश विरोधी दल के माननीय राजनारायण जी ने किया। उनका कुछ जिक्र विरोधी पक्ष के डिप्टी लीडर श्री रामनारायण त्रिपाठी जी ने किया लेकिन इन दोनों सज्जनों ने डेमोक्रेटिक संस्थाओं में जो एक साधारण कर्टसी बरती जाती है जब कोई आक्षेप किया जाता है तो उसके सम्बन्ध में गवर्नमेंट को क्या कहना है वह भी सुन लिया जाय, उस कर्टसी को बरतना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। लिहाजा मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा विस्तार के साथ में उन बातों का जिक्र नहीं करूंगा। चूंकि वे चीजें सदन की सम्पत्ति हो गई है इसलिये थोड़े में उनका जिक्र कर देना आवश्यक समझता हूं।

यह बात बार बार कही जाती है कि पुलिस खराब है, पुलिस निकम्मी है, पुलिस की तरफ से जुल्म और ज्यादती होती है। पुलिस जैसी भी है इस प्रदेश की पुलिस को हम और आप सभी जानते हैं। जो लोग इस तरफ बैठते हैं या उस तरफ बैठते हैं सभी इस प्रदेश के रहने वाले हैं। जो अच्छे काम हैं उनकी तारीफ़ जिन माननीय सदस्यों ने की मैं उसके लिये उनको धन्यवाद देता हूं लेकिन जो शिकायत की बातें हैं उनको छिपाने की कोई जरूरत नहीं। मैं भी जानता हूं कि कुछ हद तक जुर्म छिपाया जाता है, मैं भी जानता हूं कि कुछ हद तक लोगों को तंग किया जाता है, मैं भी जानता हूं कि अब भी रिश्वत ली जाती है, मैं भी जानता हूं कि जो आदमी शिकायत करता है, जो आदमी ऊपर के अधिकारियों के सामने या गवर्नमेंट के सामने इन बातों को लाता है उसको कहीं कहीं तंग करने की कोशिश की जाती है। इसमें कोई छिपी हुई बात नहीं है और इन बातों को स्वीकार न करना भी गलत होगा। जब तक रोग को न माना जाय तब तक उस रोग का इलाज ही नहीं हो सकता। कोई छिपाने की बात होनी ही न चाहिये।

लेकिन एक बात हम सबको ठंडे दिल से समझ लेना चाहिये कि जो चीज होती है वह किन्हीं वस्तुस्थितियों के कारण होती है, किन्हीं परिस्थितियों के कारण होती है, किन्हीं ऐतिहासिक कारणों से हुआ करती है। हमने जब अपने देश में स्वराज्य कायम किया तो वह अंग्रेजों से एक समझौते के द्वारा किया। जिसका परिणाम यह हुआ कि हमको बहुत से एसेटस और बहुत सी लायबिलिटीज मिलीं। देना और पावना दोनों ही उनसे हासिल हुए। अच्छे आदमी भी पाये,

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

बुरे आदमी भी पाये, बहुत सी अच्छी चीजें भी पाईं और बुरी चीजें भी पाईं और अच्छे अफसर भी पाये और बुरे अफसर भी पाये। जब हमने डेमोक्रेटिक ढंग के शासन को स्वीकार किया और अंग्रेजों से समझौता हुआ था उसको न मान कर जिन लोगों पर कुछ भी सन्देह हमारा था उनको निकाल कर बाहर कर सकते थे तो यह कोई ईमानदारी की बात न होती। जब हमने अंग्रेजों से समझौता किया कि जो सर्विसेज हैं उनकी बाबत हम फलां फलां नियम का पालन करेंगे तो फिर अधिकार अपने हाथ में आते ही हम उस समझौते को तोड़ देते, कोई ईमानदार शासन ऐसा नहीं कर सकता था। हां, एक बात जरूर है कि अगर हमने किसी किस्म के रिवोल्यूशन जरिये ऐसे कोई अधिकार प्राप्त किये होते तो जो चाहे कर सकते थे। इसमें कोई सन्देह की बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से हमने शासन की बागडोर ली है उसका संचालन एक कायदे और क्रम से ही हो सकता है। वह कोई जादू मन्तर से नहीं हो सकता। सर्विसेज जो हैं वे जनता की मारेलिटी की प्रतीक होती हैं। सर्विसेज में जो आदमी होते हैं वे कोई आकाश से नहीं आ जाते, न पाताल से निकल कर आ जाते हैं। जैसी जनता होती है वैसे ही सर्विसेज के आदमी होते हैं। हमारे और आप के घर से सर्विसेज के आदमी आते हैं। यह मानना गलत होगा कि साधारण जनता का लेविल तो अच्छा है और सर्विस में जा कर लोग खराब हो जाते हैं या आम जनता की बुराई सर्विसेज में जा कर अच्छी हो जायगी यह कदापि नहीं हो सकता। कोई छिपी हुई बात नहीं है। अभी बहुत से लोग अपने आप को ४७ से ५३ के बीच में अंग्रेजी शब्द में जिसे कहा जाता है "एडजस्ट" नहीं कर पाये। उनको जनता में अपने को एडजस्ट करने में दिक्कत होती है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके दिमाग़ पुराने क़िस्म के हैं। बहुत से लोगों की समझ में यह नहीं आया कि स्वाधीनता में क्या चीज होती है और स्वाधीनता के जमाने में क्या व्यवहार करना होता है। जिन लोगों ने २० साल सर्विस की है अभी उनके दिमाग़ उसी खास क़िस्म के बने हुये हैं यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है। इधर जनता में परिवर्तन हो रहा है और उधर सर्विसेज में भी परिवर्तन हो रहा है। ऊपर के लोगों नें बहुत परिवर्तन हुआ है। मैं सच्चाई के साथ इस बात को कहता हूं कि आप इस बात को मानें कि जो हाई कैडर के लोग हैं उनके दिमाग़ में बहुत अधिक परिवर्तन हुआ है। साथ ही यह भी भावना चाहिये कि कुछ ख़राबियां हैं और छोटे आदमियों में ज्यादा हैं। उनको हमको और आपको मिल कर दूर करना है। यह कोई छिपाने की बात नहीं है और छिपाने से फायदा भी कुछ नहीं है। उन ख़राबियों को दूर करना होगा।

श्री राजनारायण जी ने मुझे सलाह दी थी कि मैं सम्पूर्णानन्द ने जो किताबें लिखी हैं उनको पढ़ा करूं। यह बिलकुल ठीक सलाह है। जरूर पढ़ना चाहिये और बाहर भी लोगों को खूब पढ़ना चाहिये। इससे लोगों का कल्याण होगा और मेरा भी कुछ पैसे का लाभ होगा। उन्होंने उस सम्पूर्णानन्द की किताब से कुछ उद्धरण भी पेश किया था कि जो सरकार जिस तरह से जनता को दबाने की कोशिश करती है उसी तरह से ही उसका अन्त हो जाता है। अगर कोई तलवार के जरिये से जनता को दबाने की कोशिश करेगा तो निश्चय ही उसका अन्त भी तलवार से ही हो जायगा। लेकिन यह शिकायत हमारे लिये लागू नहीं होती। सन् १९४७ ई० में हमारे लिये वह काम करना सम्भव था जो कि बोलशेविक पार्टी ने रूस में किया था कि उसने तलवार से शासन कायम किया। उस वक्त हमारा कोई हाथ नहीं पकड़ सकता था। अगर हम चाहते तो यहाँ पर डिक्टेटरशिप कायम कर सकते थे लेकिन कांग्रेस ने डेमोक्रेसी का रास्ता अख्तियार किया। इससे यह साफ है कि हम तलवार से शासन करना नहीं चाहते थे। जो लोग तलवार से शासन करना चाहते हैं वह भी हमारे देश में रहते हैं और बाहर नहीं हैं। हमारे पड़ोसी देश भी तलवार से शासन कायम करना चाहते हैं और जो वहाँ पर हालत हुई वह सबको मालूम है कि तलवार के बल पर उन्होंने वहाँ पर शासन कायम किया। रूस में तलवार के बल पर शासन होता है। कोई वहाँ पर मीटिंग नहीं कर सकता, पार्टी नहीं बना

सकता, कोई मजाल नहीं कि कोई अखबार निकल सके या भाषण दे सके। जो आदमी कालेज में पढ़ाता है और २० साल से प्रोफेसर है वह भी अपने विचार को प्रकट नहीं कर सकता है नहीं तो उसकी नौकरी चली जायगी। लेकिन हमारे यहाँ जो लोग इस किस्म की पालिसी में विश्वास करने वाले हैं उनको भी हमारे देश में आजादी है। वह पार्टी बना सकते हैं। यह आजादी उनको हमारे यहाँ पर है। इस सदन में भी उनके प्रतिनिधि मौजूद हैं। तो हमारी बाबत यह शिकायत नहीं हो सकती है।

प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के एक नुमायन्दे अभी वापस लौट कर आये हैं तो उन्होंने बताया कि पेकिंग में वह घूमते रहे उनको वहीं पर कोई पार्टी दिखाई नहीं दी। महज नाम के लिये दफ्तर कह दिया गया है। वह कागज पर है और बाहर वालों को धोखा देने के लिये है। इस किस्म की शिकायत हमारे ऊपर लागू नहीं हो सकती है। हम पुलिस को जनता को दबाने का साधन नहीं समझते हैं। हमारा ख्याल तो वही है जो मैंने २६ जनवरी, को बनारस में प्रकट किये थे। उस अवसर पर मैंने कहा था कि हमारी पुलिस की वर्दी आदर्श की वर्दी है यानी यह कि पुलिस का यह कर्तव्य है कि वह नागरिकों की रक्षा करे और उनका अपने को सेवक समझे। इसी दृष्टिकोण से हमारी पुलिस को काम करना चाहिये। मैं इतना ही कहूंगा कि पुलिस में भी ऐब हैं और उनको छिपाने की जरूरत नहीं है लेकिन एक बात समझना चाहिये कि किसी आदमी को तुम झूठे हो, तुम बेईमान, हो यह बार बार नहीं कहना चाहिये। यह मामूली नालेज की बात है कि अगर इस तरह से उसको कहा जायगा तो उसका सुधार नहीं हो सकता है। अगर किसी आदमी से खराबी को दूर करना है तो उसका तरीका यह है कि उससे कहा जाय कि तुम भले आदमी हो तो फिर वह भला बनने की कोशिश करेगा और जो भी काम वह करेगा उससे भला बनने की कोशिश करेगा। भाई, मुझे भला आदमी समझा जाता है और अगर मैं बुरा काम करूंगा तो मेरी इज्जत चली जायगी। मैं उन लोगों से कुछ नहीं कहना चाहता हूं जो कि तलवार और बन्दूक से सरकार क़ायम करके तलवार और बन्दूक से राज्य करना चाहते हैं लेकिन मैं ऐसे लोगों से कहता हूं जिनसे रामनारायण त्रिपाठी और बालेन्दुशाह जी का सम्बन्ध है अगर आप इधर आना चाहते हैं तो आप सोचें कि अगर आप डेमोक्रेसी के जरिये से काम करेंगे तो कल इन्हीं लोगों से आप को काम लेना होगा। जो कल आप के इंस्ट्रूमेंट्स होंगे उनको आप बदजन क्यों करते हैं? आप उनकी बुराइयों का जिक्र न करते हुये उनको प्रोत्साहन दीजिए।

दो एक बातों का और जिक्र हुआ। एक तो यह कि पुलिस का खर्चा ज्यादा है। "ज्यादा" और "कम" सापेक्षिक शब्द हैं। कई तरह से दोनों को देखा जाता है। हिन्दुस्तान के और राज्यों से मुकाबला कर सकते हैं। बम्बई में प्रति व्यक्ति २ रुपये ६ आने, मद्रास में १ रुपया ४ आना, पंजाब में २ रु० ३ आने, मध्य भारत में २ रु० २ आने, और उत्तर प्रदेश में १ रु० ३ आने पुलिस पर खर्च है। इस दृष्टि से भी हमारा खर्चा ज्यादा नहीं है। श्री राज नारायण जी ने इंग्लैंड के कुछ फीगर्स हमारे सामने रक्खे। उन्होंने कहा कि वहाँ कुल आमदनी का प्रतिशत, अगर मैं भूला नहीं हूं, तो .७८ खर्चा होता है पुलिस के ऊपर। मैं ठीक नहीं कह सकता कि यह आँकड़ा उनको कहाँ से मिला। बहरहाल, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जिनको मैं पेश करता हूं। विटेकर्स अलमानक १९५३ का मेरे पास है जिसमें ब्रिटेन का बजट ५९१ पेज पर है। उसके हिसाब से इंग्लैंड में १९५२–५३ में जो सरकारी खर्चा हुआ वह साधारण तो ३४ मिलियन पाउण्ड था और उसमें सीक्रेट सर्विस का साढ़े चार मिलियन पाउण्ड है। कुल ३८.५ मिलियन पाउंड है जिसकी पर्सेंटेज आमदनी के हिसाब से आती है १.५। लेकिन यह कुल खर्चा नहीं है। इसके अलावा लोकल बाडीज का खर्चा आता है करीबन ३२ मिलियन पाउंड के। कुल ७०.५ मिलियन पाउंड आता है। ७ करोड़ ५ लाख पाउंड आता है जो कि कुल आमदनी के हिसाब से २.७ पर्सेंट होता है। लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि खर्चे का काफी हाई पर्सेंटेज है। मैं सन् १९४६ से १९५३ का मुकाबला करता हूं जब कि यह मिनिस्ट्री वजूद में आई। सन् १९४६ में राज्य की पूरी आमदनी हुई ३२ करोड़ ६४ लाख रुपया और स्टेट एक्सपेंडीचर हुआ ३० करोड़ १२ लाख ७१ हजार। उसमें जो पुलिस का खर्चा था वह है ४ करोड़ ४५ लाख

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

यानी कुल का १३.३ पर्सेंट । लेकिन आप इस साल के बजट को देखें तो मालूम होगा कि ८१ करोड़ ६ लाख रेवेन्यू एक्सपेंडीचर है और पुलिस के लिये है ७ करोड़ २१ लाख, यानी ८.९ पर्सेंट । जहाँ वह सन् १९४६ में १३.३ पर्सेंट है वहाँ अब ८.९ पर्सेंट ही रह गया है । एक-तिहाई घट गया है यानी १०० में ६६ रह गया है । रक़म बढ़ती है लेकिन पर्सेंटेज घटता है । इर्रीगेशन, एग्रीकल्चर, एजूकेशन, हैल्थ और मेडिकल इत्यादि हैं, इन चीजों का पर्सेंटेज ज्यों ज्यों बढ़ेगा और सूबे की आमदनी बढ़ेगी त्यों-त्यों पुलिस का पर्सेंटेज घटता जायगा । ये नेशन बिल्डिंग डिपार्टमेंट्स कहलाते हैं और उनका पर्सेंटेज बनाने से पुलिस का पर्सेंटेज घटेगा । शायद अगले साल यह पुलिस का पर्सेंटेज ५ पर्सेंटेज हो के करीब रह जायगा । आज वह ८ प्रतिशत है और पहले ३१ प्रतिशत था । हर कल्याणकारी स्टेट में ऐसा ही होता है जो नेशन विल्डिंग के विभाग होते हैं उनके खर्चे का प्रतिशत बढ़ता जाता है और पुलिस पर प्रतिशत घटता जाता है । पिछले साल भी जो प्रतिशत था वह ९.८ था और इस साल ८.९ है । इससे भी यह साफ मालूम होता है कि .९ प्रतिशत पिछले वर्ष से भी कमी हुई है । यह तो प्रतिशत की बात हुई लेकिन फिर भी कहा जा सकता है अगर ७ साल के बाद यह भी मान लिया जाय कि वह ५ प्रतिशत हो जायगा लेकिन फिर भी वह इंगलैन्ड के बजट से बहुत ही ज्यादा है । यह क्यों है, इसका भी बड़ा साधारण सा जवाब है । दोनों देशों की परिस्थिति अलग अलग है । इंगलैन्ड एक द्वीप है वहाँ जो लोग क्राइम करते हैं उनका पुलिस आसानी से इंतजाम कर सकती है । बाहर से कोई आदमी आ जाय या बाहर चला जाय इसके लिये ज्यादा परेशानी उसको नहीं होती कुछ एअर पोर्ट्स हैं और कुछ बन्दरगाह हैं । लेकिन हमारे चारों तरफ दूसरी ही हालत है । हमारी सीमा पर कहीं दिल्ली है, राजस्थान है, मध्यप्रदेश है, मध्य भारत है, विन्ध्य प्रदेश आदि आदि हैं और हमारे यहाँ से क्रिमिनल आसानी से बाहर जा सकता है । जमुना और चंबल के रेवाइन्स के बारे में कौन नहीं जनता । अब भी कोई भी जा कर आँखों से उनको देख सकता है । इस प्रकार से हमारी भोगोलिक परिस्थिति बिलकुल ही भिन्न है जहाँ हमारे यहाँ चारों ओर लैंड ही लैंड है, इंगलैंड में वहाँ समुद्र है जिस पर जमीन के बजाय आसानी से प्रबन्ध किया जा सकता है ।

इसके अलावा एक और भी बात है जो किसी से छिपी नहीं है और यह हमारे दुर्भाग्य की बात है कि महमूद गजनवी से लेकर आज तक हमारे देश पर हमले होते रहे और हिन्दू और मुसलमानों के बीच में अब भी कहीं कहीं टेंशन पाया जाता है । इन बातों की तरफ भी हमें ध्यान देना होता है जिनका जिक्र कि नाजिम साहब ने किया । पाकिस्तान में जो बातें होती हैं, नोआखोली सरीखी जो बातें होती हैं उन बातों के बारे में सूपरफ्लूअस तरीके से कहना काफी नहीं है कि कांग्रेस गवर्नमेंट इन सब के लिये जिम्मेदार है । क्या उस समय भी कांग्रेस गवर्नमेंट थी जब कि महमूद ग़जनवी आया, क्या उस समय भी कांग्रेस गवर्नमेंट थी जब नोआखाली का काण्ड हुआ, इसी तरह से नेशनल, इंटरनेशनल और हिस्टोरीकल परिस्थितियां ऐसी हैं जिनकी वजह से पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ जाती है । पार्टीशन हुआ और उसका असर हमारे साथ चल रहा है । और इन्हीं सब कारणों से पुलिस का खर्चा बढ़ा हुआ है । माना कि किसी समय पूरी शांति हो जाय, सारी शिकायतें दूर हो जायं और हमारे यहां भी नार्मल हालत हो जाय लेकिन फिर भी उस समय तक पुलिस के रखने की जरूरत होगी लेकिन अभी तो यह क्रिमिनल नेग्लेजेंस होगी अगर हम केवल लोगों को खुश करने के लिये पुलिस को कम कर दें । फिर यह भी कहा जा सकता है कि यहां पर पुलिस का खर्चा इंगलैन्ड से ज्यादा है । लेकिन कौन शख्स ऐसा होगा जो देश की परिस्थिति को जानता होगा और यह कहेगा कि पुलिस को कम किया जाय । यह भी मानना पड़ेगा कि हमारे यहां की जो हालत है उसको देखते हुए हमारे यहां का खर्च ज्यादा नहीं है । जब पुलिस का बजट पेश होगा तो मैं उन माननीय मित्र का ही समर्थन करुंगा जिन्होंने कहा कि हमको कुछ कारणों से पुलिस का खर्चा और ज्यादा बढ़ाना चाहिये ।

एक बात का और जिक्र आया कि पुलिस को लोकल बाड़ीज को दे दिया जाय, जैसा कि इंगलैन्ड में है । यह बात भी दो तीन पहलुओं से सोचनी चाहिये । जिन परिस्थितियों का मैंने

जिक्र किया उन विशेष परिस्थितियों को देखते हुये ऐसे कितने आदमी हैं, उन स्पीचों की बात छोड़ दीजिये कि यहां खड़े हो कर गवर्नमेंट को भला बुरा कह दिया जाय, जो यह कह सकते हों कि फ्रन्टियरों की रक्षा, क्रिमिनल की हालत को ध्यान में रख कर भी पुलिस को सैकड़ों छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर म्युनिसिपल बोर्ड्स और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के हाथ में दे दिया जाय। आज कल जो मौजूदा सेंट्रलाइज्ड पुलिस है उसको तोड़ कर लोकल बाड़ीज के हाथ में दे दिया जाय तो उसका आगे क्या नतीजा होगा, यह कहना तो बड़ा मुश्किल है। फिर एक बात और है। अगर मैं ग़लती नहीं करता हूं तो एक रोज माननीय मलखान सिंह जी ने अपने भाषण में कहा था कि शिक्षा का काम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स अच्छी तरह से नहीं करते हैं इसलिये शिक्षा का काम गवर्नमेंट को अपने हाथ में ले लेना चाहिये। एक तरफ तो कुछ लोग यह कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स शिक्षा का इन्तजाम ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं जो कि एक बड़ा ही सीधा सा काम है और दूसरी तरफ पुलिस जैसा टेढ़ा मुहकमा उनके हाथों में देने की बात कही जाती है। अच्छा होता कि माननीय श्री राजनारायण जी इस बात को कहने के पहले अपने घर में बैठ कर पहले अपने घर वालों से सलाह कर लेते उसके बाद इस सदन में अपनी राय देते। फिर इंगलैंड के बारे में जैसा बतलाया गया है कि वहां की सरकार अगर सेक्युरिटी सर्विसेज को छोड़ दिया जाय तो पुलिस के ऊपर ३४ मिलियन पौंड ख़र्च करती है और ३२ मीलियन पौंड लोकल बाडीज खर्च करती हैं; यानी क़रीब क़रीब आधा हिसाब बैठता है। हमारे यहां पुलिस के ऊपर जो ७ करोड़ का खर्चा है उसमें क़रीब ४ करोड़ की जिम्मेदारी गवर्नमेंट अपने ऊपर ले ले और ३ करोड़ लोकल बाडीज के ऊपर छोड़ दे तो आज हमारे यहां लोकल बाड़ीज की हालत यह है कि अगर पंचायतें हैं तो सेक्रेटरीज की तनख्वाह नहीं दे सकतीं, अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं तो मास्टरों की तनख्वाह नहीं दे सकते तो फिर यह जो ३ करोड़ रुपया का खर्चा है वह कहां से आयेगा? एक तो यह है कि उनका टैक्स लगाने का अधिकार हो लेकिन वे टैक्स तो लगा ही नहीं सकते क्योंकि टैक्स लगाना पाप है, तो फिर कहीं आकाश से रुपया आ जाय या कहीं कल्पवृक्ष से रुपया आ जाय क्योंकि अगर टैक्स नहीं लगेगा तो फिर रुपया आयेगा कहां से?

एक बात और सोचने की है कि गवर्नमेंट रेवेन्यू से काट कर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को रुपया दिया जाय, कुछ न कुछ इसके लिये सोचना पड़ेगा लेकिन सदन में इस तरह का प्रस्ताव करने के पहले कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के ऊपर ३ करोड़ रुपया का बोझ डाला जाय यह सोचना होगा कि उनकी आमदनी का जरिया क्या होगा? कहां से उनके हाथ में रुपया लाया जाय? जब तक ऐसा न किया जाय तब तक यह एक बड़े गौर करने की बात हो जाती है। इंगलैन्ड का नाम लेकर यह बात भी कही गयी कि जिस तरह से वहां पर है पुलिस को लोकल बाडीज के हाथ में दे दिया जाय, मुझे मालूम नहीं होता कि आखिर उन लोगों ने इंगलैंड में जो कुछ है उसका कभी अध्ययन किया भी है या नहीं। माननीय विरोधी दल के नेता के लिये ऐसी बात कहने की गुस्ताखी तो मैं नहीं कर सकता लेकिन मालूम होता है कि कुछ लोगों का ऐसा ख्याल है कि इंगलैंड में डिसेंट्रालाइजेशन पूरा है और लोकल बाडीज के हाथ में ही वहां की पुलिस है। इंगलैन्ड की आबादी करीब साढ़े ३ करोड के है यानी हमारी आधी है। वहां पुलिस की संख्या ६० हजार है और हमारे यहां भी इतनी ही पुलिस की संख्या है। तो इन ६० हजार में २० हजार तो मैट्रोपोलिटिन पुलिस है और यह सवा सौ वर्ष से ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में है। किसी लोकल बाड़ीज से इसका रत्ती भर भी सम्बन्ध नहीं है। इसका पूरा खर्चा, इसके सभी अफसर, सिपाही पूरे के पूरे गवर्नमेंट के अन्डर हैं। जिस समय रोबर्ड्स लूइस इंगलैन्ड में प्राइम मिनिस्टर थे शायद सन् १९२६ से यह पुलिस गवर्नमेंट के अन्डर है और इंगलैंड की पुलिस की जो तारीफ की जाती है वह इसी पुलिस की तारीफ की जाती है। इसके सिवा बाक़ी जो ४०हजार पुलिस है वह १०० हिस्सों में बटी हुई है और उसे हम अपने यहां म्युनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, टाउन एरिया आदि में बांट सकते हैं। लेकिन यहां पर एक बात यह जानने की है कि वहां लोकल बाडीज की जो पुलिस होती है वह ऐसी नहीं होती जैसा कि आप सोचते हैं। वहां पर सन् १९१९ में जो कानून बना उसमें यह है कि जितने भी लोकल बाड़ीज हैं वे वहां के होम सेक्रेटरी, इंगलैन्ड में होम सेक्रेटरी को ही होम मिनिस्टर कहते हैं, के ही अधिकार में है। कितनी पुलिस होगी, कैसे उनकी

[डाक्टर सम्पूर्णा नन्द]

नियुक्ति होगी, उनका क्या अधिकार होगा, उनकी तनख्वाह क्या होगी, उनको पेंशन क्या दी जायगी यानी इस तरह की जितनी भी बातें हैं वही सारी की सारी तय करता है। दूसरे जिस तरह से हमारे यहां सुपरिटेंडेंट पुलिस होते हैं उसी तरह से वहां चीफ कांस्टेबिल होते हैं। चीफ कांस्टेबिल की क्वालिफिकेशन क्या हो इसे होम सेक्रेटरी ही तय करता है, यही नहीं बल्कि चीफ कांस्टेबिल की नियुक्ति भी होम सेक्रेटरी ही की मंजूरी से होती है। यानी लोकल बाडीज़ की पुलिस की क्लालिफिकेशन तय करने में, तथा उसकी नियुक्ति करने में फिर चीफ कांस्टेबिल का क्या अधिकार हो, उसके एप्वायंट करने में, उसके मुअत्तिल करने में और इतना ही नहीं बल्कि चीफ कांस्टेबिल के मातहत जितने अफसर हैं उनको होम सेक्रेटरी के पास अपील करने का भी अधिकार है। जब से इंगलैंड में यह कानून बने हैं तब से वहां सेन्ट्रलाइजेशन है। हां, एक बात और--उनके इंस्पेक्टर्स होते हैं जो होम सेक्रेटरी के आदेश पर बराबर देखते रहते हैं और जिस किसी के ख़िलाफ कोई बातें मालूम हुईं तो उनको प्वायंट आउट कर देते हैं या होम सेक्रेटरी के पास रिपोर्ट कर देते हैं और जो होम सेक्रेटरी हिदायत देते हैं उनको पूरा करते हैं और जिस तरह से अपने यहां चौकीदार लाठी लेकर घूमते हैं इसी तरह से वहां पुलिस पर भी होता है। तो जहां पर गवर्नमेंट यह सब कायदे बनाती है तो उसने यह भी किया है कि पूरा खर्च वह नहीं देती। क़रीब आधा खर्चा सरकार देती है और आधा के क़रीब लोकल बाडीज़ को करना पड़ता है। सरकार वहां ३४ मिलियन पौंड देती है तो लोकल बाडीज़ का खर्च करीब ३२ मिलियन पौंड्स के है। यानी आधा खर्च लोकल बाडीज़ देंगी और आधा गवर्नमेंट देगी। उसके बाद भी जो भारी शक्ति गवर्नमेंट के हाथ में हो गयी है उसको भी देखिए। यानी यह कि कोई पुलिस अगर होम सेक्रेटरी के आदेश और अनुशासन के ख़िलाफ जरा भी काम करे तो वह ग्रांट बन्द कर सकता है और वहां किसी लोकल बाडी की सामर्थ्य नहीं है कि चार दिन भी अकेले चला सके। और दो चार दफे ऐसे मामले हुये भी हैं कि अगर कोई हेकड़ी करे कि हम नहीं लेते ग्रान्ट आप से और हम चला लेंगे तो फिर वह शिक्षा, सड़क, और सब कुछ बन्द कर दे या फिर पुलिस को बन्द कर दे। तो यह अधिकार वहां के होम सेक्रेटरी को है और यह भी अधिकार है कि वहां के लोकल बाडीज़ को वह सस्पैंड कर सकता है या तोड़ दे सकता है। यह सब अधिकार हैं। तो इन सब बातों को देखते हुये जो माननीय सदस्य आज इस बात को कहते हैं कि इंगलैंड की तरह से पुलिस को लोकल बाडीज़ को दे दिया जाय तो उन्हें यह सोचना होगा कि मौजूदा परिस्थितियों में अगर इतने बन्धनों के होते हुये हम पुलिस को लोकल बाडीज़ को देना भी चाहें तो कितनी लोकल बाड़ीज़ उसको लेने के लिये तैयार होंगी। जब शान्ति से कोई विचार करेगा तो देखेगा कि कोई तैयार भी नहीं होगा और अगर होगा तो वह चार दिन भी न चला सकेगा। यह कह देना तो बहुत आसान है कि जनता का विश्वास पुलिस पर नहीं है लेकिन इस बात को देखते हुये कि क्या चीज़ प्रैक्टिकेबिल है तो हमें पता लगेगा कि हम डिसेन्ट्रलाइजेशन इस वक्त नहीं कर सकते।

पुलिस अपनी है। मैं फिर कहता हूं कि हमें अपनी पुलिस के दोषों पर ध्यान देना चाहिये। मगर यह भी देखना चाहिये कि जो भी राष्ट्र सेवा के काम करते हैं, राष्ट्र के जितने भी काम हम करते हैं उन सब में आज पुलिस की आवश्यकता है या नहीं। यह कह देना तो बहुत आसान ज़रूर है कि पुलिस तोड़ दी जाय तो अच्छा है लेकिन देहातों में और शहरों में जा कर पूछिये कि क्यों, पुलिस तोड़ दी जाय तो कितने आदमी इसके लिये तैयार हैं। आज उनमें हजारों ऐब हैं लेकिन उन ऐबों के होते हुये भी हमें उनको सुधारना चाहिये। आज राष्ट्र के सेवा के जो काम हैं उनमें पुलिस की बहुत ज़रूरत है। इसलिये बहुत आवश्यक है कि यह जो पुलिस का खर्चा है उसको हर तरह से रखना चाहिए।

मैं समझता हूं कि जो मुख्य शिकायतें हैं उनका जवाब मैंने दे दिया और बाक़ी जो बातें होंगी उनको जब इस डिमांड पर वोटिंग होगी उस वक्त चर्चा करूंगा।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)––अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इस सदन के सामने जो बजट माननीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया है उसका हार्दिक समर्थन करता हूं। विरोधी पार्टी की तरफ से २ दिन तक यह कहा जा रहा था कि किसानों के हित के लिए इस बजट में गुंजायश नहीं है। मैंने इस बजट को पढ़ा; क्योंकि मैं एक किसान हूं इसलिये हमेशा उस नाते बजट पर ध्यान देता हूं कि इस प्रदेश के किसानों के लिये किस तरह की चीजें सरकार की ओर से की जा रही हैं। मैंने बजट पढ़ा। मैंने जहां यह देखा कि कृषि पर किस तरह रुपया व्यय किया जा रहा है तो वहां सिंचाई पर सबसे अधिक रुपया खेती के लिये खर्च किया जा रहा है। दूसरी तरफ मैंने देखा कि किसानों को सब से अधिक फायदा पशु-पालन में होता है। उस पर भी काफी रुपया खर्च किया जा रहा है। किसानों के गांवों में औषधालय भी खोलने की कोशिश इस बजट में की गयी है। इस तरह से ऐसे बहुत से काम हैं जिनके लिये इस बजट में रुपया रखा गया है। फिर भी हमेशा यह कहा जाता है, माननीय सदस्यों के द्वारा यह तर्क पेश किया जाता है कि यह बजट गरीब किसानों का और मजदूरों का नहीं है। मजदूर आज हमारे देश में कौन हैं? हमारे देश में मजदूर वही हैं जो किसानों के गांवों से शहरों में जा कर मिलों में काम करते हैं। अगर किसानों के बालक कहीं किसी शहर में जाकर किसी मिल में मजदूरी कहते हैं तो वह मजदूर किसानों से अलग नहीं हो सकते हैं। वह मजदूर तो किसानों के ही बच्चे हैं। इतना रुपया किसानों के फायदे के लिये जिस बजट में खर्च किया जाय उसके लिये यह कहा जाय कि वह किसानों के फायदे के लिये नहीं है इसको मैं तो मानने के लिये तैयार नहीं हूं।

किसान कौन है? किसान आज ८५ फीसदी की संख्या में गांवों में रहते हैं जिनकी आमदनी केवल खेती से होती है, वही तमाम किसान हैं। उन किसानों के फायदे के लिये यदि नहरें बनायी जायं, उनके फायदे के लिये यदि गांवों में प्राइमरी शिक्षा का प्रबन्ध हो, उनकी बेकारी को दूर करने के लिये इस बजट में ३२, ३२ सौ मास्टर एक साथ शिक्षा विभाग में लिये जायं और किसानों के बच्चों को कृषि शिक्षा दी जाय तो क्या वह खर्चा किसानों के लिये नहीं है, क्या वह खर्चा उनके बच्चों के लिये नहीं है, क्या वह खर्चा मजदूरों के लिये नहीं है। केवल इतना कहने से कि यह बजट पूंजीपतियों के लिये बनाया गया है, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि यह सब क्यों कहा जाता है। हां, बजट में कुछ कमी भी हो सकती है लेकिन उस कमी का मतलब यह नहीं है कि सरकार की मंशा किसानों और ग़रीबों की तरफ नहीं है। सरकार का मंशा किसानों और गरीबों की तरफ है, सरकार की मंशा मजदूरों की तरफ है बल्कि मैंने तो यह देखा कि झोपड़ियों में जहां कभी अंग्रेजी गवर्नमेंट नहीं पहुंची थी वहां हमारे देश के जो सेन्टर के मिनिस्टर हैं या जो हमारे इस प्रदेश के हैं वे उन किसानों की झोपड़ियों में पहुंच कर, उन हरिजनों की झोपड़ियों में पहुंच कर प्रत्येक क्षण जनता के फायदे के लिये लगे हुये हैं और इस प्रयत्न में हैं कि किस तरह से उन्हें ऊपर उठाया जाय। इसके बाद यह कहना कि यह किसानों का बजट नहीं है, यह गांव वालों का बजट नहीं है, यह गरीबों का बजट नहीं है, यह बहुत ग़लत बात मालूम होती है।

एक बात यह हो सकती है कि हम यहां ४३१ क्षेत्रों से आये हुये हैं, उन क्षेत्रों में कोई कमी हो। कमी के लिये तो हमें सरकार से कहना है कि हमारे क्षेत्रों में इन चीजों की कमी है। वैसे सरकार का ध्यान तो प्रदेश के उन क्षेत्रों में है जहां कोई नहीं पहुंचता। इन शब्दों के साथ मैं सरकार के सामने एक चीज सुझाव के रूप में देना चाहता हूं कि जहां सरकार हरिजनों के लिये और पिछड़ी हुई जातियों के लिये कुछ रुपया हमेशा बजट में रखती है वहां हमारे सूबे में चार पांच जिलों में एक जाति मुसहर है। उसे चाहे आप सब से पिछड़ी हुई जातियों में समझिये, चाहे आप हरिजन समझिये, चाहे आप जो कुछ भी समझिये लेकिन उनके लिये आज तक बजट में कभी कोई गुन्जायश नहीं रक्खी गई है। वह मुहसर इलाहाबाद, बनारस, जौनपुर और आजमगढ़ की तरफ रहते हैं लेकिन मैं न तो उनका नाम हरिजनों की लिस्ट में देखता हूं और न पिछड़ी हुई जातियों में ही उनका नाम आता है। तो मैं सरकार के सामने यह सुझाव पेश करना चाहता हूं कि बजट में इस तरह के आदमियों के लिये ध्यान दिया जाय जिस तरह से विन्ध्य प्रदेश के पहाड़ी

[श्री रमेश चन्द्र शर्मा]

में खोज की जा रही है, जिस तरह से हमारे राष्ट्रपति महोदय पहाड़ों के खंडरों में जाकर खोज कर रहे हैं उसी तरह से जिन स्थानों पर मुसहरों की तादाद अधिक है वहां सरकार पहुंच कर उनकी दशा को देखे और बजट में उन ग़रीबों के उद्धार के लिये गुंजायश रखे। इन शब्दों के साथ मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं हमारे सुझाओं पर उचित ध्यान दिया जायगा।

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)—अध्यक्ष महोदय, इस बजट पर साधारण वादविवाद आज तीन दिन से चल रहा है और इस सदन के सभी वर्गों के सदस्यों ने अपने विचार इसके बारे में प्रकट किये हैं। मैं इस बजट के लिये वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं और जो कि इस सदन में इस बजट का स्वागत हुआ है या जिस तरह पर सब बातों को देखते हुए इस सदन ने इसको अपनाया है उसके लिये भी धन्यवाद देता हूं।

कोई बजट इसी लिये बनाया जाता है कि उससे जनता को यह मालूम हो कि क्या मौलिक नीति है जिसको कि शासन अपने व्यवहार से सफल करना चाहता है। यह एक रिएलिस्टिक चीज़ है। बजट केवल आइडियलिज्म से नहीं चल सकता। कई बातों को हम सब मानते हैं और उसके बारे में मैं समझता हूं कि हमारी तरफ से कोई इस बात का इन्कार नहीं कि हम बहुत पिछड़े हुये हैं, हमारे वहां पर्चेजिंग पावर काफी नहीं, ज्यादा होनी चाहिये, हमारे वहां लोगों का स्टैंडर्ड आफ लिविंग ऊंचा होना चाहिये, हमारे वहां बेकारी दूर होना चाहिये, हमारे वहां गरीबी दूर होनी चाहिये, हमारे वहां विद्या और स्वास्थ्य की उन्नति होनी चाहिये, और इन सब बातों में हम काफी पिछड़े हुये हैं। लिहाजा इस बारे में कोई बराबर यह कहे कि हमारे यहां यह कमियां हैं, वह कमियां हैं, तो वह कोई ऐसी बात नहीं जिसके बारे में हमारे बीच में वादविवाद हो। जो हमको बजट में देखना है और जिसे देखने की जरूरत है वह यह है कि जैसी हमारी स्थिति है, उसको देखते हुये जो कुछ हमारा आदर्श है और उद्देश्य है एक कल्याणकारी राज्य का और यह कि हमारे देश में जो कमियां हैं उनको हम दूर कर सकें और दूर करें जितनी जल्दी हो सके, उन सब बातों को देखते हुये जो बजट पेश किया गया है वह उपयुक्त है या नहीं। इस बजट से यह किसी का दावा नहीं है कि अगले साल तक हमारी सब तकलीफें दूर हो जायंगी, और अगर ऐसा दावा होता तो यह एक ऐसी बात होती जो कि कोई माने नहीं रखती। न तो कोई यह कहता है कि हमने जो अब तक किया उससे हमारी तकलीफें बहुत हद तक दूर हो गयीं। मगर यह मैं कहता हूं और दावे के साथ कहता हूं कि उस पांच सात वर्ष में इस सूबे में जो कुछ भी हमने करने का यत्न किया उससे विकास इस सूबे में बहुत ज्यादा हुआ है बमुकाबिले ५० वर्ष में या ६० वर्ष में या सौ वर्ष में। यह मैं कहना चाहता हूं और यह भी कहना चाहता हूं कि चाहे हम बहुत न कर सके हों, मगर जितनी तेज रफ्तार हो सकती है, जैसे पैर और घुटने वग़ैरा हमारे हैं उनको देखते हुये, उससे हम ज्यादा तेज रफ्तार से दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ढीलेपन से नहीं। इसलिये इन बातों को देखकर इस बजट पर राय कायम होनी चाहिये। मेरा भी कुछ ताल्लुक इस सदन से रहा है। करीब करीब ३० सालों से मैं बराबर यहां के बजटों को देखता आया हूं। मेरा निश्चित मत है कि विकास की दृष्टि से इससे अच्छा बजट इस सदन में कभी पेश नहीं हुआ। यह मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। कहा जाता है और मुझे इस बात की खुशी है कि पहली मर्तबा हमारे प्रदेश में, जो प्रदेश कि कई बातों में आज आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है अब और भी कई बातों में पीछे है, रेवेन्यू और कैपिटल मिला कर १०० करोड़ से ज्यादा का बजट हमारा खर्च करने को बना है और यह इस डिटरमिनेशन को दिखलाता है कि जिस

प्रदेश में आज से कुछ ही वर्ष पहले १२ करोड़ का कुल बजट था आज हम उस प्रदेश में १०० करोड़ से ज्यादा खर्च करने के लिये किसी न किसी तरह से साधनों को जमा करने की हिम्मत करते हैं और उन्हें जमा करके उसका बहुत बड़ा हिस्सा जनहित के कार्यों में लगाने का इरादा रखते हैं और उसका नकशा आपके सामने मौजूद है और वह नक्शा हमारे वित्त मंत्री जी ने आपके सामने बहुत खूबसूरती के साथ और साफ साफ ढंग से रखा भी है। इसलिये इसमें करीब ८१ करोड़ रुपया जहां तक मुझे ख्याल है रेवेन्यू की मद से और २४ करोड़ कैपिटल की मद से खर्च होने के लिये कूता गया है। इस तरीके पर यह बजट एक ऐसा बजट है जो कि बजट कहा जा सकता है हिम्मत का और यह बजट विकास करने की लग्न का एक प्रमाण और सबूत है।

कहा जाता है कि यह गरीबों का बजट नहीं है। मैं जानता नहीं कि कौन सा बजट गरीबों का कहा जाता है। इस बजट में सिंचाई के लिये काफी रकम है, इस बजट में सड़कों के लिये काफ़ी रक़म है, इस बजट में थोड़ी सी मद इसलिये भी रखी गई है कि हमारे पिछड़े हुये जो भाई हैं उनकी कुछ मदद की जाय, इस बजट में जो मजदूर हैं उनके मकान बनाने के लिये करीब दो करोड़ रुपया रखा गया कुछ मेहतरों की मदद के लिये भी रुपया रखा गया है, इस बजट में कुछ रुपया इसलिये रखा गया है कि जो लाखों कर्घे के बुनने वाले हैं उनके लिये और मजदूरों की मदद में काम आये, इस बजट में काफी रुपया नये अस्पतालों के लिये भी रखा गया है, स्कूल और कालिजों की शिक्षा पद्धति सुधारने के लिये भी इसमें रुपया रखा गययया है। तो गरीबों का बजट कैसा होना चाहिये? क्या सड़कें तोड़ दी जायं, पुल तोड़ दिये जायं, स्कूल बन्द कर दिये जायं और नहरों में बालू डाल दी जाय अगर यह तरीका है तो मैं इस तरीके से गरीबों की मदद करने को मंजूर करने को तैयार नहीं। आज मांग यह है कि सड़क हमारे यहां बनाओ, नहर हमारे यहां खोलो, स्कूल हमारे यहां खोलो, अस्पताल हमारे यहां खोलो। ये सब मांगें गरीब से गरीब लोगों की तरफ से रोज आ रही हैं। तो उनकी जरूरत कैसे पूरी होने वाली है यह मैं समझ नहीं पाया।

फिर कहा यह जाता है कि यह तो अमीरों का बजट है। उसी के साथ-साथ यह कहा जाता है कि टैक्स बहुत लगा रहे हैं। तो टैक्स ग़रीबों पर लगता है या अमीरों पर लगता है। जिनके पास कुछ देने को नहीं है उनसे तो कुछ मिलता नहीं है, आखिर मिल उसी से सकता है जिसके पास कुछ देने को है। यह कहना कि गरीबों की मदद होनी चाहिये मगर तनख्वाह उन सब की बढ़ानी चाहिये जो सरकारी काम करते हैं और टैक्स सब का छोड़ देना चाहिये और जो नाज होता है उसकी कीमत शहरों में और मद्दी होनी चाहिये और किसान को ज्यादा मिलनी चाहिये, शकर सस्ती बिकनी चाहिये मगर गन्ने का दाम बढ़ना चाहिये, ये बातें जो हैं ये कोई साधारण आदमी की समझ में आती नहीं हैं कि कैसे इन बातों को किया जाय और अगर इन बातों को करने की कोशिश की जाय तो उसके लिये हमको समझना पड़ेगा कि जो हमें काम करने हैं उनके लिये सब के सहयोग को लेना है और सबको अपने पेट कसकर मदद देना है। इसके लिये कोशिश करना है तभी हम आगे बढ़ सकते हैं।

यहां एक अजीब सी बात है कि जो भी टैक्स लगाया जाता है उस पर देने वाले तैयार हैं, उनको कोई खास शिकायत नहीं है मगर औरों को शिकायत है कि देने नहीं देंगे। अब इर्रीगेशन के रेट का मामला है। इटावा में ९५ तथा ९९ प्रतिशत वसूल हो गया है और एक भी प्रोसेज जारी नहीं करना पड़ा। मगर वहां आंदोलन हो रहा है और ४०/५० आदमी कलेक्टर के मकान को चारों तरफ घेरते

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

हैं और आवाज लगाते हैं कि हमको पकड़ो इसलिये कि इर्रीगेशन रेट लगा दिया। तुमको पकड़ने से क्या पानी फूट निकलेगा या और कोई बात होगी। लेकिन सवाल तो वहां पर यह है कि किसी न किसी तरह से ऐसा किया जाय जिससे लोगों के सामने यह आये कि यह पकड़े गये थे। किसान चाहे इर्रीगेशन रेट दे दे मगर वह यह समझे कि यह हमारे हितैषी हैं और उनकी तरफ उनका रुझान ज्यादा हो।

इसी तरह से इलैक्ट्रिसिटी रेट का सवाल है। आज से एक साल पहले यह लगाया गया और लोग हर महीने देते आ रहे हैं लेकिन अब एक साल बाद आंदोलन शुरू होता है कि बिजली का रेट बहुत बढ़ गया है। इसे न दिया जाय। हम समझते थे कि जब कोई टैक्स लगता है तभी उसका सब से ज्यादा बोझा पड़ता है। लेकिन समझ में नहीं आया कि एक वर्ष हो गया तब लोग समझ पाये कि बिजली का रेट ज्यादा लगाया गया है।

इस तरीके पर आखिर लोगों की राहत की बात कैसे हों। क्या यह बजट की तरफ सही नुक्तानजर पैदा कर सकता है? इस तरह से क्या कोई सही चश्मे से देख सकता है? जो लोग इस तरह से देखते हैं। अगर उनका चश्मा ऐसा है तो फिर अगर हर जगह उनको सही चीज गलत दिखे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। इसमें इनएबीलिटी है एप्रोच में। लिहाजा हमें एक रीअलिस्टिक तरीके से देखना चाहिये और समझना चाहिये कि हम क्या कर सकते हैं।

इस बारे में काफी जिक्र हुआ और किसी साहब ने तो यह भी कहा कि हमारी स्टेट दिवालिया होने जा रही है या हो गई है। किसी इंसोलवेंसी कोर्ट से ऐसा आर्डर निकल गया है या नहीं मुझे मालूम नहीं है। लेकिन यहां तक कहा गया है लोग जानते नहीं हैं कि हमारे फाइनेंसेज की कितनी साउंड हालत है। आप कहते हैं कि आपने दो करोड़ रुपया रिजर्व फंड से ले लिया और दूसरे साल और ले लिया और फिर अब लेने जा रहे हैं। पहली बात तो यह है कि रिजर्व फंड इसीलिये बनाये जाते हैं कि अच्छे काम में काम आयें। डेवलपमेंट के काम के लिये रिजर्व फंड बनाये जाते हैं। जब रुपया विकास के काम में लगाया जा रहा तब तो इससे आमदनी और ज्यादा होगी। फिर इसमें शिकायत की क्या बात है। मगर यह देखये कि किस तरह से काम किया गया है। आपके सामने ९ करोड़ रुपये के सप्लीमेंट्री बजट एस्टीमेट्स आये। पहला साल बजट का था। ९ करोड़ की स्कीम्स पास हुई और बावजूद इन सब बातों के होते हुये आज परसाल के मुकाबले में डेफीसिट कम है। एक करोड़ या डेढ़ करोड़ का डेफीसिट कम हो गया है और ९ करोड़ की स्कीम्स भी आईं फिर भी सूबे ने इन सब कामों को किया और डेफीसिट को भी घटाया और इकोनोमी मेजर्स काम में लाकर कछ करोड़ रुपये की बजट की। अगर खर्चे में कमी करके विकास के काम में खर्चा किया गया तो कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिये कहा जाय कि फायनेंसेज का हैंडलिंग ठीक नहीं है और कोई मद देखी नहीं जाती है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां जो राशनिंग और फूड सप्लाई का काम था उस पर करोड़ों रुपयों का घाटा हमको हुआ है। और उस घाटे के धक्के को हमारे फ़ाइनेंसेज ने बरदाश्त किया और उसको लेते हुए आगे बढ़े और आज बजट में अगर हम रिजर्व में से कुछ रुपया ले रहे हैं तो २ करोड़ रुपया सालाना जो डेफिसिट हो गया था उसके लिये जमा भी कर रहे हैं। यानी एक तरफ से अगर हम रिजर्व को न लेते और इस दो करोड़ को न देते तब भी उस अवस्था में फर्क नहीं आता। वह दो करोड़ रुपया

और एक दो साल में घाटे से खत्म हो जाता और उसके बाद जो नुकसान हमको होता आया था फूड राशनिंग और अन्य सब बातों में वह फिर सब बच जायगा और यह दो करोड़ जो हम दे रहे हैं वह भी हमारे हाथ में रहेंगे कि हम उसको जिस काम में चाहें लगावें।

उसके अलावा करीब ३ करोड़ रुपया हम सालाना रेवेन्यू में से डेवलपमेंट फंड में सर्फ कर रहे हैं, जो कैपिटल के काम में आ रहा है और वह भी एक रिजर्व फंड है जो कि डेवलपमेंट के फार्म में होता है। इसलिये अगर आप सब आमदनी को देखें तो मालूम पड़ेगा कि गो कि हम विकास के कार्य में इतना खर्च कर रहे हैं, उसी के साथ साथ हम साल्वेंट ही नहीं, आज हमारी हालत ऐसी है कि हम गर्व के साथ कुछ सहने की हिम्मत रख सकते हैं कि हमारे फाइनेंसेज ने सब स्ट्रेन को बरदाश्त करते हुए और इस डेवलेपमेंट को बढ़ाते हुए अपनी साउंडनेस को पूरी तरह से कायम रखा है। इसके लिए वित्त मंत्री को आपको और मुझे बधाई देना है। इसके लिए आपको सीधी और गहरी नजर से इसको देखना है, गलत नजर से कोई नतीजा नहीं निकलेगा।

यह कहा गया कि जो खर्चा हुआ है वह तो हुआ सो हुआ मगर पर्चेजिंग पावर भी घटती जा रही है। मैंने पहले जैसे आप से कहा, मैं समझता हूं कि हमारी पर्चेजिंग पावर बढ़नी चाहिये। मैं यह भी समझता हूं कि हमें लोगों के स्टैंडर्ड आफ लिविंग को ऊंचा करने की बड़ी जरूरत है। परन्तु आज कुछ यह कहा गया कि सेल्स टैक्स में कुछ आमदनी कम होती है, बैटिंग टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स में कुछ कम आमदनी होती है, इसलिये सब पर्चेजिंग पावर कम हो गयी। जब चीजों की कीमत बढ़ती है, ५ रुपये मन की चीज २५ रुपये में बिके तो रुपये में एक पाई, दो पाई जो हो, तो पांच आने के बदले २५ आने मिलते हैं उसी एक मन या एक सेर की बिक्री में, और जब प्राइस कम होती है चाहे कंजम्शन बढ़े, तब भी सेल्स टैक्स की मिकदार कम आयेगी। इसलिये उससे कुछ नतीजा निकालना गलत बात है और जहां तक इंटरटेनमेंट टैक्स की और बेटिंग टैक्स की बात है यह सही बात है कि जो लोग पहले बेटिंग बहुत किया करते थे जिनके पास रुपया फाजिल था, अब वह नहीं रहे। गरीबों की हालत सुधरी, मगर अमीरों की सुधरी नहीं। उनके लिए वह शुग़ल कम हो गया तो उससे आमदनी कम हो सकती है। यह जरूर है कि जो पहले सिनेमा में ऊंचे दर्जे के टिकट खरीदते थे वह बड़े बड़े ताल्लुकेदार थे और बहुत सा रुपया सिनेमा में खर्च कर सकते थे। बेचारे गरीब चाहे ज्यादा तादाद में जायं, वह तो दो आने का टिकट लेते हैं, जिसमें सिनेमा का टैक्स नहीं देना पड़ता और जो लोग ५ रुपये का टिकट खरीदते थे वह ३ रुपया टैक्स दे देते थे, वह अब खरीद नहीं सकते। तो अगर उसमें कमी हो तो उससे यह नतीजा निकालना कि बेटिंग और इंटरटेनमेंट टैक्स में कमी है इसी वजह से कि पर्चेजिंग पावर कम हो गयी, यह गलत बात है। मगर दूसरी चीजें हैं, जिससे नतीजा निकाल सकते हैं। एक यह कि हमारी इंडस्ट्री पोटेंश्यली बढ़ी जो कि आज से ४–५ वर्ष पहले आज जितनी है उससे एक तिहाई कम थी। आज हमारा प्रदेश इंडस्ट्रियल फील्ड में ३३ परसेंट ज्यादा है और उस ३३ परसेंट के ज्यादा होने से आप समझ सकते हैं कि कितनी मिकदार उस माल की बढ़ जाती है। किन्तु उसके ३३ परसेंट में से बहुत बड़े हिस्से में खपत पहले के मुकाबले में ज्यादा हो रही है।

आज आप कोल देखें। हमारे सूबे में जितना कोल आ रहा है वह पहले के मुकाबले में दूना, तिगुना है और फिर भी लोगों की मांग है कि हमें और दो। स्टील और आयरन की भी और मांग है कि और दो। सीमेंट के लिए हमारे सप्लाई मिनिस्टर साहब ने

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

वहां सौराष्ट्र में जाकर इन्तजाम किया कि कुछ हमें सीमेंट के बोरे मिल ताकि लोगों की जरूरतें पूरी हों और इन चीजों के अलावा आप यह भी जानते हैं कि अनाज की पैदावार बढ़ रही है। आज हमको फिक्र यह हो रही है कि हमारे पास जो गेहूं है वह कैसे बिके। हमारे पास लाखों मन गेहूं रखा हुआ है। पहले फिक्र यह होती थी कि गेहूं लायें कहां से, आज फिक्र यह है कि वह बिके कैसे। सूबे में आज जो पैदावार है वह पहले से काफी ज्यादा है और यह साफ बात है कि जब लाखों एकड़ नयी जमीन सिंचाई में आयी और लाखों एकड़ नयी जमीन काश्त में पहले पहल आयी है तो पैदावार बढ़ी है और जरूर बढ़ेगी। सिवाय इसके कि जब कि कोई कैलेमिटीज ऐसी हो जायं कि प्रकृति और नेचर हमारे खिलाफ हो जाय तो दूसरी बात है वरना पैदावार बढ़ी है और पैदावार बढ़ना नेचुरल है। पैदावार बढ़ी और हमारा ऐग्रीकल्चर भी बढ़ा। कंजम्पशन की पर्चेजिंग पावर जो होती है वह प्रोडक्शन पर होती है। जो सुस्त आदमी होते हैं हाथ पैर बांध कर बैठ रहते हैं उनकी पर्चेजिंग पावर नहीं बढ़ती। जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो कुछ हद तक पर्चेजिंग पावर भी बढ़ती है, यह लाजिमी है। इसका एक सबूत मैं आपको छोटा सा दूं। हमारे देश में ८ लाख टन या ९ लाख टन शक्कर मुश्किल से खपती थी और जब ८ लाख टन, ९ लाख टन हो जाता था तब यह फिक्र होने लगती थी कि यह कैसे बिकेगी। मगर आज १५ लाख टन शक्कर बनी और १५ लाख टन एक साल के भीतर खत्म हुई, बाहर से चीनी मंगानी पड़ी और चीनी कोई ऐसी जरूरी चीज नहीं है, गेहूं नहीं है, ज्वार नहीं है, बाजरा नहीं है, वह तो कुछ हद तक एक ऐसी चीज है जो कि कोई इतनी एसेंश्यल कमोडिटी नहीं है जिसके बिना कि आदमी की जिन्दगी न चले। तो जब इतनी शक्कर की खपत बढ़ती है पहले के मुकाबले में कि जहां हम पहले आठ नौ लाख टन नहीं खपा सकते थे वहां आज हम १२, १४ और १५ टन खपा करके फिर बाहर से मांग करते हैं तो इसके माने यह हैं कि लोगों की पर्चेजिंग पावर कुछ ज्यादा बढ़ी है। आन दी होल आज हम ज्यादा कंज्यूम करते हैं बमुकाबले पहले के। यह हम कह सकते हैं कि अभी बहुत बढ़ाने की जरूरत है और मैंने उसे कई बार दुहराया है। मगर हमको एक सही पैमाने से देखना चाहिये जो कि एक मील को एक मील कहे, एक मीटर को एक मीटर कहे। एक मीटर को एक मील और एक मील को एक मीटर कह कर तो हम कोई सही नतीजा निकाल नहीं सकते हैं। इसलिए गोकि हमें जरूरत है कि हम अपने यहां के लोगों की माली हालत को और सुधारें और सुधारना अभी जरूरी है परन्तु उसके साथ ही साथ कुछ न कुछ वह सुधर रही है, यह कहना भी गलत नहीं है और गोकि पर्चेजिंग पावर बढ़ाने की जरूरत है इसको कहना कि आज पर्चेजिंग पावर बढ़ रही है यह भी गलत नहीं है।

यह मैं मानता हूं कि कुछ क्लासेज ऐसे भी हैं कि जिनकी दिक्कतें कुछ ज्यादा हैं बमुकाबले औरों के। मगर आज भी आप देखें कि क्या बात है, गोकि प्रोडक्शन ३३ परसेंट बढ़ गया फिर भी प्राइसेज का लेवेल बहुत नीचे नहीं आया, क्यों नहीं आया इसकी वजह यह है कि उस चीज की खपत हो जाती है तब भी प्राइसेज में फाल नहीं हो रहा है। तो यह क्या दिखलाता है कि हाई प्राइसेज में ३३ परसेंट मोर प्रोडक्शन हो और वह खप जाय तो पर्चेजिंग पावर कम हुई या ज्यादा? इसलिए चाहे आप इंडिविजुअल्स के बारे में कुछ कहें चाहे आप यह कहें कि आगे बढ़ाना है, चाहे आप यह कहें कि उसका रीएडजस्टमेंट हो रहा है, यह बात दूसरी है मगर पर कैपिटा जो कुछ भी हालत थी उससे कुछ बदतर हुई है यह कहना सही नहीं है और अगर यह कहा जाय कि कुछ बेहतर है तो वह भी गलत नहीं है। मगर इसके माने यह नहीं है कि कोई एक्सेप्शन नहीं है। अपवाद स्वरूप हो सकता है।

जमींदारों और ताल्लुकेदारों की पर्चेजिंग पावर नहीं बढ़ी, घट गई । एवरेज काश्तकार की पर्चेजिंग पावर बढ़ गई, यह भी सही बात है। एवरेज काश्तकार जो है वह करोड़ों की तादाद में है और एवरेज जमींदार लाखों की तादाद में हैं। दूसरी बात यह है कि जब ताल्लुकेदारों के पास बहुत रुपया आता था तो वह बहुत सी बेकार चीजों में खर्च करते थे। उन चमक दमक की चीजों को देखकर आदमी समझता है कि खुशहाली है और जब वह चमक दमक नहीं दिखाई देती तो उसको न देखकर आदमी धोखे में पड़ जाता है कि हालत सुधरी है या नहीं। इसलिये यदि आप आर्थिक पैमाने से देखें तो यही नतीजा निकलेगा कि जो बातें हम पेश करते हैं वह अपनी तरफ से सोच समझ कर रखते हैं।

कुछ इस बात का भी यहां जिक्र किया गया है, मैं यहां था नहीं, मेरे भाई सम्पूर्णानन्द जी ने आप से कहा होगा कि पुलिस का खर्चा क्या है। आपने देखा कि आज से पांच वर्ष पहले हमारी पुलिस का खर्च और डेवलपमेंट का प्रोपोर्शन करीब २९.३ प्रतिशत था और आज १२ प्रतिशत है। तो यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे यह कहा जाय कि ज्यादा खर्चा किया जा रहा है। यह बात सही नहीं है। दूसरे पारसाल के जो ऐक्चुअल्स हैं उनसे मुकाबला अगर किया जाय इस साल के बजट के खर्च का और इस बात का लिहाज रखा जाय कि बार्डर्स पर नये स्टेशन वगैरह खोले गये हैं। अगर उनको काट दें, तो जो पारसाल खर्च हुआ है उससे भी कम खर्च इस बजट इयर के लिये है जब कि इस तरह के सारे कामों को बढाने की कोशिश की जा रही है लेकिन खर्चा घटाया जा रहा है। अब आप जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन और दूसरी चीजों को देखिये तो आप पायेंगे कि एक तो ऐनुअल इनक्रीमेंट्स देने होते हैं। सब चीजों का आप लिहाज रखें तो मालूम होगा हर तरफ ज्यादा से ज्यादा रकम डेवलपमेंट में आ जाय इस बात की कोशिश की जा रही है।

अगर आप बजट को देखेंगे तो आप को मालूम होगा कि सबसे ज्यादा जो रकम हम खर्च कर रहे हैं वह शिक्षा पर कर रहे हैं। कोई नौ करोड़ से ज्यादा खर्चा है। मगर पूरी शिक्षा का खर्चा उसमें नहीं है। उसके अलावा २० लाख रुपये के करीब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को देते हैं, टेक्निकल एजूकेशन में एक करोड़ से ज्यादा का खर्चा है, वह उसमें नहीं हैं। इसके अलावा जो कि शेड्यूलड ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लासेज हैं उन पर पचास लाख का खर्चा है। वह भी उसमें नहीं है। अगर आप पूरी शिक्षा के खर्च को लगायें, तो आप को मालूम होगा कि काफी ज्यादा खर्चा है। मैं समझता हूं कि १० करोड़ से ज्यादा आयेगा मुमकिन है, कि ११ करोड़ हो। यह तो इतना खर्चा बढ़ा एजूकेशन में जो पांच छः वर्ष पहले तीन करोड़ से कम था। इसी तरह से आप देखेंगे कि इस साल भी कितना ट्यूबवेल के लिये रखा गया है, कितना सड़कों के लिये रखा गया है। सड़कें इतनी बड़ी हैं और रकम इतनी बढी है कि उसको देखकर बाज वक्त ख्याल होता है कि अगर इसी रफ्तार से हम बढ़ते गये तो शायद सड़कें इतनी बन जायेंगी कि कहीं रुकने को जगह ही नहीं मिलेगी, चलते ही चलते जायेंगे।

सिंचाई वगैरह की जो स्कीमें हैं वह कई करोड़ों की हैं। हम बेकारी को दूर करना चाहते हैं। हमारे इस सदन के माननीय सदस्य झारखंडेराय जी ने कुछ फीगर्स दिये और उन्होंने कहा कि ८८ या ८९ हजार आदमी यहां बेकार हैं। अगर ८९ हजार ही हों तो बड़ी खुशी की बात है। मैं तो उससे बहुत बड़ी तादाद समझ रहा था मगर उन्होंने आंका केवल ८९ हजार ही। अगर ८९ हजार हो तो अमेरिका इंग्लैन्ड और बेल्जियम को मात दे दिया। लेकिन ऐसा है नहीं। असल में इससे कहीं ज्यादा है। हम मानते हैं और इसके लिये हम कोशिश कर रहे हैं। एक बात बुनियादी तरीके पर इस बात की जरूरत है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरे तौर से रीमाडेल्ड हो जिससे आइन्दा जो लड़कें निकलें वे शान के साथ अपने पैरों पर खड़े हों सकें वगैर दूसरों का दरवाजा खटखटाये हुए अपना काम चला सक। इसी तरीके से यह एक काफी बड़ी स्कीम इसमें है। इस स्कीम में मिडिल स्कूल से लेकर एग्रिकल्चर को बेस बनाया है। उनको कम्युनिटी सेन्टर्स बना कर उनके जरिये जितनी एग्रिकल्चरल

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

प्रोग्रेमस होती है उससे लोगों को फायदा पहुंचाने का प्रयत्न किया है। इससे लोगों को मालूम हो सकेगा कि एग्रिकल्चर में क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं। यह एक ऐसी चीज है जिससे एजूकेशन कांस्ट्रक्टिव और कम्युनिटी बेसिस पर हो। इसके साथ-साथ सारी कम्युनिटी के साथ,स्टूडेंट्स स्टाफ और स्कूल में एक हारमोनी हो जाय, सब एक कम्युनिटी के अंग हो जायं। उनके बीच में जो तफाउत है वह निकल जाय।

जहां तक स्कूल और कालेजेज का सवाल है उनके लिये कोशिश यह है कि वे एक कटे हुये आइलैन्ड न रह जायं बल्कि उसके अन्दर जा कर उसका आगे बन जाय यह हमारी तजवीज है।

इसके साथ आप देखेंगे कि इंडस्ट्रियल स्कीम्स के साथ-साथ टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को फिर रीजिनुएट करने के लिये, रीआर्गनाइज करने के लिये काफी गुंजाइश रक्खी है जिसमें से कानपुर की हरकोर्ट बटलर इंस्टीट्यूट भी है। कहा गया कि बुनकरों की हालत बड़ी खराब है। उसे ठीक करने की कोशिश हो रही है। ३५ लाख रुपये के करीब हैं डलूम वालों की मदद के लिये रक्खे गये हैं। इसी तरह से नई-नई और स्कीम्स रक्खी गई हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर वे सब स्कीम्स कारामद हो जांय तो हम कई हजार आदमियों को, स्किल्ड और अनस्किल्ड बल्कि अगर कहा जाय तो कुछ लाख से ज्यादा आदमियों को एम्पलाय कर सकेंगे। यह हमारी उम्मीद है इस तरह से कम्युनिटी सेंटर्स और नेशनल एक्स्टेंशन सेंटर्स खोले जा रहे हैं। उनका मुद्दा यही है कि देहात वालों को मदद मिले और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी नये एवेन्युज मिलें जहां उनका एम्पलायमेंट हो सके। इस तरह से इडस्ट्रीज को रिआर्गनाइज करने की कोशिश की जा रही है। एग्रिकल्चर और इर्रीगेशन पर काफी जोर दिया है। आइन्दा भी हमको इन सब बातों को सामने रखा है। अब हम एक ढंग के साथ इंडस्ट्री को रिआर्गनाइज करना चाहते हैं, एजूकेशन को रिमाडेल्ड करना चाहते हैं जिससे अनएम्पलायमेंट बुनियादी तरीके पर दूर हो और जो लोग अनएम्पलायड हैं उनको एम्पलाय कर सकें। इसलिये जो कहा गया उन दिक्कतों को दूर करने की कोशिश की जा रही है। वे दिक्कतें है उनको हम मानते हैं। कौन नहीं मानेगा। रोज रोज एक तकलीफ होती है, दिल में एक दर्द होता है जब कि नौजवान हर रोज आते हैं और कहते हैं कि साहब हमें नौकरी दिलवाइये और उनसे कहना पड़ता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। बड़ी परेशानी की बात होती है कि नौजवानों को इस तरीके पर अलग करना पड़ता है। इस ख्याल से ये सब बातें की जा रही हैं।

इस साल रिहन्ड डैम पर भी काफी जोर से काम करने का इरादा है। कुछ यह कहा गया कि रिहन्ड डैम को जल्दी से जल्दी बनाना चाहिये। हम चाहते हैं बहुत जल्द बनाना मगर उनके लिये मशीन्स की जरूरत है जो बाहर से बनकर आयेंगी उनके आने में वक्त लगेगा। दूसरे रेहन्द डैम का जितना एरिया है उसमें अगर मजदूरों को लगाया जाय तो एक मेक्जिमम केपैसिटी होती है जो किसी काम में लग सकती है, उससे ज्यादा नहीं लग सकती। लिहाजा एक मिनिमम पीरियड होता है जिसके भीतर वह पूरा हो जाता है तो अगर कोई जल्दी भी करे तो उसमें भी वह पूरा होना मुश्किल होता है। अगर इस हालत में हम १ हजार जमा हो जायं या दो हजार हो जायं तो ठीक है लेकिन अगर कोई कहे कि ५० हजार जमा हो जायं तब तो यह गाड़ी चल नहीं सकती है और इस हालत में इतने आदमी खपा नहीं सकते हैं। यह काम मैक्सिमम तरीके से जो काम हो उससे आगे नहीं बढ़ सकता है। मगर पूर्वी जिलों के रहने वालों से मेरी यह दरख्वास्त है कि आप अपने वहां रिहन्ड डाम के लिये कुछ रुपया रेज करे या कोई बांड वगैरा हो सके तो उसको जमा करने की कोशिश करें। अगर वहां के लोगों का रुपया उसमें ज्यादा लगे तो वह उनकी ही चीज है और उससे उनको ही ज्यादा फायदा होगा। अब वह जमाना चला गया जबकि सरकार और जनता कोई अलग अलग चीज होती थी। अगर वह लोग उसमें रुपया लगायेंगे तो वह चीज उनकी ही होगी और उनको ज्यादा मुहब्बत

होगी। उसका रेट देने के बारे में जो लोग धमकी दिया करते हैं वह भी वहां पर नहीं होगी और वह लोग किसी की धमकी में नहीं आयेंगे। उनका फर्ज है कि वह उसके लिये रुपया अदा करें।

एक चीज और भी दरख्वास्त करना चाहता हूं कि हमने अपने यहां डेमोक्रेसी को माना है तो फिर उसमें डेमोक्रेसी के तरीके पर चलना है। आप जानते हैं कि इंग्लैन्ड में जब लेबर गवर्नमेंट आयी तो उसने माइन को नेशनलाइज्ड कर दिया। कंजरवेटिव ने उसका विरोध किया लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि सत्याग्रह करो और न किसी ने कहा कि कानून को तोड़ो या कानून शिकनी करो। उसने बाद जब कंजरवेटिव आये तो उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया। तब लेबर ने यह नहीं कहा कि हम इसके लिये सत्याग्रह करते हैं। इसका कारण यही है कि वह यह समझते हैं कि अगर पब्लिक ने उनको भेजा है तो उनकी बात चलनी चाहिये और पब्लिक की राय की कदर की जानी चाहिये। डेमोक्रेसी में पेशेन्स की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। बिना धीरज के रखे हुये डेमोक्रेसी फंक्शन नहीं कर सकती है। इसलिये यह समझना कि आज ही जो हम चाहते नहीं हुआ तो यह तो छत पर चढ़ने की बात है जिसको मदारी ही कर सकता है और मदारी के खेल की चीज बहुत ज्यादा देर तक ठहरती भी नहीं है लिहाजा जिस तरीके पर काम हो सकता है उसी तरीके पर वह होता है।

यहां पर टैक्स वगैरा का विरोध किया गया। विरोधी पार्टी वाले अक्सर उसको अपोज करते हैं। उनको अख्तियार है कि जिसको वह ठीक समझें करें पर जिस बात को वह ठीक समझें उसको करना चाहिये। मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि जो वह करते हैं वह ठीक नहीं है लेकिन यहां पर कानून बनाने वाले अगर कानून की शिकनी करें और खासकर लेजिस्लेचर के मेम्बर को यह शोभा नहीं देता। यहां पर यह भी कहा गया कि कुछ मेम्बर पकड़े गये। मुझे इसका रंज है कि यह मेम्बर पकड़े गये। मगर क्या जो यहां पर कानून बनावें उनका यह फर्ज है कि वह बाहर जाकर कानून की शिकनी करें और ओपेनली ब्रीच करें। अगर यह होने लगे तो फिर डेमोक्रेसी चल नहीं सकती है। चाहे कोई अपोजीशन वाला हो या और कोई हो फिर बड़ी मुश्किल पैदा हो जाती है। अगर किसी वक्त उनकी हुकूमत हो और उसके अपोजीशन वाले इस तरह से कानूनशिकनी करने लगें तो फिर तो केआस की हालत ही पैदा हो जायगी। मैं झारखंडे जी की बात समझ सकता हूं। उनको तो सब जगह अन्धेरा ही अंधेरा नजर आता है। रोशनी नजर नहीं आती है। अगर दूसरे मुल्क से रोशनी आये तो उनको दिखाई दे मगर इस वक्त वह अंधेरे में ही फंसे हुये हैं। उनकी बात को मैं समझता हूं मगर और लोग जो अंधेरे में फंसे हुये नहीं हैं और उनको अमावस्या ही नजर नहीं आती है, पूर्णिमा और अष्टमी भी नजर आती है, तो कम से कम उनको तो यह समझना चाहिए कि इस तरह से काम नहीं चल सकता है। अगर पटवारी या टीचर्स नाराज हों तो अपोजीशन उनको जहां तरजीह दे। उनको हक है, करें। मगर बाहर जाकर कानून शिकनी डेमोक्रेसी में नहीं चल सकती है। हमको पेशंस की जरूरत है। डिफरेंस आफ ओपीनियन ईमानदारी और सही तरीके से हो सकता है। मगर जिनकी जिम्मेदारी है उनको तो ठीक काम करना ही चाहिये और उनकी अक्ल दुरुस्त करने की हम कोशिश करते हैं। अगर दूसरे तरीके पर अक़ल दुरुस्त की जाय तो वह डेमोक्रेसी में नहीं होता और न उससे अकल दुरुस्त होती है। जरूरत अन्डरस्टैंडिंग की है। एक दूसरे को अलग-अलग बांटना कोई फायदेमन्द बात नहीं है। मुझे दर्द होता है कि हमारा कोई भाई जेल में हो। मगर मैं करूं क्या। कहा गया कि वह पकड़े हुये रखे हैं। अगर वह बांड भी दे दें तो आ जावें लेकिन उनको तो शौक है वहां रहने का। हम किसी की मर्जी के खिलाफ उसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं। इसलिये इस प्रकार देखना चाहिये जिससे सारा काम ठीक ढंग से चले। हमारे बहुत से और भी मसले हैं जो हमको हल करने हैं। आखिर हम एक गरीब मुल्क के रहने वाले हैं और हमारे पूरब और पश्चिम में जो नई नई बातें हो रही हैं हिन्दुस्तान के उनका मुकाबला करने के लिये हमारे पास मशीन तो है नहीं। हमारे पास तो अपनी ताकत तो सिर्फ

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

मेल की है और अगर हम उसे लगावें तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमारा मुकाबला कर सके।

सुना कि एक या दो बड़े जोश की भी स्पीच हुईं। मैं समझ सकता हूं कि जोश बाज-औकात आ भी जाता है और कभी-कभी लाया भी जाता है। मगर जो बुनियादी बातें हैं उनको नजरअन्दाज करना हमको वह ताकत नहीं देता है जिसकी जरूरत मुल्क को आगे बढ़ाने के लिये है। बजट की तो सीजनल बात है। होली नजदीक आ रही है, उसके पहले बजट हो जाता है ताकि उसके लिये रास्ता तैयार किया जाय। मगर होली खेलने में भी पहले कुछ अश्लील बातें की जाती थीं मगर अब तो कोशिश सबकी यह है कि होली भी साफ सुथरे ढंग से हो। तो इसी तरीके पर बजट की बातें भी उसी तरीके से होनी चाहिये जो कि हमारी सबकी शान और इस हाउस की शान को कायम रख सके और डिफरेंस आफ ओपीनियन रखते हुये भी हमें बुनियादी बातों को नहीं भूल जाना चाहिये कुछ मुहकमों की बातें यहां कहीं गई मगर मैं उनके बारे में इस समय कुछ कह कर हाउस का समय नहीं लेना चाहता क्योंकि अलग अलग मुहकमों के बजट उसके सामने आवेंगे ही। झारखंडे राय जी ने कहा कि हमारा सहयोग तो किसी तरह से हो ही नहीं सकता। खैर, मैं समझता हूं कि उनको सही अक्ल आ जायगी तो फिर उनको भी हो सकता है अगर अब सही हो तो अब भी हो सकता है। लिहाजा मेरी सब से दरख्वास्त है कि जो कुछ भी हो हम सब मिल जुल करके आगे बढ़ें, जो एक मियार हम रखते हैं, जो टारगेट हमने प्रेसक्राइब किया है उसको पूरा करें। आजकल हम किसानों और मजदूरों को देख रहे हैं कि जब श्रमदान का समय आता है तो किस तरह सब लोग मिल कर काम करते हैं। हजारों मील लम्बी सड़कें बना दी गईं जगह-जगह जमीनों से पानी निकाला, पंचायतघरों की इमारतें बनायीं, स्कूलों की इमारतें बनायीं तो क्या जब उन लोगों में यह हौसला, यह हिम्मत, यह ख्वाहिश और यह कोशिश है तथा उनको कामयाबी हो रही है जब वे मुल्क की हालत को इस तरह से सुधार सकते हैं तो क्या इस सदन के सदस्यों से कम उम्मीद की जा सकती है। मुझे पूरा यकीन है और आशा करता हूं कि जो देश में सब जगह हो रहा है, उन्हीं के नुमाइदों की तरह इस बात की कोशिश की जायगी कि आइन्दा सब मिलजुल कर काम करें और इस देश को सबसे ऊंचा उठायें।

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—जनाब स्पीकर साहब, मैं चीफ मिनिस्टर साहब का और सदन के उन तमाम मेम्बरान का जो मुझे इस बहस के होते हुये भी बधाई देते रहे हैं तहेदिल से शुक्रिया अदा करता हूं। वक्त ज्यादा हो गया है और आपने बहुत सी बातें सुन ली हैं और चीफ मिनिस्टर साहब की स्पीच भी सुन ली है। अब मैं बजट का दूसरा रुख पेश करना चाहता हूं जो मैंने अपनी बजट स्पीच के वक्त पेश नहीं किया था। यह मैं आगे बतलाऊंगा कि यह मैंने क्यों नहीं किया था।

हमारे विरोधीदल के नेता साहब ने अपनी तकरीर में इरशाद फरमाया कि इस स्पीच में यह नहीं बतलाया गया कि इस राज्य का डिवीडेंड क्या है। इस साल प्राइवेट इनकम कितनी है और न यह बतलाया गया कि यहां जो टैक्जेशन है उस टैक्जेशन का बोझ यहां के रहने वालों पर कितना है। मैंने इस बात को भी कहा कि यह मेरी स्पीच का दूसरा रुख है। वह इस मानी में कि उस स्पीच में उन तमाम चीजों को सामने लाने की कोशिश की गयी जिनसे यह मालूम हो कि यहां के रहने वालों का स्तर ऊंचा करने, गरीबों को गरीबी से निकालने, बेरोजगारों को बेरोजगारी से निकालने के वास्ते क्या काम हो रहा है और जब से यह काम शुरू हुये उस वक्त से इस स्टेट की इकोनोमिक प्रोसपैरिटी यानी आर्थिक स्थिति पर क्या असर हुआ। यह उस चीज का दूसरा रुख है और मैं यकीन रखता हूं कि जब मैं इसको बयान करूंगा तो सिवाय उन भाइयों के जो बावजूद मांगने के और बावजूद पा लेने के भी इन्कार कर सकते हैं। उनके सिवाय कोई ऐसा न होगा कि जो यह यकीन लेकर न जायगा कि वाकई जो काम हुये हैं उनसे यहां के रहने वालों की आमदनी बढ़ी है।

किसी जगह यह देखने के वास्ते कि आया वहां की माली हालत कैसी है, बढ़ रही है या कि नहीं बढ़ रही है। वह क्या चीजें हैं जो कि आम तौर देखी जाती है। तीन चीजें हैं जो आमतौर पर देखी जाती हैं। एक तो उनमें से यह है कि कुल मजमूई आमदनी उस जगह की जो है उसका डिविडेंड क्या है, उसका एसेट क्या है, दूसरे जो वहां प्रोक्शन का काम करने वाले हैं उनकी हालत क्या है, वह बेहतर है कि नहीं और तीसरे यह कि जो चीज वहां पैदा होती है उसका विवरण कैसा है। तो मैं इन चीजों की रोशनी में इस ऐवान को माननीय अध्यक्ष महोदय के जरिये यह बतलाना चाहता हूं कि अगर हम इस नजर से देखें तो वह क्या सूरत हमारे सामने आती है। मैंने उस वक्त अपनी बजट स्पीच में नहीं बतलाया था कि एक बात सारी दुनिया जानती है, सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान के मुताल्लिक यह बात है कि इस किस्म का हिसाब लगाने के वास्ते और उनके आंकड़े तैयार करने के वास्ते जिस डेटा की जरूरत होती है वह यहां पहले से तैयार नहीं होता था और वह मिलता नहीं है इस दर्जे के ऊपर कि उस बिना के ऊपर कोई ऐसा नतीजा निकाल कर सामने रखा जा सके और कोई इकनामिस्ट भी स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट का ऐसा नहीं है जो कोई नतीजा निकाल कर ऐसा सामने रख सके जिसके लिये यह कहा जा सकता है कि यह बात बिलकुल अटल है और यह दुनिया में किसी तरह से भी नहीं बदली जा सकती है। तो इसलिये मैंने समझा, अव्वल तो मैं सुनता रहा कि अगर मैं इस तरह के आंकड़े बयान करूं तो हो सकता है कि यह कहा जाय कि सरकार ने आंकड़ों का जाल तो इसलिये बिछा दिया है ताकि उसे कोई अच्छी तरह से समझ नहीं सके। तो मैंने सोचा कि अगर इस तरह के आंकड़े सामने रख कर उससे मैंने कुछ नतीजा भी निकाला तो जवाब में यही सुनना होगा कि हमने आंकड़े का जाल बना लिया है और यह काबिले एतबार भी नहीं है। लेकिन अब चूंकि मोतालबा किया गया है कि खासतौर पर मैं उन चीजों को सामने रखूं। लिहाजा जितनी भी काबिले एतबार बात आप समझ सकते हों उसका लिहाज करते हुये इस बात को सामने रखते हुये मैं कहूं कि आर्थिक स्थिति के जितने फैक्टर्स काम कर रहे हैं उनके अन्दर साल बसाल, वक्तन फवक्तन जो कंडीशन यू० पी० के अन्दर वर्क करता है, जो कंडीशन हिन्दुस्तान के अन्दर वर्क करता है उन सब चीजों को सामने रखते हुये अगर आप इस बात को सुनेंगे तो मैं समझता हूं कि आपको यकीन यही होगा कि हम आगे बढ़े हैं। सन् ४६–४७ में हमने पहली स्पीच पेश की थी, उसके पहले हमने यह काम नहीं किया था। सन् ४६–४७ में हमने यह काम किया मैं माफी चाहता हूं और एक बात जरा और कह देना चाहता हूं कि जैसा मैंने पहले अर्ज किया था कि इस तरह का डेटा नहीं मिलता था वहां इतना और अर्ज करना चाहता हूं कि अब हमारे राज्य में इसका मुस्तकिल इन्तजाम है। हमारे पास एक स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है हमारे गृह मंत्री साहब की तवज्जह से जिनकी खास तवज्जह इस मामले की तरफ है और जो निहायत उम्दा काम कर रहा है। अब उसकी तफसील में जाकर क्या करूंगा? बहुत से मेम्बरों ने देखा भी होगा, उनके यहाँ से यह एक बुलेटिन जारी होती है और इसके अन्दर तरह तरह के आंकड़े जो एकनामिक हालत इस स्टेट की है दिये हुये हैं। इसके द्वारा जो कुछ भी मालूमात हों उनको हासिल कर सकते हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय––मेम्बरों को आजकल वह मिल नहीं रहा है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम––अगर मेम्बरों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है तो मेम्बर्स उसको खरीद सकते हैं। मैं इस काम को जानता नहीं हूं और एक ले मैन होने की हैसियत से वह आँकड़े जो उसके हैं वह आपके सामने रखता हूं। जहाँ तक सन् १९४६–४७ में हमने काम किये उसका कोई फिगर्स नहीं है लेकिन सन् १९४७–४८ के फिगर्स दिये हैं। इस यू० पी० में जो डेफिनिट डेवीडेंड्स हैं वह १२ अरब कुछ करोड़ हैं। १९५३–५४ के डेटा तो तैयार नहीं हैं लेकिन सन् १९५२–५३ के फिगर्स दिये है। सन् १९५२–५३ में वही फिगर्स डिवीडेंटेड की १२ अरब ८ करोड़

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

थी वह जाकर १५ अरब और ६२ करोड़ हो गई। तो यह जो साढ़े तीन करोड़ बढ़ोत्तरी नेशनल डेवीडेंड में हुई वह क्यों हुई? वह क्या चीजें हैं जिनके चलाने से यह बढ़ोत्तरी हुई? यहाँ जो काम हुये हैं उनके बन्द करने से या उनके बर्बाद करने से वह बढ़ सकती थी या वह चीजें जो चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी तकरीर में बताई हैं उनसे वह बढ़ सकती हैं। वह चीजें बराबर होती चली आई हैं और होती रही हैं और मैं बिलकुल इस बात पर निर्भर करता हूं कि जो आमदनी तीन साढ़े तीन अरब की बढ़ी है वह उन्हीं कामों के तुफैल में बढ़ी है जो काम इस स्टेट के अन्दर सरकार द्वारा यहाँ के रुपये से कराये गये हैं। इससे अन्दाजा हो सकता है।

मुझे शिकायत यह है हुजूरवाला कि जिनको इस बात की शिकायत थी और जिन्होंने इसके खिलाफ तकरीर फरमाई थी वे जब आज मैं जवाब दे रहा हूं खुद तशरीफ नहीं रखते हैं। यह मेरे साथ एक ज्यादती है कि मैं तो बैठा रहूं और जब जवाब देने और के लिये खड़ा होऊं तो वह यहाँ तशरीफ नहीं रखें। इसकी मुझको शिकायत है।

टैक्सों के बोझ के सिलसिले में बात कही गई। इसके पहले कि उन पर कुछ कहूं एक जरा सी बात और अर्ज करूं। मैंने अपने दोस्त अपोजीशन लीडर साहब को यह कहते हुये सुना कि हम पर यह इल्जाम लगाया जाता है कि हम जाकर लोगों को बहकाते हैं। मैं उस वक्त सोचने लगा कि मैंने इन पर कब इल्जाम लगाया। मैंने तकरीर में यह बात जरूर अर्ज की कि कुछ आदमी इस राज्य के अन्दर हैं जो लोगों को जाकर बहकाते हैं और उनको गलत रास्ता दिखलाते हैं। एक बहुत ही बाजारी सा मसला है और मैं नहीं कह सकता कि हुजूर उसकी इजाजत देंगे या नहीं बहरहाल मैं उस लफ्ज को छोड़ दूंगा और बाकी मसला कह दूंगा। एक बहुत मामूली सा मसला है दाढ़ी में तिनका। मैं जनाब के जरिये से जरूर दरियाफ्त करना चाहता हूं। अगर मेरे दोस्त इस वक्त मौजूद होते तो मैं उनसे जवाब के जरिये से दरियाफ्त करता कि क्या वाकई आप बहकाते हैं। अगर आप वाकई बहकाने जाते हैं तब तो यह लागू होती है वरना नहीं।

खैर जहाँ तक टैक्जेशन का सवाल है, उसका बार जो यहाँ के लोगों पर पड़ता है उसका मुकाबला मैं जरा सी देर में दूसरी स्टेट्स जो हैं उनसे कर देना चाहता हूं। उसे खुद मैंने अपने स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट से तैयार कराया है और फाइनेंस कमीशन जो बैठा था गवर्नमेंट आफ इंडिया का उसने जो सब स्टेट्स के लिये तैयार कराया और उसकी जो रिपोर्ट है उसमें से मैं हुजूर की इजाजत से सुनाये देता हूं कि उसमें यू० पी० का क्या है और जगहों का क्या है। उससे अंदाजा हो जायगा कि इस स्टेट में टैक्जेशन का जो बोझा है वह वाकई इतना है कि बर्दाश्त किया जा सके या नहीं। मेरे दोस्त ने तकरीर में दावत दी थी मुझको कि मैं डाल्टन पढ़ूं और यह जानूं कि टैक्स लगाने के क्या-क्या प्रिन्सिपिल्स होते हैं। मैं हुजूरवाला के जरिये से उनकी इत्तला के लिये, किसी के जरिये उन तक पहुंच हो जायगी कि उनके जवाब में यह कहा गया था, यह अर्ज कर दूं कि मैंने जब से इस काम को सम्हाला है मैं तीन दफा डाल्टन पढ़ चुका हूं। यहाँ बैठने से पहले सिर्फ डाल्टन ही नहीं बल्कि पीटर वेस्टेबिल भी पढ़ चुका हूं और बराबर पढ़ता रहा हूं और इस बात से वाकफियत रखता हूं कि किसी जगह पर टैक्सेशन लगाने के क्या प्रिंसिपिल्स हैं। खैर, जो टैक्स लगे हुये हैं उत्तर प्रदेश में उनका हिसाब लगा करके बार आया है ५.१।

इसके मुकाबले में और जो प्रदेश में जैसे वेस्ट बंगाल है वहाँ ९.१, पंजाब में ६.१, मद्रास में ६.८ और बम्बई में १०.४ आया है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---अगर कोई कम भी हों तो उन्हें भी दीजियेगा।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---आप खुद पढ़ लेंगे। मैंने सिर्फ मुकाबला किया है और स्टेट्स से और जो बहुत छोटी छोटी स्टेट्स इसमें दी हुई हैं मैं उनसे यू० पी० का मुकाबला नहीं करना चाहता हूं। जो बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं, जिनकी आबादी बड़ी है, जिनमें सहन करने की काब्लियत हो सकती है, किसी चीज के बर्दाश्त करने की ताकत हो सकती है उन्हीं से मुकाबिला करके दिखला रहा हूं। मेरे डिपार्टमेंट ने जो हिसाब लगा करके निकाला है वह भी बिल्कुल इतना ही है। सिर्फ इतना फर्क है कि वह हमारे हिसाब से ४.८९ आता है। इससे अन्दाजा हो सकता है कि जिस स्टेट की आमदनी ४७ से लेकर ५२-५३ तक ३ अरब से साढ़े तीन अरब तक बढ़ चुकी हो और सन् १९५२-५३ के ऊपर जो बार हो, जो टैक्सेशन का बोझ हो उसका औसत आ करके फीसदी इतना पड़ता हो उसको हम कहाँ तक यह समझ सकते हैं कि वह लोगों की काबलियत से बाहर है। मैं यह अर्ज कर देता हूं कि मैंने अपनी तकरीर में इतना साफ अर्ज किया लेकिन फिर भी उसके कुछ माने बनने लगे। मैंने यह कहा कि सरकार का इरादा नहीं है और मैंने कहा कि मैं स्पष्ट करता हूं इस बात को कि हमको अगर अपने फाइव ईयर प्लान के खर्चे को पूरा करने के वास्ते कोई दिक्कत नहीं आती है तो हम टैक्स नहीं लगायेंगे और मैं अर्ज करूं कि हमने टैक्स नहीं लगाया। यह जितने टैक्स हमने लगाये हैं उनके मुकाबले में जो खर्चे हम स्टेट के लिए कर रहे हैं वह बहुत ज्यादा हैं। जो इस स्टेट की तरक्की देने के लिये, यहां के रहने वालों के लिये जो कुछ फायदे का काम हो रहा है उसका खर्चा बहुत ज्यादा है। मेरे दोस्त बालेन्दुशाह साहब अपनी तकरीर में पूंछ रहे थे कि यह नहीं बतलाया बजट स्पीच में कि इस फाइव इयर प्लान का खर्चा क्या है। मैंने उसी में अर्ज किया कि १ अरब ३० करोड़ रुपया उसका खर्चा है, जिसमें से इस साल जो चल रहा है इसके खातमे तक ६२ करोड़ रुपया खर्च हो चुकेगा और अगले साल खर्चा करने के वास्ते ३० करोड़ रुपया गया है। अब बाकी जो बचेगा, चूंकि हमको पाँच साल में उसको खर्च करना है, वह सन् १९५५-५६ के लिये रखा जायगा। तो चूंकि तफसील में बहुत सी बातें आप चीफ मिनिस्टर साहब से सुन चुके हैं, मैं खुलासा में यही कहना चाहता हूं कि मैंने बराबर इस बात की कोशिश की है और करता रहूंगा कि हम यहाँ के आदमियों पर बोझ डाले बगैर जहाँ तक हो सकता है कोई टैक्स वगैरा हम नहीं लगायेंगे लेकिन इस कहने को कहीं माना जा सकता है कि जो टैक्जेशन की बेसिस है वह बहुत ज्यादा है।

अब इसके बाद मैं हुजूर सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि मैंने एक अपील की थी। मेरे दोस्त ने जो तश्रीफ नहीं रखते हैं फर्माया और दूसरे दोस्त ने तो अभी यहाँ फर्माया जो कि सब की याद में होगा कि हम मदद तो कर नहीं सकते। उनके नजदीक इस बात की वजह बहुत माकूल है कि वह क्यों हमारे साथ कोआपरेशन नहीं करेंगे। अच्छा खैर, मैं एक बात अर्ज कर देता हूं कि हर जगह पानी बरसता है लेकिन हर जमीन उसका जवाब अपने अपने हिसाब से देती है। इस जमीन में बरसेगा तो ज्यादा उगेगा और उस जमीन में बरसेगा तो कुछ नहीं उगेगा। तो मेरी जो अपील थी वह किसी खास के लिये नहीं थी। मैंने तो यह कह करके कि अगर मेरी आवाज यहाँ से बाहर जा सकती है तो मैं हर उस शख्स से जो इस स्टेट के अन्दर रहता

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

है उससे अपील करता हूं। वह अपील मेरी अब भी है लेकिन कोई सहयोग करे या न करे मैं यकीन रखता हूं, मैं विश्वास रखता हूं इस बात के ऊपर कि हम बढ़ेंगे और इस देश को बढ़ा करके ऊंचा उठा देंगे।

(इसके बाद सदन सायंकाल ७ बजकर १२ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ ;
२४ फरवरी, १९५४

संसद भवन